रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 2, 2015/आषाढ़ 10, 1937
No. 178] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 2, 2015/ASHADHA 10, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2015

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय : चीन जन.गण. और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "निश्चित फ्लोट ग्लास" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की द्वितीय निर्णायक समीक्षा (एसएसआर)।

फा. सं.15/24/2013-डीजीएडी.— यतः, 1995 में यथा-संशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतद्पश्चात अधिनियम कहा गया है) और उसके अंतर्गत बने सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए भारत में फ्लोट ग्लास के घरेलू उत्पादकों की ओर से दायर विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार में पूर्वोक्त नियमावली के अंतर्गत नियुक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 03 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/24/2013-डीजीएडी के तहत एक निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत यह जांच करने के लिए की कि क्या चीन जन.गण. और इंडोनेशिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित निश्चित फ्लोट ग्लास के आयातों पर प्रभावी शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. उपर्युक्त अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 05 जुलाई, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/19/2002-डीजीएडी के तहत चीन जन.गण. और इंडोनेशिया (जिन्हें एतद्पश्चात "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "निश्चित फ्लोट ग्लास" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत की थी।

2. प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच-परिणाम दिनांक 20 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या 14/19/2002-डीजीएडी के तहत जारी किया था और केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 07 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या 7/2003-सीमाशुल्क के तहत अनंतिम शुल्क अधिरोपित किया गया था। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम दिनांक 22 अगस्त, 2003 की अधिसूचना संख्या 14/19/2002-डीजीएडी के तहत जारी किया गया था। प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित उपर्युक्त वस्तु आयातों पर दिनांक 12 नवम्बर, 2003 की अधिसूचना संख्या 165/2003-सीमाशुल्क के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया गया था।

3. उपर्युक्त शुल्क की समाप्ति से पहले मैसर्स सेंट गोबैन इंडिया लिमिटेड, भारत में संबद्ध वस्तु के प्रमुख घरेलू विनिर्माता, ने प्राधिकारी के समक्ष वर्ष 2007 में विधिवत साक्ष्यांकित एक आवेदनपत्र, अधिनियम और नियमावली के अनसुार शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित उपर्युक्त वस्तु के पाटन की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने का आरोप लगाते हुए दायर किया और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "निश्चित फ्लोट ग्लास" के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने और उसमें संवृद्धि करने के लिए समीक्षा करने का अनुरोध किया।

4. घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र के आधार पर प्राधिकारी ने दिनांक 13 दिसम्बर, 2007 की अधिसूचना संख्या 15/01/2007-डीजीएडी के तहत उपर्युक्त नामित देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "निश्चित फ्लोट ग्लास" के आयातों पर प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा प्रारंभ की। प्राधिकारी ने दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 15/01/2007-डीजीएडी के तहत अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे। प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम में की गई सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सरकार द्वारा, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्याति उपर्युक्त वस्तु के आयातों पर दिनांक 06 जनवरी, 2009 की अधिसूचना संख्या 04/2009-सीमाशुल्क के तहत निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अगले पांच वर्षों की अवधि अर्थात दिनांक 05 जनवरी, 2014 तक बढ़ा दिया था।

5. वर्ष 2013 में भारत में इस संबद्ध बड़े घरेलू विनिर्माताओं मैसर्स गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, मैसर्स एचएनजी फ्लोट ग्लास लिमिटेड और मैसर्स सेंट गोबैन ग्लास इंडिया लिमिटेड ने घरेलू उद्योग की ओर से प्राधिकारी ने समक्ष एक विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र, अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित उपर्युक्त वस्तु के पाटन की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने और इस शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का अभिकथन करते हुए दायर किया है और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने के लिए समीक्षा करने का अनुरोध करते हुए दायर किया है।

6. घरेलू उद्योग की ओर से और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार दायर विधिवत साक्ष्यांकित आवेदनपत्र के आधार पर प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए दिनांक 3 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 15/24/2003-डीजीएडी के तहत एक निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ की कि क्या प्रभावी शुल्क को समाप्त कर देने की स्थिति में पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता को केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या 07/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत दिनांक 05 जनवरी, 2015 को शामिल करते हुए उस दिन तक बढ़ा दिया था।

7. प्राधिकारी के अनुरोध पर, केंद्रीय सरकार ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 के अनुसार इस जांच को पूरा करने के लिए समयावधि छह अन्य महीनों के लिए अर्थात दिनांक 02 जुलाई, 2015 तक बढ़ा दी है।

8. वर्तमान समीक्षा के दायरे में संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित उपर्युक्त वस्तु के आयातों से संबंधित मूल जांच के सभी पहलू कवर होंगे।

ख. प्रक्रिया

9. संबद्ध जांच के संबंध में निम्नलिखित वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है :

(i) इस जांच की शुरूआत के संबंध में नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशें के राजदूतावासों को नियम 6(2) के अनुसार सूचित किया गया।

(ii) प्राधिकारी ने आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की प्रतियां उपरोक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार संबद्ध देशों के ज्ञात निर्यातकों और राजदूतावासों को उपलब्ध कराई। आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी उपलब्ध कराई गई और इसे, अनुरोध करने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराया गया।

(iii) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक प्रति संबद्ध देशों के निम्नलिखित ज्ञात विनिर्माताओं/निर्यातकों (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को प्रेषित की और नियम 6(2) एवं 6(4) के अनुसार उन्हें इस पत्र की तारीख से चालीस दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने का अवसर भी प्रदान किया :

चीन

1. मैसर्स लुओंयग फलोट ग्लास ग्रुप कंपनी लिमिटेड
2. मैसर्स क्विंगहुआंग्डाओ हुआझोऊ ग्लास कंपनी लिमिटेड, चीन

इंडोनेशिया

1. मैसर्स पीटी मुलिआ इंडस्ट्रिण्डो
2. मैसर्स पीटी तेन्सिण्डों
3. मैसर्स पीटी आब्डी रक्यात बक्ती

10. चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश होने के कारण चीन जन.गण. के सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा (एमईटी) प्रश्नावली भी प्रेषित की गई और चीन जन.गण. के राजदूतावास से यह अनुरोध किया गया कि वह निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्राधिकारी को संगत सूचना प्रदान कराए। हालांकि, इस जांच की शुरूआत के प्रयोजन के लिए चीन में सामान्य मूल्य पर विचार भारत संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत, विधिवत समायोजित, के आधार पर किया था, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को यह सूचित किया कि उनका प्रस्ताव आवेदकों के दावे की जांच, यथासंशोधित, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और पैरा 8 के आलोक में करने का है। इसलिए, चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों से यह अनुरोध किया गया कि वे ऊपर उल्लिखित अनुबंध-1 के पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में यथा-उल्लिखित आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें जिससे कि प्राधिकारी यह विचार करने में सक्षम हो सकें कि क्या उस देश के सहयोगकर्ता उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था उपचार प्रदान किया जा सकता है। तथापि, चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने इस संबंध में कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

11. संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली दायर नहीं की है।

12. प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक नोटिस की प्रतियां भारत में संबद्ध वस्तु के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/उपभोक्ताओं (जिनके नाम और पते प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे) को प्रेषित कीं और उन्हें यह परामर्श दिया कि नियम 6(4) के अनुसार पत्र जारी होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप से अवगत कराएं :

(i) महावीर मिरर इंडस्ट्रीज
(ii) इम्पैक्ट सेफ्टी ग्लास वर्क्स (प्राइवेट) लिमिटेड
(iii) लिबर्टी ग्लास हाउस
(iv) मोनिका एक्जिम इंटरनेशनल लिमिटेड
(v) चिनाय चिबलानी एंड कंपनी
(vi) मैसर्स टी एल वर्मा एंड कंपनी
(vii) राजीव इंटरप्राइजेज/समर्थ इंडस्ट्रीज

13. किसी भी आयातक/प्रयोक्ता/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने विनिर्धारित प्रश्नावली में कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, क्षति के संबंध में निम्नलिखित के द्वारा विधिक प्रस्तुतिकरण दायर किया गया :

(i) फेडरेशन आफ सेफ्टी ग्लास मैन्यूफैक्चरर्स, इंडिया (जिन्हें एतद्वारा "एफओएसजी" कहा गया है)

(ii) मैसर्स अजन्ता प्राइवेट लिमिटेड, भारत

14. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अवाप्त खेंपवार आयात आंकड़ों पर वर्तमान एसएसआर जांच में विश्लेषण के लिए भरोसा किया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने संभावना के आकलन के प्रयोजनार्थ प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए जांच की अवधि के पश्चात (जुलाई, 2013 – दिसम्बर, 2013) के आयात आंकड़ों की भी जांच की है।

15. उन निर्यातकों, उत्पादकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, जिन्होंने प्राधिकारी को न तो कोई प्रत्युत्तर दिया और न ही इस जांच से संगत सूचना प्रेषित की, प्राधिकारी द्वारा असहयोगकर्ता हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना गया है।

16. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां कहीं अधिपत्रित हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार कर लिया और ऐसी सूचना को गोपनीय के रूप में माना गया तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया गया। जहां कहीं संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकारों को यह निदेश दिया गया कि वे गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करें।

17. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ को नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए रखी एक सार्वजनिक फाइल को उपलपब्ध कराया गया। सैन डिस्क मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में डीजीसीआईएंडएस से अवाप्त आयात आंकड़ों के अगोपनीय पाठ को हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुली एक सार्वजनिक फाइल में प्राधिकारी द्वारा इस मामले के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, भारत में दायर अपील की पूर्वावधारण के बिना रखा गया।

18. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच उत्पादन लागत का निर्धारण करने के लिए की और भारत में संबद्ध वस्तु की गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण, संगत परम्परा के अनुसार किया जिससे कि यह सुनिश्चय किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से न्यूनतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई है, को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

19. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 29.04.2015 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे मौखिम रूप से अभिव्यक्त अपने विचारों का लिखित प्रस्तुतिकरण भी करें।

20. जांच की कार्रवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों का समाधान इस जांच में उस सीमा तक कर दिया गया जहां तक उसे संगत पाया गया और साक्ष्यों द्वारा उसका समर्थन किया गया।

21. प्रतिभागिताकारी घरेलू उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकड़ों का सत्यापन आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया।

22. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान जांच की कार्रवाई के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच की मनाही की है अथवा अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं कराई है अथवा जांच में भारी व्यवधान उत्पन्न किया है वहां प्राधिकारी ने "उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना" का प्रयोग किया है और ऐसे पक्षकारों को असहयोगकर्ता पक्षकार के रूप में माना है।

23. नियमावली के अनुसार प्राधिकारी ने अपने जांच-परिणाम का आधार तैयार करने से पहले इस मामले के अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन दिनांक 23 जून, 2015 को प्रकटित एक प्रकटन विवरण के रूप में किया है और हितबद्ध पक्षकारों ने इस पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए 29 जून, 2015 तक का समय दिया है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियों पर प्राधिकारी द्वारा संगत मानी गई सीमा तक विचार किया गया और उनका इस अंतिम जांच-परिणाम में समाधान कर दिया गया।

24. इस जांच परिणाम में **** हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का प्रतिनिधित्व करता है और प्राधिकारी ने नियमों के अंतर्गत उसे वैसा ही माना है।

25. इस जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि जुलाई, 2012 से जून, 2013 है और क्षति जांच के प्रयोजनार्थ वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 की अवधि तथा जांच की अवधि तक के आंकड़ों पर विचार किया गया है।

26. प्राधिकारी ने इस जांच की अवधि के लिए विनिमय दर संपरिवर्तन 55.15/-रुपए = 01 अमरीकी डालर के रूप में अपनाई है।

ग. विचाराधीन उत्पाद का दायरा और समान वस्तु हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया प्रस्तुतिकरण

27. मूल जांच तथा उत्तरवर्ती निर्णायक समीक्षा जांचों में विचाराधीन उत्पाद का निम्नवत उल्लेख किया गया है :

"सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 7005 के अंतर्गत आने वाला क्लीयर एवं टिन्टेड वैरायटी (हरित ग्लास के अलावा) का 2 एमएम से 12 एमएम की मोटाई का फ्लोट ग्लास, परंतु इसमें सजावटी, औद्योगिक अथवा आटोमोटिव प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रसंसाधित ग्लास समावेशित नहीं हैं।"

28. याचिकाकर्ता का यह दावा है कि इस संबद्ध वस्तु का आयात प्रशुल्क कोड 70051010, 70051090, 70052190, 70052110, 70052910, 70052990, 70053010 और 70053090 के अंतर्गत किया जाता है।

29. इस विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु के संबंध में किसी भी उत्पादक/निर्यातक द्वारा कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है। तथापि, मैसर्स अजन्ता प्राइवेट लिमिटेड और फेडरेशन आफ सेफ्टी ग्लास (एफओएसजी) ने अपने प्रस्तुतिकरणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित तर्क दिया है :

- यह कि आवेदक घरेलू उत्पादकों ने सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और यूएई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लीयर फ्लोट ग्लास के आयातों के संबंध में प्रारंभ की गई पाटनरोधी जांच (दिनांक 11 अप्रैल, 2013 की जांच शुरूआत अधिसूचना संख्या 14/25/2012 के तहत शुरू की गई) के लिए अपनी याचिका में विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत 4 एमएम – 12 एमएम की मोटाई के फ्लोट ग्लास को शामिल किए जाने का अनुरोध किया है। किसी अन्य जांच में इस विचाराधीन उत्पाद की ऐसी परिभाषा के परिणामस्वरूप यह युक्तिसंगत ढंग से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आवेदक घरेलू उत्पादक 4 एमएम की मोटाई से कम मोटाई के फ्लोट ग्लास का विनिर्माण नहीं कर रहे हैं और तदनुसार ही इसका अपवर्जन किया गया है। तदनुसार, इस समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा 4 एमएम से कम की मोटाई के फ्लोट ग्लास का अपवर्जन करने के उद्देश्य से प्रतिबंधित कर देने की जरूरत है।

- यह कि 4 एमएम से अधिक की मोटाई का फ्लोट ग्लास 4 एमएम से कम की मोटाई के फ्लोट ग्लास के "समान उत्पाद" नहीं है क्योंकि उनकी कोई वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा नहीं है। "समान उत्पाद" होने के उद्देश्य के लिए वे वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय होने चाहिए। 4 एमएम से अधिक की मोटाई का फ्लोट ग्लास 4 एमएम से कम की मोटाई के फ्लोट ग्लास से वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है। विभिन्न मोटाई के फ्लोट ग्लास का विनिर्माण करने में अंतर्ग्रस्त उत्पादन और लागत के संबंध में फ्लोट ग्लास की उत्पादन प्रक्रिया में भारी अंतर है। इसलिए, 4 एमएम से अधिक की मोटाई का फ्लोट ग्लास 4 एमएम से कम की मोटाई के फ्लोट ग्लास से न तो वाणिज्यिक रूप से और न ही तकनीकी रूप से प्रतिस्थानीय है।

- यह कि उत्पाद दायरे में निर्णायक समीक्षा में परिवर्तन किया जा सकता है और डीजीएडी ने अपनी पिछली जांचों में इसमें इस कारण से परिवर्तन भी किए हैं कि घरेलू उत्पादक प्रश्नावली उत्पाद का उत्पादन नहीं कर रहे हैं।

30. घरेलू उत्पाद ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(i) यह कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है। तदनुसार, वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहना चाहिए जो मूल जांच में था। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने भी घरेलू उद्योग के इस विचार की कोरिया आरपी से एसीटोन (एसएसआर) के मामले जैसे कई समान मामलों में पुष्टि की है।

(ii) यह कि घरेलू उद्योग ने क्षति जांच अवधि के दौरान 4 एमएम से कम की मोटाई के फ्लोट ग्लास का भी उत्पादन किया है और कतिपय हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त की गई आशंका निराधार है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में प्रतिदर्श बीजकों के रूप में साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है। घरेलू उद्योग ने अपनी इस बात को पुन: दोहराया है कि उनके प्रस्तुतिकरण उनके इस दावे की पूर्वाधारणा के बिना किए गए हैं कि विचाराधीन उत्पाद में निर्णायक समीक्षा जांच में परिवर्तन नहीं हो सकता है।

(iii) यह कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा घरेलू उद्योग को विशिष्ट स्रोतों से वास्तविक क्षति पर आधारित है। हालांकि चीन और इंडोनेशिया के मामले में पाटित आयात 2 एमएम से 12 एमएम की मोटाई के लिए क्षति कारित कर रहे हैं वही सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और यूएई के मामले में उत्पाद का दायरा 4 एमएम से 12 एमएम के बीच सीमित कर दिया गया था क्योंकि क्षति उसी सेगमेंट को हो रही थी।

प्राधिकारी द्वारा जांच

31. मूल जांच के साथ-साथ वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद को "क्लीयर तथा टिन्टेड वैरायटी के (हरित ग्लास के अलावा) 2 एमएम से 12 एमएम की मोटाई (दोनों मोटाइयों को समावेशित करते हुए) के फ्लोट ग्लास, परंतु इसमें सजावटी, औद्योगिक अथवा आटोमोटिव प्रयोजनों के लिए रिफ्लेक्टिव ग्लास, प्रसंसाधित ग्लास समावेशित नहीं" के रूप में परिभाषित किया गया है। इस विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा के दायरे से "रिफ्लेक्टिव ग्लास" का अपवर्जन दिनांक 22 मई, 2009 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 51/2009-सीमाशुल्क के द्वारा किया गया था। इस विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 में "ग्लास एवं

ग्लासवेअर" श्रेणी के अंतर्गत और फिर सीमाशुल्क वर्गीकरण के अनुसार 7005 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकार नहीं है।

32. जहां तक 4 एमएम से कम की मोटाई के फ्लोट ग्लास का अपवर्जन किए जाने का प्रश्न है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार उन्होंने क्षति अवधि के दौरान 4 एमएम से कम की मोटाई वाले फ्लोट ग्लास का विनिर्माण किया है और 4 एमएम से कम की मोटाई के फ्लोट ग्लास का क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात भी किया गया है और यह समान वस्तुएं हैं। तदनुसार, 4 एमएम से कम की मोटाई के फ्लोट ग्लास का अपवज्रन करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के दावे में कोई विशेषता नहीं है।

33. विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु के मुद्दे के संबंध में किसी अन्य पक्षकार द्वारा कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया है। इसलिए, प्राधिकारीयह संपुष्टि करते हैं कि वर्तमान समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो मूल जांच में था।

34. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यात की जा रही संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित की जा रही वस्तु से सभी तरह से समान है। इसलिए, घरेलू वस्तु को नियमावली के अभिप्राय के अंतर्गत आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु के रूप में माना गया है।

घ. घरेलू उद्योग एवं आधार

35. निर्णायक समीक्षा के लिए यह आवेदनपत्र मैसर्स सेंट गोबैन ग्लास इंडिया लिमिटेड, मैसर्स एचएनजी लिमिटेड और मैसर्स गोल्ड ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है जिनका जांच की अवधि के दौरान सामूहिक उत्पादन इस संबद्ध वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन का 66 प्रतिशत हिस्सा बनता है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में इस विचाराधीन उत्पाद के दो अन्य ज्ञात उत्पादक भी हैं नामश: मैसर्स असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड और मैसर्स गुजरात गार्डियन लिमिटेड। यह दोनों इस आवेदन का पूरी तरह से समर्थन करते है। घरेलू उद्योग के आवेदन का वर्तमान जांच में देश में किसी अन्य उत्पादक ने विरोध नहीं किया है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं के पास यह आवेदनपत्र दायर करने का आधार है और वे क्षति जांच के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अभिप्राय के अंतर्गत घरेलू उद्योग भी हैं। घरेलू उद्योग का आधार एवं दायरे के संबंध में किसी भी अन्य उत्पादक/निर्यातक/अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अन्य प्रस्तुतिकरण नहीं किया है।

ड. गोपनीयता

36. विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों ने यह आरोप लगाया है कि आवेदक घरेलू उत्पादकों ने उत्पादन प्रक्रिया, खरीद नीति, बिक्री नीति, मालसूची और गुणवत्ता नियंत्रण क्रियाविधि के संबंध में भारी गोपनीयता का दावा किया है।

37. घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि उन्होंने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों और विधिक प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कारणों से अपने व्यवसाय संवेदी सूचना के संबंध में ही गोपनीयता का दावा किया है। गोपनीयता का दावा करने के कारणों एवं आधारों का उल्लेख आवेदनपत्र का दावा करने के कारणों एवं आधारों का उल्लेख आवेदन पत्र के अगोपनीय पाठ में कर दिया गया है। इसलिए, अतिशय गोपनीयता के आरोप लगाते हुए कतिपय हितबद्ध पक्षकारों का दावा निराधार है।

38. यह नोट किया जा सकता है कि इस मामले में किसी भी आयातक अथवा निर्यातक ने कोई भी प्रश्नावली प्रत्युत्तर नहीं दिया है। घरेलू उद्योग के गोपनीयता संबंधी दावों की जांच की गई है और संतष्ट होने पर ही व्यवसाय संवेदी सूचना पर ही गोपनीयता के दावे की अनुमति दी गई है। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न साक्ष्यों के अगोपनीय पाठयुक्त एक सार्वजनिक फाइल सभी हितबद्ध पक्षकारों को अनुरोध करने पर, नियम 6(7) के अनुरूप उपलब्ध कराई है।

च. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दे

च.1. निर्यातकों/आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

39. संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, मैसर्स अजन्ता प्राइवेट लिमिटेड और एफओएसजी ने, अपने-अपने विधिक प्रस्तुतिकरणों में यह आत्माभिव्यक्ति की है कि :

(i) यह कि वर्तमान समीक्षा जांच में मैसर्स अन्जता प्राइवेट लिमिटेड एक हितबद्ध पक्षकार है। यदि जांच की अवधि के दौरान कोई भी आयात नहीं किया जाता है तब भी हितबद्ध पक्षकारों के रूप में याचिका का अधिकार प्रभावित नहीं होता है।

(ii) यह कि एफओएसजी 40 दिनों की अनुमत सीमा के अंदर अपना अभ्यावेदन नहीं कर सका क्योंकि प्रबंधन को आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और वह रूपांतरण की प्रक्रियाधीन था। उक्त एसोसिएशन के प्रबंधन में नवम्बर, 2014 में परिवर्तन हुआ और तदनुसार, एफओएसजी ने यथासंभव उपलब्ध समय में अतिशीघ्र अपनी आपत्तियां दायर करने का प्रयास किया। यह प्रासंगिक ही है कि अपनी आपत्तियां दायर करते समय समीक्षा की कार्रवाई पूरी नहीं हुई थी और इस कार्रवाई की अवधि को अगले छह माह की अवधि अर्थात 03/07/2015 तक बढ़ा दिया गया। निर्दिष्ट प्राधिकारी चूंकि एक न्यायिक-कल्प प्राधिकारी हैं, न कि एक "न्यायालय", इसलिए इस कार्रवाई से संबंधित आपत्तियां दायर करने में हुए विलंब के लिए क्षमायाचना करने की जरूरत नहीं है।

(iii) यह कि आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादकों ने भारत में इस संबद्ध वस्तु के संबंध में आयात आंकड़ों का प्रकटन करते समय केवल परिष्कृत आंकड़े ही प्रस्तुत किए हैं और अपरिष्कृत आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदनकर्ता घरेलू उत्पादकों ने अपनी याचिका में इस विचाराधीन उत्पाद के आयात आंकड़ों का संकलन करने के लिए अपनाई गई क्रियाप्रणाली का प्रकटन नहीं किया है।

(iv) यह कि आवेदक घरेलू उत्पादकों ने समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, पत्तन प्रहस्तन, अंतर्भूमि भाड़ा और बिक्री कमीशन अथवा बैंक प्रभारों की श्रेणी के अंतर्गत की गई घटौतियों के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है।

(v) यह कि प्रतिवादी ने प्राधिकारी ने विभिन्न मोटाई के फ्लोट ग्लास के अंतिम प्रयोग तथा तकनीकी अभिलक्षणों में व्यापक अंतर को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मोटाई के फ्लोट ग्लास के लिए पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन का निर्धारण करने का अनुरोध किया है।

(vi) यह कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा यूएसडी के लिए अपनाई गई विनिमय दर 55.15/-रुपए है। तथापि, आरबीआई के अनुसार यूएसडी के लिए इस समय प्रचलित दर 63.50/-रुपए है। इसका आशय यह है कि इस समय भारत को किए जा रहे आयातों की कीमत उस कीमत से बहुत अधिक है जिसका प्रयोग उन्होंने जांच की अवधि के दौरान किया था। यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि आवेदक घरेलू उत्पादकों ने कीमत अधोरदन का जो दावा किया है कि 55.15/-रुपए की विनिमय दर पर विचार करने के पश्चात किया है। इस तरह की असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत जहां घरेलू मुद्रा का सवंर्धित दर पर अवमूल्यन हुआ, प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह क्षति के संबंध में कोई भी निर्धारण करते समय इस कारक पर विचार अवश्य करें।

(vii) यह कि घरेलू उद्योग ने मूल जांच में अनंतिम शुल्क का अधिरोपण करने से लेकर अब तक डीजीएडी से पर्याप्त संरक्षण प्राप्त कर लिया है। इस संरक्षण में पिछली निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्क में वृद्धि करके पुन: वृद्धि की गई। पिछले दस वर्षों से इतना अधिक संरक्षण प्राप्त होने के बावजूद घरेलू उद्योग अपनी कमजोरी में सुधार करने में असफल रहा और वह प्राधिकारी द्वारा दिए गए संरक्षण पर बढ़-चढ़कर निर्भर हाता जा रहा है। इसलिए, प्रतिवादीगण डीजीएडी से इस पाटनरोधी शुल्क में और अधिक विस्तार न करने का अनुरोध करते हैं।

(viii) यह कि इस निर्णायक समीक्षा को खारिज कर दिया जाना अपेक्षित है क्योंकि समीक्षा की कार्रवाई एक वर्ष की अवधि से अधिक समय के लिए नहीं जारी रखी जा सकती है। नियम 32(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) केंद्रीय सरकार को पाटनरोधी शुल्क के उदग्रहण की अवधि को केवल एक वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार केवल ऐसी स्थिति में प्रदान करती है जहां निर्णायक समीक्षा इस शुल्क का अधिरोपण किए जाने की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति से पहले पूर्ण नहीं होती है।

(ix) एफओएसजी भारत में प्रासेस्ड ग्लास विनिर्माताओं का एक परिसंघ/एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन के सदस्य टफेंड, इन्सुलेटेड और लैमिनेटेड ग्लासों का विनिर्माण कर रहे "प्रासेस्ड ग्लास इंडस्ट्री" का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा उत्पादित वस्तु की बाजार का आकार भारत में लगभग 2800 करोड़ रुपया है जबकि फ्लोट ग्लास उद्योग का आकार लगभग 4000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष है। यह उद्योग भारत में कुल फ्लोट ग्लास बाजार के लगभग 35-40 प्रतिशत की खपत करती है। मूल्य के रूप में भारत में फ्लोट ग्लास उद्योग के कुल लगभग 4000 करोड़ रुपए के प्रति वर्ष बाजार आकार में इसका भाग लगभग 1500 करोड़ रुपया है। इसलिए, फ्लोट ग्लास पर अधिरोपित कोई भी लेवी प्रासेस ग्लास उद्योग पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालेगी।

(x) घरेलू उद्योग, जिसने यह अभ्यावेदन किया है, उसमें उसके उन तीन सदस्यों का ही वर्चस्व है जिन्होंने पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवेदन किया है। इन 3 उद्योगों में अर्थात गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, एचएनजी फ्लोट ग्लास लिमिटेड और सेंट गोबैन ग्लास इंडिया लिमिटेड का उत्पादन भारत में फ्लोट ग्लास के कुल उत्पादन का लगभग 68 प्रतिशत उत्पादन (जैसाकि उन्होंने याचिका में स्वीकार किया है) है। इसलिए उनकी समस्त योजना अपने उत्पादन को अधिकतम करने और इस मामले में अन्य तथ्यों का निग्रहण/मिथ्या निरूपण करके पाटनरोधी शुल्क के साधन का प्रयोग करके लाभ अर्जित करना है।

40. उपर्युक्त हितबद्ध पक्षकारों के अलावा, मैसर्स पीटी मुलीग्लास, इंडोनेशिया ने भी सार्वजनिक सुनवाई के स्तर पर संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह आत्माभिव्यक्ति की गई कि भारत में घरेलू उद्योग ने पहले ही 12 वर्षों से पाटनरोधी शुल्क का लाभ उठाया है जो उनको अपना उत्पादन और अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए उत्पादन प्राचलों को समायोजित करने के लिए अपेक्षित समय से अधिक समय है। अधिक लंबे समय तक संरक्षण दिए जाने से यह संभव है कि कारटेल की स्थिति पैदा हो जाए जो भारत में अनुप्रवाही उद्योग के लिए हितकर नहीं होगा। यह तर्क दिया गया है कि क्षति जांच अवधि के दौरान भारत को उनका निर्यात बहुत कम है जो यह सिद्ध करता है कि यद्यपि वे भारत में विकास प्रक्रिया में प्रतिभागिता करना चाहते हैं परंतु उनका आशय भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन करना नहीं है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), इंडोनेशिया सरकार ने, अपने राजदूतावास के जरिए भी सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया था और यह तर्क दिया है कि पाटनरोधी शुल्क का द्वितीय अधिरोपण स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह असंभव है कि याचिकाकर्ताओं को पाटित उत्पादों द्वारा कारित वास्तविक क्षति अभी भी हो रही हो जब कि इंडोनेशियाई उत्पादकों ने भारत को फ्लोट ग्लास का निर्यात नहीं किया। इसके साथ ही डीजीएफटी इंडोनेशिया ने यह प्रस्तुतिकरण भी किया है कि मैसर्स सेंट गोबैन ने इंडोनेशिया के निर्यातकों से इस संबद्ध वस्तु का आयात किया है और इसलिए वे घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के पात्र नहीं हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उपर्युक्त दोनों अभिकथन एक-दूसरे के विरोधी हैं आर यह अभिकथन आंकड़ों द्वारा समर्पित नहीं है।

च.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

41. घरेलू उद्योग अपने विभिन्न प्रस्तुतिकरणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क दिया है कि :

(i) यह कि मैसर्स अजन्ता प्राइवेट लिमिटेड ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने आयातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर स्पष्टत: इस आधार पर प्रस्तुत नहीं किया है कि उन्होंने संपूर्ण जांच अवधि के दौरान कोई भी आयात नहीं किया था। उपर्युक्त पक्षकार इस बात का कोई कारण नहीं प्रदान कर सकी कि आयातक प्रश्नावली के उन शेष भागों को क्यों नहीं भरा गया जहां तीन वर्षों से पहले की सूचना मांगी गई है। विधि की यह एक सुस्पष्ट स्थिति है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार हितबद्ध पक्षकार के रूप में अर्ह बनाने के लिए संबंधित पक्षकार को जांच की अवधि के दौरान एक आयातक होना चाहिए। तथापि, यह उल्लेख किया जा सकता है कि माननीय प्राधिकारी को यह विवेकाधिकार है कि वह किसी भी पक्षकार को दर्शाए गए सदकारणों से हितबद्ध पक्षकार के रूप में अनुमति दें। ऐसे किसी भी अनुरोध अथवा आधार के अभाव में, यह प्रस्तुत किया गया कि उक्त पक्षकार को नियम 2(ग) के आशय के अंतर्गत हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(ii) यह कि एफओएस के प्रस्तुतिकरणों को सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने प्रस्तुतिकरणों में यह स्वीकार किया है कि वे जांच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के अंदर अपना प्रत्युत्तर दायर करने में सक्षम नहीं हो पाए क्योंकि इस परिसंघ का प्रबंधन आंतरिक समस्याओं का सामना कर रहा था। इस संदर्भ में घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि प्राधिकारी ने यह जांच 03 जनवरी, 2014 को प्रारंभ की थी जबकि एफओएसजी ने अपना प्रस्तुतिकरण 05 जनवरी, 2015 को अर्थात निर्धारित तारीख से लगभग ग्यारह महीने पश्चात दायर किया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस असामान्य विलंब के लिए सदकारणों का प्रदर्शन करने के पश्चात भी इसके लिए खेद व्यक्त नहीं किया।

(iii) संबद्ध वस्तु के लिए आयात आंकड़ों का चयन सौदावार-आयात आंकड़ों में दिए गए प्रत्येक सौदे के विवरण के आधार पर किया है। इस विचाराधीन उत्पाद के लिए आयात आंकड़ों का संग्रह करने के आधार का याचिका में स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, जहां तक स्रोत के अपरिष्कृत आंकड़ों का संबंध है, आवेदन में अवधि एवं प्रशुल्क शीर्षों का उल्लेख किया गया है। जहां तक इस विचाराधीन उत्पाद के संपूर्ण के संबंध में और उन शीर्षकों के संबंध में अपरिष्कृत आंकड़े प्रदान करने की कोई विधिक अपेक्षा नहीं है कि जहां से वे आंकड़े लिए गए हैं उनका प्रस्तुतिकरण के अगोपनीय पाठ में प्रकटन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि यदि हितबद्ध पक्षकारों के अभिवचन को मान लिया जाता है तो इसका वास्तविक आशय यह होगा कि घरेलू उद्योग को उन उप-शीर्षकों का भी विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जिनका आयात आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

(iv) यह कि घरेलू उद्योग ने वह सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो युक्तिसंगत रूप से उपलब्ध थे, खासकर इस तथ्य पर विचार करते हुए कि घरेलू उद्योग ने इस जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का स्वयं आयात नहीं किया है। घरेलू उद्योग ने निर्यात कीमत के समायोजन का दावा अपनी बाजार आसूचना में अनुसार किया है जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी की संगत परम्परा के अनुसार जांच की शुरूआत करने के लिए एक पर्याप्त साक्ष्य माना जाता है।

(v) यह कि इस विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत के संबंध में मोटाई आदि के रूप में अंतरों का समाधान करने और समुचित तुलना करने के लिए टन आधार पर प्रदान कराए गए है।

(vi) यह कि सामान्य मूल्य, गैर-क्षतिकारी कीमत आदि का परिकलन करने के लिए जांच की अवधि की विनिमय दर को अपनाना पाटनरोधी प्राधिकारियों द्वारा अपनाई जा रही एक मानक प्रक्रिया है जो तर्क ठोस आर्थिक और लेखाकरण तर्काधार पर आधारित है। प्राधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया को चीन जन.गण. से शीट ग्लास और पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया आदि से फ्लोट ग्लास जैसे कई मामलों में निरंतर रूप से अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त, इन पक्षकारों ने उक्त अधिगम में किसी विधिक या तर्कसंगत अशक्तता का उल्लेख नहीं किया है।

(vii) यह कि हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क के इस निर्णायक समीक्षा को खारिज कर दिए जाने की जरूरत है क्योंकि समीक्षा की कार्रवाई को एक वर्ष से अधिक के समय तक नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि नियम 32(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) केंद्रीय सरकार पाटनरोधी शुल्क का उदग्रहण केवल एक वर्ष की अवधि के लिए करने की शक्ति प्रदान की गई है, यह तर्क अतर्कित और बिना किसी तर्कसंगत खूबी के है। इस प्रसंग में धारा 9क(5) के प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया जिसमें स्वयं यह प्रावधान किया गया है कि शुल्क का अधिरोपण इसके अधिरोपण की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। प्रथम परंतुक के अनुसार इस अवधि को अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए पुन: बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि उसमें उल्लिखित शर्तें पूरी होती हों। द्वितीय उपबंध में जांच का निष्कर्ष लंबित रहने तक शुल्क के संग्रहण की अवधि को को एक अन्य वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तदनुसार, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि किसी जांच की निरंतरता को छह वर्ष की अवधि से अधिक समय तक जारी रखने का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिबंध नहीं है, यद्यपि द्वितीय उपबंध के अंतर्गत यह प्रतिबंध हो सकता है कि शुल्क एक वर्ष से अधिक तक के समय के लिए प्रभावी नहीं रखा जा सकता है। स्पष्टत:, वाक्यांश "एक वर्ष से अधिक की अवधि" को शुल्क के संदर्भ में पढ़ा जा सकता है न कि समीक्षा जांच के संदर्भ में।

(viii) इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी नियमावली के नियम 17 की ओर प्राधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें जांच को पूरा करने के लिए 18 माह तक की समयावधि की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, नियम 23(3) स्पष्टत: यह उल्लेख करता है कि समीक्षा जांच के मामले में नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। तदनुसार, नियम 17 के प्रावधान निर्णायक समीक्षा मामलों पर भी लागू होते है। नियम 17(1) का प्रथम प्रावधान विशेष रूप से यह उल्लेख करता है कि केंद्रीय सरकार जांच को पूरा करने के लिए इस एक वर्ष की अवधि को अगले छह माह तक के लिए पुन: बढ़ा सकती है।

(ix) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय (कुम्हो पेट्रोकैमिकल्स कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ के एनबीआर मामले में) के अभी हाल ही के निर्णय की ओर माननीय प्राधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें प्राधिकारी को इस तथ्य के बावजूद भी जांच जारी रखने की अनुमति दी गई थी कि पाटनरोधी शुल्क की अवधि पांच वर्ष से अधिक हो रही है। पुन: यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 9क(5) के उपबंधों, नियम 23 और 17 का केवल सुमेलीकृत निर्वचन ही शुल्क के संग्रहण के परंतुक के साथ पढ़ा जाएगा जो जांच की कार्रवाई पूरी करने की अनुमत अवधि से पृथक है। कोई अन्य निर्वचत निश्चय की धारा 9क(5) में प्रावधान किए गए घरेलू उद्योग के निहित अधिकारों का उल्लंघन होगा। किसी भी हाल में, नियम 23 के इस ढंग से नहीं पढ़ा जा सकता है जिससे यह विधायिका द्वारा निहित अधिकारों का ध्यान कर ले। विधि की यह एक सुस्थापित प्रक्रिया है कि किसी नियम का निर्वचन इस तरह से नहीं किया जा सकता है जिससे मुख्य अधिनियम के उद्देश्य एवं प्रयोजन हताश हों। इसलिए, यह पर्याप्तत: स्पष्ट है कि निर्णायक समीक्षा मामले में कार्रवाई एक वर्ष से अधिक के समय तक के लिए जारी रखी जा सकती है और इस अधिरोध का सर्वोत्तम उपयोग शुल्क का छह वर्षों से अधिक की अवधि के लिए संग्रहण पर ही किया जा सकता है। अत: प्राधिकारी के समक्ष कोई विधिक अदृढ़ता और कमी नहीं है।

(x) यह कि प्राधिकारी ने यह संगत दृष्टिकोण अपनाया है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य समान अवसर प्रदान करना है और संबद्ध देशों से पाटित आयातों के क्षतिकारी प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग को राहत प्रदान करना अथवा शुल्क को वापस लिए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की चुनौती से राहत प्रदान करना है।

च. प्राधिकारी द्वारा जांच

42. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके समक्ष उठाए गए मुद्दों की जांच निम्नवत की है :

(i) जहां तक आयात आंकड़ों का संबंध है, प्राधिकारी ने सैनडिस्क मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसरण में सार्वजनिक फोल्डर में सौदावार आंकड़े इस पूर्वावधारणा के बिना उपलब्ध करा दिए कि उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय में इसकी अपील की है।

(ii) जहां तक विभिन्न निर्धारणों के लिए प्रयोग किए गए विनिमय दर के संबंध में कुछ हितबद्ध पक्षकारों का संबंध है, प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि पाटनरोधी जांच में किए गए सभी निर्धारण एक विशिष्ट अवधि के लिए किए जाते हैं। किसी का भी यह तर्क नहीं है कि एक वर्ष की अवधि के लिए आंकड़ों और विनिमय दर पर किसी अन्य अवधि के लिए (चालू खाता में) विचार किया जाना चाहिए। इससे तस्वीर और अधिक विकृत ही होगी। इसलिए, जांच की अवधि के लिए विनिमय दर का प्रयोग, प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई संगत परम्परा के अनुसार सभी निर्धारणों के लिए किया गया है।

(iii) हितबद्ध पक्षकारों के इस दावे के संबंध में कि इस निर्णायक समीक्षा को खारिज कर दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि समीक्षा की कार्रवाई को एक वर्ष की अवधि से अधिक की अवधि के लिए नहीं चलाया जा सकता है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9क(5) और नियमावली के नियम 23 का संरचनात्मक निर्वचन यह संकेत करता है कि समीक्षा जांच को इसके प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष से अधिक की समयावधि के लिए जारी रखने पर कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस मुद्दे को विभिन्न पक्षकारों ने माननीय न्यायालयों के समक्ष उठाया गया है और न्यायालयों ने इस निर्वचन के विरुद्ध अभी तक कोई निर्णय अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया है। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस तर्क को स्वीकार करते हैं कि ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों को पढ़ने का एकमात्र सुव्यवस्थित तरीका यह प्रतिपादित करना है कि निर्णायक समीक्षा की कार्रवाई को विधि के किसी विशिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन किए बिना एक वर्ष की अवधि से अधिक की अवधि के लिए की जा सकती है।

(iv) जहां तक इस मुद्दे का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने पिछले 12 वर्षों से पर्याप्त संरक्षण प्राप्त किया है और इस शुल्क की निरंतरता बनाए रखने का घरेलू उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि याचिकाकर्ता इस संरक्षण का उपयोग अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए कर रहे हैं, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सभी को समान अवसर प्रदान करना है और घरेलू उद्योग को पाटन के क्षतिकारी प्रभावों के कारण घरेलू उद्योग को राहत प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क में घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण प्रदान करने की प्रकल्पना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस तरह का कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि संबद्ध देशों से आयातों से विरुद्ध शुल्क की निरंतरता किस तरह अर्थव्यवस्था अथवा देश के व्यापक हित के लिए अलाभकर होगी। तथापि, अनुचित संरक्षण, यदि कोई, के मुद्दे कीर जांच संगत धाराओं के अंतर्गत की गई है ताकि शुल्क का अधिरोपण अनुचित रूप से उस अवधि से अधिक के समय के लिए न किया जा सके, जिसके लिए इसका अधिरोपण किया जाना अपेक्षित है।

43. इस जांच के पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों का समाधान इस विवरण के संगत खंडों में यथावश्यक सीमा तक, जहां तक वे संगत हैं, समाधान कर दिया गया है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1. विधिक प्रावधान

44. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) में प्रावधान है कि :

"इस धारा के अंतर्गत अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि उसका पहले प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है तो, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात निष्प्रभावी हो जाएगा;

शर्त यह है कि यदि केंद्रीय सरकार का, एक समीक्षा में यह विचार है कि ऐसे शुल्क को समाप्त कर देने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह, ऐसे अधिरोपण की अवधि को, समय-समय पर अगले पांच वर्षों तक की अवधि के लिए बढ़ा सकती है और यह बढ़ी हुई अवधि ऐसे विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी;

शर्त यह भी है कि जब उक्त पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति से पहले प्रारंभ की गई किसी समीक्षा का निष्कर्ष ऐसे समापन से पहले नहीं आ सकता है तो ऐसे समीक्षा का परिणाम लंबित रहने तक पाटनरोधी शुल्क एक अन्य वर्ष से अनधिक समय तक जारी रहेगा।"

45. तदनुसार, निर्णायक समीक्षा जांच में यह जांच करना होता है कि :

- क्या पाटन, पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के पश्चात भी जारी रहा और यदि ऐसा हुआ तो क्या इसके जारी रहने की संभावना है;
- उन मामलों में जहां पाटन की निरंतरता नहीं होती है तो क्या पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होगी;
- क्या घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की निरंतरता बनी रही और यदि ऐसा है तो क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने से घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बनी रहेगी;
- उन मामलों में, जहां घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता नहीं हुई है, तो क्या पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

46. इसलिए, इस तथ्य की जांच करने से पहले कि क्या पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में पाटन की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और ऐसी स्थिति में क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, पाटन एवं क्षति की निरंतरता की जांच की गई है।

छ.2. पाटन की निरंतरता की जांच सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

47. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी भी उत्पादक अथवा निर्यातक ने अपने सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर कोई सूचना प्रदान करने के लिए कोई भी प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के संबंध में कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया है।

48. घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि चीन, एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश होने के कारण उस देश में संबद्ध वस्तु का निर्धारण उस देश में प्रचलित कीमत के आधार पर नहीं किया जा सकता है और इसलिए उसे संरचित किए जाने की आवश्यकता है। चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के संबंध में घरेलू उद्योग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क दिया है कि :

(i) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक। कंपनी और उनका ग्रुप समग्र रूप से दावा नहीं करते हैं। वर्तमान मामले में, बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के लिए कोई दावा नहीं किया गया है। चीन के किसी भी निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है और न ही उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा किया है।

(ii) जब निर्यातक द्वारा कोई प्रत्युत्तर दायर न किया गया हो तो चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण (क) भारत में कीमत; और (ख) भारत में उत्पादन लागत, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और अनुबंध-1 के पैरा में 7 में यथावर्णित प्रक्रिया के अनुसार लाभ सहित, विधिवत समायोजन करते हुए और निर्यातक द्वारा अपनाई जा रही संगत प्रक्रिया के अनुरूप किया जा सकता है। चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर किया जाना चाहिए।

(iii) चीन के लिए सामान्य मूल्य की संरचना कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करके और घरेलू उद्योग सहित, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर खपत मानकों और संपरिवर्तन लागत पर विचार करके किया जा सकता है।

49. जहां तक इंडोनेशिया का संबंध है, घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि वहां के किसी निर्यातक और अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने उस देश में सामान्य मूल्य के संबंध में सूचना प्रदान करते हुए कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। इंडोनेशिया से किसी भी प्रकार

के प्रत्युत्तर के अभाव में इस देश के लिए सामान्य मूल्य की संरचना कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करते हुए और घरेलू उद्योग के खपत मानकों और संपरिवर्तन लागत सहित, इनके संबंध में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के आधार पर करनी चाहिए।

छ.3. चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

50. जांच की शुरूआत के स्तर पर प्राधिकारी ने इस प्रकल्पना के साथ कार्रवाई की थी कि चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। जांच की शुरूआत करने पर, प्राधिकारी ने चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को इस जांच शुरूआत के नोटिस का प्रत्युत्तर देने और उनकी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का निर्धारण करने के लिए संगत सूचना प्रदान करने का सुझाव दिया। प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को एमईटी प्रश्नावली की प्रतियां प्रेषित कीं जिससे वे नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना का खंडन कर सकें। प्राधिकारी ने चीन की सरकार से भी यह अनुरोध किया कि वह चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना प्रदान करने का सुझाव दें। तथापि, चीन के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विगत कई वर्षों से चीन को भारत द्वारा तथा डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्यों द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है।

51. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर और चीन की किसी भी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की प्रकल्पना का खंडन न किए जाने की स्थिति में, प्राधिकारी चीन जन.गण. को वर्तमान जांच में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानना उचित समझते हैं और चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के साथ आगे बढ़ने का प्रस्ताव करते हैं।

52. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में प्रावधान है कि:

> *"गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में कीमत अथवा विनिर्मित मूल्य, अथवा ऐसे तृतीय देश से भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत के आधार पर किया जायेगा अथवा जहां संभव न हो वहां किसी अन्य तर्क संगत आधार पर, भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप में संदत्त अथवा प्रदत्त कीमत सहित विधिवत समायोजित कीमत जिसमें तर्क संगत लाभ मार्जिन को शामिल किया जा सके, के आधार पर किया जायेगा। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा तर्क संगत ढंग से, संबंधित देश और प्रश्नाधीन उत्पाद के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश का चयन किया जायेगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भरोसेमंद सूचना पर समुचित ध्यान दिया जायेगा। निश्चित समयसीमा के अंदर, जहां आवश्यक हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के बारे में किसी समान मामले में की गई जांच को भी ध्यान रखा जायेगा। जांचकर्ता पक्षकारों को बिना किसी अनुचित विलम्ब के बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश के उपर्युक्त चयन के बारे में सूचना दी जायेगी और उन्हें अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए तर्क संगत समय प्रदान किया जायेगा।"*

53. इस संबंध में चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रथम एवं द्वितीय विकल्प में उल्लिखित शर्तों के अनुसार किए जाने की संभावना की जांच की गई है। इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने किसी उपयुक्त तृतीय देश का चयन, उस देश में लागत एवं कीमत के आधार अथवा उक्त देश से अन्य देशों को, जिनमें भारत भी शामिल है, कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्रत्यायुक्त के रूप में करने के लिए ऊपर उल्लिखित पैरा 7 के प्रथम दो विकल्पों के अनुरूप चीन में सामान्य मूल्य के रूप में करने के लिए कोई सार्थक सूचना प्रदान नहीं की है।

54. इसलिए, चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण ऊपर उल्लिखित नियमावली में प्रावधान किए गए तृतीय विकल्प के अनुरूप किया गया है और सामान्य मूल्य की संरचना कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के लिए उपयुक्त समायोजन करने के पश्चात भारत में कार्यकुशल घरेलू उत्पादक/संयंत्र की उत्पादन लागत के आधार पर की गई है। प्राधिकारी ने संगत परम्परा के अनुसार तर्कसंगत लाभ के लिए भी प्रावधान किया है। तदनुसार, चीन के निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नवत किया गया है :

	रुपए/एमटी
उपभोज्यों सहित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार कच्चे माल की लागत	****
उपयोगी वस्तुओं की लागत	****
ब्याज सहित एसजीए	****
बनाने और बिक्री करने की लागत	****
5% की दर से लाभ	****
संरचित सामान्य मूल्य	****
सीएनवी यूएस डालर/एमटी	****

छ. 4. इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

55. चूंकि इंडोनेशिया के किसी भी उत्पादक और निर्यातक ने इंडोनेशिया में इस संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए इंडोनेशिया में सामान्य मूल्य का निर्धारण उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर किया गया है जिनमें घरेलू उद्योग की याचिका में निहित सूचना भी शामिल है। तदनुसार, इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य की संरचना भारत में कार्यकुशल घरेलू उत्पादक/संयंत्र की उत्पादन लागत के आधार पर, प्रमुख कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का समायोजन करने के पश्चात, सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के रूप में, तर्कसंगत लाभ के लिए उपयुक्त प्रावधान करके की है। तदनुसार, इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तु के प्रस्तावित सामान्य मूल्य का निर्धारण निम्नवत किया गया है :

	रुपए/एमटी
अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप कच्चे माल की लागत	****
उपयोगी वस्तुओं की लागत	****
ब्याज सहित एसजीए	****
बनाने और बिक्री करने की लागत	****
5% की दर से लाभ	****
संरचित सामान्य मूल्य	****
सीएनवी यूएस डालर/एमटी	****

छ. 5. निर्यात कीमत

56. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में पाटन एवं क्षति का आकलन करने के प्रयोजनार्थ, इन्फोड्राइब प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों को प्रदान किया है। प्राधिकारी ने सौदावार आयात आंकड़े डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त किए हैं। चूंकि निर्यातक देशों के किसी भी निर्यातक ने कोई भी ऐसी सूचना प्रदान नहीं की है जिसका उपयोग निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए किया जा सके, इसलिए संबद्ध देशों के सभी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों में की गई रिपोर्ट के अनुसार आयातों की सीआईएफ कीमत के आधार पर किया है। चूंकि डीजीसीआईएंडएस प्रदान कराए गए सौदावार आयात आंकड़ों में विचाराधीन उत्पाद और अन्य अपवर्जित मदों अथवा असंबद्ध वस्तु दोनों के बारे में सूचना निहित है इसलिए इन आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और विचाराधीन उत्पाद की मात्रा एवं उसके मूल्य का निर्धारण अपवर्जित मदों तथा असंबद्ध वस्तु के लिए आंकड़ों की छंटनी करके किया गया। चूंकि डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों में भारी संख्या में सौदा लाइनों में आयातित उत्पाद का संपूर्ण विवरण नहीं दर्शाया गया है इसलिए उन वस्तुओं का विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद के रूप में पृथक्करण करने के लिए, पाटन एवं क्षति की जांच करने के प्रयोजनार्थ एक तर्कसंगत तरीका अपनाया गया है।

57. यह नोट किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित डीजीसीआईएंडएस आयात आंकड़ों के अनुसार जांच की अवधि के दौरान चीन जन.गण. से 3846 एमटी संबद्ध वस्तु का और इंडोनेशिया से 101 एमटी संबद्ध वस्तु का आयात किया था। संबद्ध देशों में अलग-अलग निर्यातकों द्वारा कोई ठोस सूचना प्रदान न किए जाने के कारण चीन जन.गण. और इंडोनेशिया के लिए निर्यात कीमत का परिकलन फैक्टरी बाह्य स्तर पर निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए समुद्री भाड़ा, सामुद्रिक बीमा, पत्तन व्यय, कमीशन, निर्यात के देश में अंतर्देशीय परिवहन और बैंक प्रभारों के लिए लागू समायोजन के आधार पर सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर किया गया है।

58. तदनुसार, चीन और इंडोनेशिया में संबद्ध वस्तु के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण निम्नवत किया गया है :

विवरण	यूनिट	इंडोनेशिया	चीन जन.गण.
आयात मात्रा	एमटी	101	3,846
आयात मूल्य	रुपए	14,93,750	458,55,018
सीआईएफ कीमत	रुपए/एमटी	14,790	11,923
एफओबी कीमत	रुपए/एमटी	****	****
समायोजन	रुपए/एमटी	****	****
निवल निर्यात कीमत	रुपए/एमटी	****	****
निवल निर्यात कीमत	यूएस डालर/एमटी	****	****

विनिमय दर : 55.15 रुपए = 1 यूएस डालर

छ.6. पाटन मार्जिन

59. फैक्टरी बाह्य स्तर पर ऊपर यथानिर्धारित संरचित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना करके संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नवत किया गया है :

देश	सामान्य मूल्य (यूएसडी/एमटी)	निवल निर्यात कीमत (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडी/एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
चीन	****	****	****	****	165-175%
इंडोनेशिया	****	****	****	****	100-110%

60. इस तरह निर्धारित पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक तथा पर्याप्त है।

ज. क्षति एवं कारणात्मक संबंध तथा घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति की संभावना का निर्धारण

ज.1. विधिक स्थिति

61. एक निर्णायक समीक्षा जांच में जैसा कि पहले नोट किया गया है, क्षति जांच के संबंध में को निम्नलिखित जांच करना अपेक्षित होता है कि :

- क्या घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति हुई है और यदि हां, तो क्या घरेलू उद्योग को क्षति बने रहने की संभावना है;
- उन मामलों में जहां घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति नहीं हुई है वहां क्या पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

62. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्तुतिकरण किया है कि संबद्ध देशों से इस विचाराधीन उत्पाद का सतत पाटन हुआ है, यद्यपि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के परिणामस्वरूप पाटित आयातों की मात्रा में कुछ गिरावट आई है परंतु यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो पाटन और अधिक तीव्र होने की संभावना है।

63. इसलिए, प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करने से पहले यह जांच की है कि क्या संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति निरंतर सहन करनी पड़ी है। घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति की यह जांच पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3 तथा पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध-2 के अनुसार की गई है।

ज. 2. घरेलू उद्योग को मौजूदा क्षति तथा कारणात्मक संबंधों की जांच

64. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में प्रावधान है कि किसी क्षति निर्धारण में उन सभी कारकों की जांच अंतर्ग्रस्त होगी जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत मिलता हो। ".....पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तु के लिए कीमतों पर उनके प्रभाव, और इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों पर विचार करते हुए" कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए यह जांच करना आवश्यक प्रतीत होता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमतों की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत अधोरदन किया गया है या क्या इन आयातों का प्रभाव उन कीमतों का भारी मात्रा में अवमंदन करना या कीमतों में वृद्धि को कम करना है जो अन्यथा भारी मात्रा में हुई होती।

65. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का निरंतरता बनाए रखने के लिए यह आवेदन पत्र मैसर्स गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड, मैसर्स एचएनजी फ्लोट ग्लास लिमिटेड और मैसर्स सेंट गोबैन ग्लास इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है जिनका भारत में इस संबद्ध वस्तु के उत्पादन के एक बड़े भाग पर आधिपत्य है। नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार याचिकाकर्ताओं को इस जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के रूप में माना गया है। इसलिए, इस निर्धारण के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता, नियम 2(ख) में यथा-परिभाषित घरेलू उद्योग की लागत एवं क्षति सूचना की जांच की गई है।

ज. 2.1 घरेलू उद्योग के क्षति के दावे के संबंध में प्रतिवादी निर्यातकों और आयातकों के विचार

66. किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के बारे में कोई भी प्रस्तुतिकरण नहीं किया है। इस जांच के पक्षकारों के प्रस्तुतिकरणों की संक्षिप्तता के लिए जांच को सारांशीकृत रूप में निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रस्तुत किया गया है।

67. मैसर्स अजन्ता प्राइवेट लिमिटेड और एफओएसजी ने क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(i) संबद्ध आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि अन्य देशों से आयातों की तुलना में इसकी मात्रा बहुत कम है। केवल गैर-संबद्ध देशों से आयातों के कारण ही आवेदक घरेलू उद्योग को समस्या उत्पन्न हो रही है।

(ii) यह कि आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा सहन की गई कोई भी क्षति उनके बीच होने वाली परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है। वास्तव में एक आवेदक घरेलू उत्पादक मैसर्स एचएनजी फ्लोट ग्लास लिमिटेड ने माननीय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष वाद संख्या 51/2011 में मैसर्स सेंट गोबैन ग्लास इंडिया लिमिटेड (एसजीजीआईएल) के विरुद्ध आरोपों की एक झड़ी लगाते हुए शिकायत की जिनमें प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग करने, आक्रमक एवं अनुचित कीमत निर्धारण कार्यनीति, प्रतिस्पर्धा-विरोधी एवं गलत विपणन कार्यनीतियां शामिल हैं।

(iii) यह कि आवेदक घरेलू उत्पादकों ने यह आरोप लगाया है कि मांग में बढ़ोतरी होने के बावजूद बिक्री मात्रा में गिरावट आई है। आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार यह संभव नहीं है। इसलिए, आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में अयथार्थताएं मौजूद हैं। वर्ष 2012-13 में वास्तविक मांग 1218169 एमटी थी, न कि 1085463 एमटी जैसा कि आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया है। तथ्यपरक आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कुल मांग जो वर्ष 2012-13 में 1218169 एमटी थी, जांच की अवधि में घटकर 1089279 एमटी ही रह गई। जब मांग में कमी आ गई तो बिक्री मात्रा में कमी होना कोई असामान्य घटना नहीं है। अत: यह सिद्ध हो जाता है कि बिक्री मात्रा में होने वाली कोई भी कमी मांग में कमी होने के कारण आई है और उसका संबद्ध आयातों से कोई संबंध नहीं है।

(iv) यह कि आवेदक घरेलू उत्पादकों का यह तर्क कि वह अपनी कीमत का निर्धारण आयात कीमतों के आधार पर कर रहे हैं, पूर्णतया गलत है। आवेदक घरेलू उत्पादकों द्वारा दायर की गई याचिका का गहन अध्ययन करके यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान 623283 एमटी की बिक्री की है। उसी अवधि के दौरान 1089279 एमटी की बाजार मांग के साथ, संबद्ध देशों से आयातों का बाजार हिस्सा केवल 0.04 प्रतिशत ही है। संबद्ध देशों के आयातों के मामूली हिस्से से तुलना करने पर यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग का 92 प्रतिशत

बाजार हिस्से पर कब्जा है। इसलिए घरेलू उद्योग का यह दावा केवल शब्दाडम्बर है और प्राधिकारी द्वारा इसे नामंजूर कर दिया जाना चाहिए।

(v) यह कि बजार में एक प्रभुत्वशाली उद्योग ने एक घाटा करने वाली यूनिट अवाप्त कर ली जो क्षति अवधि के दौरान इस संबद्ध वस्तु का विनिर्माण भी कर रही थी, इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि सेजल ग्लास लिमिटेड के घाटे को आवेदक घरेलू उत्पादकों के घाटे के रूप में दर्शाया गया है।

(vi) यह कि फ्लोट ग्लास विनिर्माण उद्योग में पिछले 10 वर्षों में, जैसाकि अभिकथन भी किया गया है, कोई विकास नहीं हुआ है। घरेलू उद्योग का यह दावा कि इस उद्योग का पिछले 10 वर्षों में विकास संबद्ध देशों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता एवं उदग्रहण के कारण हुआ, बिल्कुल असार है। घरेलू उद्योग में मुख्यत: तीन कंपनियां शामिल हैं जिनमें आवेदक सेंट गोबैन भी शामिल है जो उन उद्योगों के बीच अल्प सक्रिय बाजार पर नियंत्रण करता है। यह कंपनियां फ्लोट ग्लास का विनिर्माण आयात कीमत की उतराई लागत की तुलना में मनमानी लागत पर करती है। पाटनरोधी शुल्क को शामिल करते हुए आयात कीमत की उतराई लागत स्थानीय कीमत से 20-25 प्रतिशत अधिक है।

(vii) यह एक स्वीकृत स्थिति है कि घरेलू उद्योग निकट भविष्य में किसी भी परिस्थिति में प्रतिस्पर्धी लागत पर फ्लोट ग्लास का उत्पादन नहीं कर सकती है। इन परिस्थितियों में पाटनरोधी शुल्क के उदग्रहण की निरंतरता केवल इन तीन कंपनियों को ही भारतीय उपभोक्ताओं जिनमें एफओएसजी भी शामिल है, की कीमत पर सम्पन्न बनाएगी। भारतीय उपभोक्ताओं को क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध आयातों के कारण नहीं हो रही है बल्कि संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का उदग्रहण करके इन कंपनियों को मनमानी लागत पर उत्पादन करने को प्रोत्साहन करने के कारण हो रही है और तद्द्वारा भारतीय उपभोक्ताओं की सस्ती लागत पर उत्पाद की खरीद करने से वंचित किया जा रहा है।

(viii) यह कि परम्परागत रूप से भारत फ्लोट ग्लास का स्वयं भारत में उत्पादन करेन के बजाय अन्य देशों से इसका आयात करता आया है। विश्वव्यापी स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाली कंपनियां जैसे सेंट गोबैन (फ्रांस), आशी ग्लास कंपनी (जापान) और गार्डियन ग्लास (यूएसए) इसका उत्पादन करने और भारत को अपने विदेश स्थित संयंत्रों से इसका संभरण करने में उच्च लागत के कारण अक्षम थीं, इसलिए उन्होंने भारत में एफडीआई मार्ग से प्रवेश किया और वे भारत में अपनी उच्च उत्पादन लागत बनाए रखने के लिए पाटनरोधी शुल्क के संरक्षण का प्रयोग कर रही हैं और तद्द्वारा वे भारतीय उपभोक्ताओं को उक्त माल की चीन जैसे देशों के अन्य उत्पादकों से सस्ती दरों पर करने से वंचित कर रही हैं।

(ix) यह कि इन 10 वर्षों के दौरान घरेलू उद्योग ने भारतीय उपभोक्ताओं को फ्लोट ग्लास मनमानी दर पर देकर और उसके द्वारा अपने लाभ में वृद्धि करके, इस उत्पाद को प्रतिस्पर्धी सस्ती दरों पर प्रस्तुत करके हालात में सुधार करने के प्रयास के बिना, उन्हें ठगा ही है। अब यह कि, घरेलू उद्योग इस शुल्क की निरंतरता बनाए रखना चाह रहा है ताकि यह भारतीय उपभोक्ताओं और भारतीय अर्थव्यवस्था की कीमत पर अपने लाभ की निरंतरता बनाए रख सके।

(x) यह कि सेंट गोबैन और गार्डियन के उदाहरण पर ब्राजील में पाटनरोधी शुल्क की जांच वर्ष 2013 में तब प्रारंभ हुई जब सेंट गोबैन ने जाकराइ में वर्ष 2010 में अपने एक संयंत्र (सिब्रेस-सेंट गोबैन) की स्थापना की और गार्डियन ने वर्ष 2008 में ताउती में अपने एक संयंत्र की स्थापना की। यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यवसाय आदर्श यह है कि पहले एफडीआई के बहाने विकासशील देशों में प्रवेश किया जाए और फिर पाटनरोधी शुल्क विधि का आश्रय लेकर अपने लाभ के लिए बाजार की परिस्थितियों का दोहन किया जाए। इनका आदर्श यह नहीं है कि सस्ते माल का उत्पादन किया जाए बल्कि यह है कि मंहगा माल उत्पादित किया जाए और फिर पाटनरोधी प्रावधानों का आश्रय लेकर सस्ते उत्पादों का आगमन बंद कर दिया जाए।

(xi) यह कि स्थानीय फ्लोट ग्लास की उच्च लागत के कारण प्रसंस्करण उद्योग अपनी समाप्ति होने की चुनौती का सामना कर रहा है क्योंकि ग्राहक स्थानीय विनिर्माताओं से प्रसंस्कृत ग्लास खरीदने में कम रुचि प्रदर्शित कर रहे है और भारत में अब सस्ते आयातित प्रसंस्कृत ग्लासों का आगमन हो रहा है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है तो प्रसंस्कृत ग्लास उद्योग इस दृष्य से लुप्त हो जाएगा और लगभग 12500 परिवार बेरोजगारी के कारण सड़क पर आ जाएंगे।

(xii) यह कि पाटनरोधी शुल्क अधिरोपण बेमियादी तौर पर निरंतर बनाए रखने का कोई प्रावधान नहीं है और निश्चय ही क्रमागत रूप से तीसरे पांच वर्षीय ब्लाक के लिए शुल्क की निरंतरता घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत झूठे एवं भ्रामक आंकड़ों के आधार पर बनाए रखने का कोई विधिक औचित्य नहीं है। यह तथ्य स्पष्टत: यह दर्शाते हैं कि संबद्ध देशों से आयात 3 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर से बहुत कम हैं और केवल इस आधार पर ही पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता बिल्कुल भी अधिपत्रित नहीं रह जाती है।

ज. 2.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

68. घरेलू उद्योग ने क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के बारे में निम्नलिखित प्रस्तुतिकरण किए हैं :

(i) यह कि कीमत अधोरदन अत्यधिक सकारात्मक है और इसलिए, यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाटनरोधी शुल्क को वापस ले लिया जाए जो संबद्ध देशों से भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों की मांग में भारी वृद्धि होने की संभावना है।

(ii) यह कि मांग में घरेलू बिक्रियों के बाजार हिस्से, लाभ, निवेश पर प्रतिलाभ और नकदी प्रवाह के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में मौजूदा जांच की अवधि में भारी गिरावट आई है।

(iii) यह कि इस विचाराधीन उत्पाद की मांग में संपूर्ण क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। इसलिए, मांग में संकुचन होना वह संभावित कारण नहीं है जिसने घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान दिया होगा।

(iv) यह कि पाटन मार्जिन पर्याप्त रूप से सकारात्मक है और इसलिए इस बात की पूरी एवं स्पष्ट संभावना है कि यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो संबद्ध देशों से भारत में आयातित संबद्ध वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। इसी तरह, क्षति मार्जिन भी सकारात्मक है जो यह स्पष्ट संकेत देता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क के संरक्षण के बिना संबद्ध वस्तु के आयातों की अनुमति दी जाती है तो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होगी।

(v) यह कि इस विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के प्रतिमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि खपत के प्रतिमान में परिवर्तन ने घरेलू उद्योग को क्षति में अपना योगदान दिया होगा।

(vi) यह कि ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया नहीं है जिसने घरेलू उद्योग को क्षति में अपना योगदान दिया हो।

(vii) यह कि इस उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन न तो हुआ है और न ही निकट भविष्य में किसी तरह का कोई परिवर्तन होने की संभावना है। इसलिए, प्रौद्योगिकी में विकास क्षति का एक कारण नहीं है।

(viii) यह कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान लगभग समान स्तर पर बनी रही है। इसलिए, उत्पादकता क्षति का एक कारक नहीं है।

(ix) पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का उतराई मूल्य इतना कम है कि यदि शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो पाटन की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति होने की पूरी संभावना है।

(x) यह कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा की गई जांच के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने अनिष्कर ढंग से जांच के केवल आरोपण भाग को ही उद्धृत किया है और आयोग के जांच परिणाम को इरादतन छुपाए रखा। यह रिकार्ड करने योग्य है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने यह धारित किया कि न केवल एसजीजीआईएल अपनी आधिपात्यिक स्थिति का दुरूपयोग कर रहा है बल्कि वह वस्तुत: एक प्रमुख सहभागीदार भी नहीं है। प्राधिकारी के लिए तत्काल संदर्भ के रूप में इस जांच परिणाम का संगत भाग यहां उद्धृत किया जा रहा है।

"पैरा 64
परिणाम के संबंध में, आयोग का यह विचार है कि विरोधकर्ता पक्षकार के विरुद्ध अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन का कोई मामला नहीं बनता है और वह इस संबंध में महानिदेशक के जांच परिणामों से सहमत है।"

(xi) यह कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच के संदर्भ में निर्यातक का उद्देश्य केवल संभ्रम की स्थिति पैदा करना है और उसके तर्क में कोई विशेषता नहीं है। यह आधारभूत इस तर्क की पूर्वावधारणा के बिना है कि एक सह आवेदक द्वारा की गई शिकायत वास्तव में यह सिद्ध करती है कि उद्योग के अंदर कोई विघटनकारी व्यवहार नहीं है और यह कि उनके बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। प्राधिकारी का ध्यान प्रतिस्पर्धा आयोग के एक पिछले निर्णय की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, जहां आयोग ने सुस्पष्ट ढंग से यह कह दिया है कि ग्लास उद्योग आयातित वस्तु के भारी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है।

(xii) यह कि घरेलू उद्योग की वर्ष 2012-13 के लिए घरेलू बिक्रियों में एक टंकण संबंधी त्रुटि है। वर्ष 2012-13 के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां 744226 एमटी न होकर 611519 एमटी थी।

(xiii) यह कि, जहां तक सेजल से संबंधित आंकड़ों का प्रश्न है, यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि इसका मालिक कौन है सेजल घरेलू उद्योग का एक अंग था और अब भी है। यदि सेजल भारत के बाहर अवस्थित होता तो उसकी स्थिति इसके विपरीत हो जाती।

ज. 2.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

69. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में किए गए विभिन्न प्रस्तुतिकरणों पर विचार किया गया है और रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार उनकी जांच की गई है। सभी तथ्यों एवं आंकड़ों से संबंधित सभी संगत मुद्दों का क्षति विश्लेषण में तथ्यत: समाधान कर दिया गया है।

70. एफओएसजी द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के संबंध में कि बड़े-बड़े बहुराष्ट्रीय उत्पादक एफडीआई मार्ग का प्रयोग करके भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पाटनरोधी प्रावधानों का शोषण कर रहे है, यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य अन्य देशों से उत्पादकों की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के विरुद्ध संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों की रक्षा करके भारतीय बाजार में इस संबद्ध वस्तु के उत्पादन और उसकी खपत के लिए समान अवसरों का सृजन करना है। यह भी नोट किया जाता है कि सामान्य आर्थिक विकास के लिए घरेलू उत्पादन आधार की अवस्थिति एवं स्थायित्व महत्वपूर्ण हैं और यह घरेलू उत्पादकों के हित में भी है जिससे घरेलू उत्पादन आधार के अभाव में विदेशी उत्पादकों के एकाधिकारवाही कीमत व्यवहार के प्रति प्रगोपन नहीं होगा। तथापि, प्राधिकारी ने उपभोक्ता उद्योग की चिंताओं का समाधान करने के लिए क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस जांच परिणाम में घरेलू उत्पादकों की लागत एवं कीमत व्यवहार की जांच उद्देश्यपरक ढंग से की है।

71. यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि प्रत्येक प्रकार की मोटाई की श्रृंखला के लिए सभी जांच अलग-अलग की जानी चाहिए क्योंकि मोटाई के अनुसार ही इसकी कीमत और लागत में भिन्नता आती है। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस तरह के विश्लेषण के लिए निर्यातक राष्ट्रों में कीमत एवं लागत के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है। इसलिए, इस तरह के विश्लेषण पर भरोसा करना संभव नहीं है।

72. इसके अतिरिक्त, यह भी नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जिन आंकड़ों में त्रुटि का उल्लेख किया गया था उसकी जांच कर ली गई है और इस निर्धारण में यथासत्यापित उपयुक्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

73. जहां तक संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्णायक समीक्षा पर मुख्य जोर संभावना की जांच पर होता है। इसलिए इस समीक्षा पर न्यूनतम सीमा लागू नहीं होती है। तदनुसार, इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क वैध नहीं है।

74. पक्षकारों द्वारा इस जांच के संबंध में उठाए गए सभी मुद्दों का उपयुक्त स्थानों पर समाधान कर दिया गया है और इसलिए उनको यहां दोहराया नहीं जा रहा है।

75. पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और घरेलू बाजार में समान वस्तु की कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) और इन वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव दोनों की वास्तविक जांच करने का प्रावधान है। पाटित आयातों के प्रभाव की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह परीक्षण करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप से या भारत में उत्पादन अथवा खपत से संगत रूप से पर्याप्त वृद्धि हुई है। पाटित अयातों का कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी को यह परीक्षण करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत अधोरदन किया गया है, अथवा क्या इन आयातों के प्रभाव से कीमतों का अन्यथा भारी मात्रा में अवमंदन करना या कीमतों में वृद्धि करने से रोकना, जो अन्यथा भारी मात्रा में घटित हुआ होता।

76. संबद्ध वस्तु का कई अन्य देशों से भी पाटित कीमतों पर आयात किया जा रहा है जिसके लिए प्राधिकारी ने अभी हाल में पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किया है। यह सभी आयात स्पष्टत: एक दूसरे के साथ तथा घरेलू वस्तु के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसलिए, पाटित कीमतों पर पाए गए सभी स्रोतों से आयातों के लिए घरेलू उद्योग को क्षति का आकलन संचयी रूप से करना उपयुक्त होगा।

77. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों एवं संकेतकों की उद्देश्यपरक एवं पक्षपात रहित जांच शामिल होगी जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, इनमें शामिल है बिक्री, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ या क्षमता उपयोग में संभावित एवं वास्तविक गिरावट; घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले उपादान, पाटन मार्जिन का परिमाण; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभाव। इन पर नियमावली के अनुबंध-2 के अनुसार विचार किया गया। घरेलू उद्योग की स्थिति में प्रभावित करने वाले सभी संगत आर्थिक पैरामीटरों की जांच निम्नवत की गई हैं :

(क) पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

i. आयात मात्रा और पाटित आयातों का हिस्सा

78. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में और अबाध रूप से भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तु के संबद्ध देशों तथा अन्य देशों के आयात की जांच डीजीसीआईएंडएस द्वारा प्रदान कराए गए सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर निम्नवत की गई है :

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
चीन से आयात	एमटी	1512	1702	4508	3846
प्रवृत्ति		100	113	298	254
इंडोनेशिया से आयात	एमटी			101	101
प्रवृत्ति				100	100
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	1512	1702	4609	3947
प्रवृत्ति		100	113	305	261
पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन अन्य देशों से आयात	एमटी	19846	12525	141676	136114
प्रवृत्ति		100	63	714	686
अन्य देशों से आयात	एमटी	1674	4103	12190	10219
प्रवृत्ति		100	245	728	610
कुल आयात	एमटी	23032	18330	158475	150279
आयातों से संबद्ध देशों का हिस्सा %	%	6.56%	9.28%	2.91%	2.63%
पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन अन्य संबद्ध देशों का आयात में हिस्सा का %	%	86.17%	68.33%	89.40%	90.57%
अन्य देशों से हिस्से का %	%	7.27%	22.38%	7.69%	6.80%
कुल मांग	एमटी	847048	1003146	1155358	1154836
प्रवृत्ति		100	118	136	136
मांग में संबद्ध देशों के हिस्से का %	%	0.18%	0.17%	0.40%	0.34%

79. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि चीन से पाटित आयात जारी रहे और आधार वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि हुई है। तथापि, क्षति जांच अवधि के पहले दो वर्षों में इंडोनेशिया से कोई आयात नहीं हुआ और जांच की अवधि के दौरान 101 एमटी के केवल तीन सौदे हुए।
80. तथापि, यह नोट किया जाता है कि पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित है और उन देशों से भारी मात्रा में आयात हुए हैं। जिन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगा है उनके आयातों का कुल आयातों में 90 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा, उन देशों से आयातों में भी भारी वृद्धि हुई है जिन पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा है यद्यपि कुल आयातों में उनके आयातों का हिस्सा 10 प्रतिशत से कम है।

ii. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

81. भारत में इस उत्पाद की मांग और स्पष्ट खपत का आकलन अखिल भारतीय उत्पादकों की कुल बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयात के आधार पर किया गया है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा रिपोर्ट की गई बिक्री मात्रा में त्रुटि और घरेलू उद्योग की बिक्री की यद्यपि मात्रा को सत्यापित के रूप में नोट किया है और अन्य घरेलू उत्पादकों की आकलित बिक्री का प्रयोग भारत में घरेलू मांग का आकलन करने के लिए निम्नवत किया गया है :

वर्ष	**यूनिट**	2010-11	2011-12	2012-13	**जांच की अवधि**
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	531236	629767	615626	627180
प्रवृत्ति		100	119	116	118
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	292779	355049	381257	377376
प्रवृत्ति		100	121	130	129
कुल घरेलू बिक्रियां	एमटी	824015	984816	996883	1004556
प्रवृत्ति		100	120	121	122
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	1512	1702	4609	3947
प्रवृत्ति		100	113	305	261
पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन अन्य देशों से आयात	एमटी	19846	12525	141676	136114
प्रवृत्ति		100	63	714	686
उन अन्य देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा है	एमटी	1674	4103	12190	10219
प्रवृत्ति		100	245	728	610
कुल आयात	एमटी	23032	18330	158475	150280
प्रवृत्ति		100	80	688	652
कुल मांग	एमटी	847048	1003146	1155358	1154836
प्रवृत्ति		100	118	136	136
ग्राही खपत	एमटी	90246	99601	107324	111365
ग्राही खपत सहित मांग	एमटी	937294	1102747	1262682	1266201
प्रवृत्ति		100	118	135	135
मांग में घरेलू बिक्री का बाजार हिस्सा	%	97%	98%	86%	87%
मांग में संबद्ध देशों के हिस्से का %	%	0.18%	0.17%	0.40%	0.34%
मांग में उन देशों के हिस्से का % जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	%	2.34%	1.25%	12.26%	11.79%
उन अन्य देशों के हिस्से का % जिन पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा है	%	0.20%	0.41%	1.06%	0.88%

82. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि संबद्ध वस्तु की मांग में क्षति जांच अवधि के दौरान स्वस्थ वृद्धि हुई है और उसमें आधार वर्ष की तुलना में लगभग 36 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि और सभी घरेलू उत्पादकों के लिए बिक्री में वृद्धि मांग में हुई वृद्धि की तुलना में कम रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मांग में वृद्धि को संबद्ध देशों सहित सभी स्रोतों से पाटित आयातों द्वारा साइड में कर दिया गया, जिसमें स्वयं में क्षति अवधि में 3 प्रतिशत से लेकर 12 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, यद्यपि, इस जांच में संबद्ध देशों का हिस्सा इस समय 0.18 प्रतिशत से 0.34 प्रतिशत वृद्धि होने के बावजूद बहुत कम था। उसी अवधि के दौरान उत्पादकों का बाजार हिस्सा 97 प्रतिशत से घटकर 87 प्रतिशत रह गया।

(ख) पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

83. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में भारी कीमत अधोरदन किया गया है अथवा इन आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों का भारी मात्रा में निग्रहण करना है अथवा कीमतों में वृद्धि का निवारण करना है जो अन्यथा भारी मात्रा में घटित हुई होती।

84. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत अधोरदन, कीमत अधोविक्रयण कीमत निग्रहण और कीमत अवमंदन के संदर्भ में की गई। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्रापण (एनएसआर) और गैर-क्षतिकारी कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की उतराई कीमत से की गई। जांच की अवधि के दौरान वस्तु की तुलना पाटित आयातों क उतराई मूल्य या घरेलू बाजार में घरेलू बिक्री कीमत से की गई। घरेलू उद्योग के निवल बिक्री प्रापण का निर्धारण करने के उद्देश्य से घरेलू उद्योग द्वारा उपगत किए गए करों, रिबेटों, डिस्काउंट और कमीशन का समायोजन किया गया।

(i) पाटित आयातों का कीमत अधोरदन प्रभाव

85. विभिन्न परिदृष्यों का विश्लेषण करने के लिए पाटनरोधी शुल्क सहित और पाटनरोधी शुल्क के बिना पाटित आयातों के कीमत अधोरदन प्रभाव की जांच की गई। इस तरह निर्धारित कीमत अधोरदन निम्नलिखित है :

चीन	**यूनिट**	2010-11	2011-12	2012-13	**जांच की अवधि**
घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत	रुपए/एमटी	****	****	****	****
पाटनरोधी शुल्क रहित उतराई कीमत	रुपए/एमटी	15369	21287	13165	13282
कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	****	****	****	****
कीमत अधोरदन	%	****	(****)	****	****
कीमत अधोरदन रेंज		0-10	(10)-(20)	50-60	50-60
पाटनरोधी शुल्क सहित उतराई कीमत	रुपए/एमटी	21511	27690	20435	20617
कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	(****)	(****)	****	(****)
कीमत अधोरदन	%	(****)	(****)	****	(****)
कीमत अधोरदन रेंज		(20)-(30)	(30)-(40)	0-5	0-(5)
इंडोनेशिया					
पाटनरोधी शुल्क रहित उतराई कीमत	रुपए/एमटी	-	-	16458	16476
कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी	-	-	****	****
कीमत अधोरदन	%	-	-	****	****
कीमत अधोरदन रेंज		-	-	20-30%	20-30%
पाटनरोधी शुल्क सहित उतराई कीमत	रुपए/एमटी	-	-	24787	24879
कीमत अधोरदन	रुपए/एमटी			(****)	(****)
कीमत अधोरदन	%			(****)	(****)
कीमत अधोरदन रेंज				(10)-(20)	(15)-(25)

86. उपर्युक्त आंकड़े यह संकेत करते हैं कि संबद्ध देशों से आयात, जब उसकी तुलना पाटनरोधी शुल्क तत्व के बिना उतराई मूल्य से की जाती है तो भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी कीमत अधोरदन कर रहे हैं। इस अधोरदन मार्जिन में आधार वर्ष से ही वृद्धि हो रही है और जांच की अवधि के दौरान चीन जन.गण. और इंडोनेशिया के लिए पाटनरोधी शुल्क के बिना अधोरदन क्रमश: ***

प्रतिशत और *** प्रतिशत था। यह नोट किया जाता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क पर विचार किया जाता है तो कीमत अधोरदन ऋणात्मक है। इससे यह संकेत मिलता है कि यदि पाटनरोधी शुल्क न हो तो आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का अधोरदन होने की संभावना है।

(ii) पाटित आयातों का कीमत अधोविक्रयण प्रभाव

87. कीमत अधोविक्रयण क्षति के आकलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत का निर्धारण किया गया है और कीमत अधोविक्रयण की सीमा पर पहुंचने के लिए उसकी तुलना संबद्ध देशों से आयातों के उतराई मूल्य से की गई है। घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत का मूल्यांकन जांच की अवधि के दौरान इस विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन लागत पर समुचित रूप से विचार करते हुए अनुबंध-3 में निर्धारित सिद्धांतों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार किया गया है।

विवरण	**यूनिट**	**चीन**	**इंडोनेशिया**
गैर-क्षतिकारी कीमत	रुपए/एमटी	****	****
पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	13282	16476
पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोविक्रयण	रुपए/एमटी	****	****
पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोविक्रयण	%	****	****
पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत अधोविक्रयण	रेंज	85-95	50-60
पाटनरोधी शुल्क सहित आयातों की उतराई कीमत	रुपए/एमटी	20617	24879
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोविक्रयण	रुपए/एमटी	****	****
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोविक्रयण	%	****	****
पाटनरोधी शुल्क सहित कीमत अधोविक्रयण	रेंज	20-30	0-10

88. चीन जन.गण. और इंडोनिशिया के लिए पाटनरोधी शुल्क के बिना एवं पाटनरोधी शुल्क सहित पाटित आयातों का कीमत अधोविक्रयण प्रभाव भारी सकारात्मक है।

(iii) कीमत निग्रहण एवं अवमंदन प्रभाव

89. घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों के कीमत निग्रहण एवं कीमत अवमंदन प्रभाव की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्रापण प्रवृत्ति की तुलना बिक्री लागत से की गई है।

विवरण	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**जांच की अवधि**
घरेलू बिक्रियों की लागत रुपए/एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	116	125	125
निवल बिक्री कीमत रुपए/एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	108	125	122
संबद्ध देशों से (पाटनरोधी शुल्क के बिना) पाटित आयातों का उतराई मूल्य	15,369	21,287	13,237	13,364
प्रवृत्ति	100	139	86	87
संबद्ध देशों से (पाटनरोधी शुल्क सहित) उतराई मूल्य	21,510	27,690	18,436	18,610
प्रवृत्ति	100	129	86	87
उन अन्य देशों से आयातों का उतराई मूल्य जिन पर (पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा है)	14,819	16,223	9,696	9,874

प्रवृत्ति	100	109	65	67
उन अन्य देशों से आयातों का उतराई मूल्य जिन पर (पाटनरोधी शुल्क लगा है)	19,794	21,410	15,586	15,817
प्रवृत्ति	100	108	79	80

90. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि यद्यपि क्षति जांच की अवधि के दौरान उत्पादन लागत तथा बिक्री कीमत दोनों में ही वृद्धि हुई है फिर भी संबद्ध देशों उतराई मूल्य में भारी कमी आई है और इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उसकी बिक्री लागत से कम रही है। यह भी नोट किया जाता है कि उन अन्य देशों से आयातों का उतराई मूल्य जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी स्रोतों से पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर भारी कीमत निग्रहण प्रभाव हुआ है और उनसे कीमत की पूरी पुनर्प्राप्ति नहीं हो रही है।

(ग) घरेलू उद्योग के अन्य आर्थिक पैरामीटरों की जांच

91. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 में यह अपेक्षा की जाती है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यपरक जांच अंतर्ग्रस्त होगी। नियम में आगे यह प्रावधान किया गया है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी आर्थिक पैरामीटरों और संकेतकांकों का उद्देश्यपरक एवं पक्षपातरहित मूल्यांकन शामिल होगा जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है जिसमें शामिल हैं बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता पर वास्तविक एवं संभावित ऋणात्मक प्रभाव। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों पर निम्नवत चर्चा की गई है।

(क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

92. घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा से संबंधित सूचना अधोलिखित तालिका में दी गई है :

वर्ष	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**जांच की अवधि**
क्षमता (एमटी)	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	119	123	123
केवल विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन (एमटी)	740069	877086	912197	927683
प्रवृत्ति	100	119	123	125
क्षमता उपयोग (एमटी)	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	99	100	102
घरेलू बिक्री (एमटी)	531236	629767	615626	627180
प्रवृत्ति	100	119	116	118

93. आंकड़े यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान अपनी क्षमता में वृद्धि की और उत्पादन में मामूली सी वृद्धि हुई तथा क्षमता उपयोग में सुधार हुआ। घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियों में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है।

(ख) लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिलाभ तथा नकदी प्रवाह पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

94. निवेश पर प्रतिलाभ, ब्याज पूर्व एवं ब्याज पश्चात लाभ/हानि और नकद लाभ को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

वर्ष	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**जांच की अवधि**
घरेलू बिक्री कीमत रुपए/एमटी	****	****	****	****

प्रवृत्ति	100	108	125	122
लागत रुपए/एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	116	125	125
लाभ रुपए/एमटी	(****)	(****)	(****)	(****)
प्रवृत्ति	100	-227	-127	-156
ब्याज पूर्व लाभ (लाख रुपए में)	****	(****)	(****)	(****)
प्रवृत्ति	100	-1813	-686	-1182
नकद लाभ रुपए/एमटी	****	(****)	(****)	(****)
प्रवृत्ति	100	-96	109	51
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (%)	****%	(****)%	(****)%	(****)%
प्रवृत्ति	100	-1381	-532	-893

95. उपर्युक्त आंकड़े यह दर्शाते है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन एवं बिक्री में सुधार होने के बावजूद उसे क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू बिक्रियों में घाटा बना रहा। नकद लाभ में गिरावट आई है और क्षति जांच अवधि के अधिकांश समय में नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ऋणात्मक रहा है।

(ग) बाजार हिस्से पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

96. पूर्व में नोट किए गए के अनुसार घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से जो आधार वर्ष में 97 प्रतिशत था, गिरावट होकर जांच की अवधि में 87 प्रतिशत रह गया। तथापि, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में यह घाटा उन अन्य देशों से पाटित आयातों द्वारा काफी हद तक किनारे लगा दिया गया जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा था। बाजार हिस्से में संबद्ध देशों की हिस्सेदारी और संबद्ध देशों द्वारा बाजार हिस्से में वृद्धि मामूली सी ही रही है।

वर्ष	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**जांच की अवधि**
मांग में घरेलू बिक्रियों का बाजार हिस्सा	97%	98%	86%	87%
मांग में संबद्ध देशों के हिस्से का %	0.18%	0.17%	0.40%	0.34%
उन अन्य देशों के हिस्से का % जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	2.34%	1.25%	12.26%	11.79%
अन्य अपाटित आयातों के हिस्से का %	0.20%	0.41%	1.06%	0.89%

(घ) रोजगार, उत्पादकता और पारिश्रमिक पर संभावित एवं वास्तविक प्रभाव

97. अधोलिखित तालिका से यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि में रोजगार में क्षमता एवं उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप ही वृद्धि हुई है। तथापि, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में, प्रति कर्मचारी पारिश्रमिक में कमी आई है। संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादकता लगभग समान स्तर पर ही बनी रही। इसलिए, इन पैरामीटरों पर स्पष्टत: कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ा है।

वर्ष	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**जांच की अवधि**
कर्मचारी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	123	126	127
पारिश्रमिक/कर्मचारी (रुपए)	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	93	98	98
उत्पादन (एमटी)	740069	877086	912197	927683

कर्मचारी	****	****	****	****
उत्पादन/कर्मचारी	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	97	98	99

(ड.) मालसूची पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

98. निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग के मालसूची स्तर में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मामूली सी गिरावट आई है जो निर्यात बिक्री मात्रा में भारी सुधार होने के कारण हुई है।

वर्ष	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**जांच की अवधि**
इति स्टॉक (एमटी)	****	****	****	****
प्रवृत्ति	100	97	116	95

(च) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

99. उपर्युक्त आंकड़े यह संकेत करते हैं कि मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से पाटित आयात, यद्यपि उनकी मात्रा कम है अब भी भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत से काफी कम कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं जिससे भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग को भारी कीमत अधोरदन और कीमत अधोविक्रयण कारित कर रहे है। उन अन्य देशों से आयात की मात्रा, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है, भी बहुत अधिक है और वे बहुत ही कम कीमतों पर हो रहे हैं। इसलिए संबद्ध देशों को मिलाकर, उन अन्य विभिन्न स्रोतों से, जिन पर पाटनरोधी शुल्क प्रभावी है, पाटित आयातों द्वारा घरेलू कीमतों को प्रभावित किया जा रहा है। घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में भी भारी परिवर्तन हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग, घरेलू बाजार में विभिन्न स्रोतों से, जिनमें संबद्ध देश भी शामिल हैं, पाटित आयातों के आगमन से बिक्री मात्रा में भारी कमी का निवारण करने के उद्देश्य से अपनी कीमत लाइन को बनाए रखने का प्रयास किया है, जिसके कारण उसे घाटा हुआ।

(छ) वृद्धि पर वास्तविक एवं संभावित प्रभाव

100. यह नोट किया जाता है कि इस उत्पाद की मांग में भारी वृद्धि हुई है और घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता में संवर्धन किया तथा उत्पादन और बिक्री में वृद्धि की है। तथापि, यह भौतिक निष्पादन भी वित्तीय पैरामीटरों में वृद्धि नहीं कर सके और संबद्ध देशों सहित कई स्रोतों से कम कीमतों पर पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण घाटे में बढ़ोत्तरी हुई है।

(ज) पूंजी निवेश उगाहने की क्षमता

101. यह नोट किया जाता है कि विभिन्न देशों से पाटित आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क के संरक्षण और विभिन्न मैक्रो-आर्थिक परिस्थितियों के कारण मांग में काफी वृद्धि होने से संबद्ध वस्तु की खपत में वृद्धि हुई जिसके कारण घरेलू उद्योग ने क्षति जांच अवधि के दौरान भारी पूंजी निवेश करके अपनी क्षमताओं में पर्याप्त वृद्धि की है। घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि यदि संबद्ध देशों से पाटित एवं क्षतिकारी आयातों को पाटनरोधी शुल्क के बिना भारत में आगमन की अनुमति दी जाती है तो घरेलू उद्योग के यह सभी प्रयास निष्फल हो जाएंगे।

(झ) पाटन एवं पाटन मार्जिन का स्तर

102. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के पाटन का मार्जिन, जैसाकि पिछले खंडों में निर्धारण किया गया है, सकारात्मक एवं पर्याप्त है, यद्यपि इंडोनेशिया से आयातों की मात्रा बहुत कम है।

ज. 4. मौजूदा क्षति एवं कारणात्मक संबंधों का समग्र आकलन

103. विभिन्न कारकों का उपर्युक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि क्षमता, उत्पादन और संबद्ध वस्तु की घरेलू बिक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग के भौतिक निष्पादन में क्षति जांच अवधि में मांग में पर्याप्त वृद्धि होने के कारण सुधार हुआ है। तथापि, घरेलू बिक्रियों के वित्तीय निष्पादन में, उन विभिन्न स्रोतों से जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है और जिनमें संबद्ध देश भी शामिल हैं, पाटित आयातों के कीमत दबाव के कारण गिरावट आई है। अत:, घरेलू उद्योग को नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक प्रतिलाभ और वित्तीय घाटा के रूप में वास्तविक क्षति निरंतर बनी रही है।

104. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को यह क्षति अन्य कारकों जैसे घरेलू उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है और इसका संबद्ध देशों से आयातों से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि इन देशों से आयातों की मात्रा बहुत कम है। इसलिए, प्राधिकारी ने अन्य अधिदेशित कारकों की जांच करने के साथ-साथ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच भी यह देखने के लिए की है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति के लिए अन्य कारक उत्तरदायी हैं।

(i) अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा और कीमत

105. जैसा कि पहले नोट किया गया है कि उन अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा, जिनके विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया है, में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अधोलिखित आंकड़े आयातों की मात्रा और उनकी कीमत प्रवृत्ति दर्शाते हैं।

वर्ष	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	1512	1702	4609	3947
प्रवृत्ति		100	113	305	261
उन अन्य देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	एमटी	19846	12525	141676	136114
प्रवृत्ति		100	63	714	686
उन अन्य देशों का उतराई मूल्य जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है	रुपए/एमटी	14819	16223	9696	9874
प्रवृत्ति		100	109	65	67
उन अन्य देशों से आयात जिन पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा है	एमटी	1674	4102	12190	10219
प्रवृत्ति		100	245	728	610
उन अन्य देशों का उतराई मूल्य जिन पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा है	रुपए/एमटी	22727	28428	19135	19675
प्रवृत्ति		100	125	84	87
कुल आयात	एमटी	23032	18330	158475	150279
प्रवृत्ति		100	80	688	652

106. उपर्युक्त आंकड़े स्पष्टत: यह सिद्ध करते हैं कि उन अन्य देशों से, जिन पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया है, आयातों में भारी वृद्धि हुई है और इन देशों से आयातों की कीमतें संबद्ध देशों से आयातों की कीमतों से कम है। जिन देशों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगा है, उन देशों से भी आयातों में वृद्धि हुई है परंतु उनकी कीमतें पर्याप्तत: उच्च है। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि सभी पाटित स्रोतों से आयातों ने घरेलू उद्योग को प्रभावित किया है।

(ii) मांग में संकुचन और/अथवा खपत के प्रतिमान में परिवर्तन

107. यह नोट किया जाता है कि इस संबद्ध वस्तु की देश में मांग में आधार वर्ष से लेकर वर्ष 2012-13 तक निरंतर वृद्धि हुई है जिससे यह संकेत मिलता है कि देश में मांग की स्थिति अच्छी है। यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने संबद्ध वस्तु की खपत के

प्रतिमान में परिवर्तन के बारे में कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। वास्तव में, सामान्य आर्थिक निष्पादन में वृद्धि के साथ-साथ संबद्ध वस्तु की मांग में वृद्धि होने की प्रत्याशा है जो मांग की स्थिति अच्छी होने से स्पष्ट होती है। इसलिए, मांग में संकुचन अथवा खपत के प्रतिमान में परिवर्तन वह कारक नहीं है जिनका घरलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव पड़ा हो।

(iii) व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं तथा विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

108. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा वहन की गई क्षति, यदि कोई है तो, उनके बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है और उन्होंने घरेलू उत्पादकों में से एक उत्पादक अर्थात मैसर्स एचएनजी फ्लोट ग्लास लिमिटेड द्वारा मैसर्स सेंट गोबैन ग्लास इंडिया लिमिटेड (एसजीजीआईएल) के विरुद्ध भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष दायर किए गए एक आवेदन में अपनी अभिभावी स्थिति का दुरुपयोग करने, आक्रामक एवं अनुचित कीमत निर्धारण कार्यनीति, प्रतिस्पर्धा-विरोधी एवं निंदात्मक विपणन कार्यनीति अपनाने का आरोप लगाया है, को उद्धृत किया है। इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रतिस्पर्धा आयोग ने सेंट गोबैन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला नहीं पाया है। इसलिए, प्रमुख उत्पादकों द्वारा भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा विरोधी अथवा व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाओं को आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाओं के संबंध में कोई अन्य मुद्दा भी प्राधिकारी की जानकारी में नहीं लाया गया है। कोई आयात प्रतिबंध नहीं है और भारतीय एवं विदेशी विनिर्माता दोनों ही भारतीय बाजार में मुक्त रूप से प्रचालन कर रहे हैं। इसलिए, यह कारक घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित नहीं कर सकता है।

(iv) प्रविधि में विकास

109. याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने के लिए अद्यतन फ्लोट ग्लास प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं और जांच से यह प्रदर्शित नहीं हुआ है कि प्रौद्योगिकी में कोई ऐसा भारी परिवर्तन हुआ है जिसके कारण घरेलू उद्योग का निष्पादन प्रभावित हुआ हो।

(v) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

110. क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन निम्नलिखित रहा है :

विवरण	यूनिट	2010-11	2011-12	2012-13	जांच की अवधि जुलाई, 2012 से जून, 2013
निर्यात बिक्री	एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति		100	116	267	272
निर्यात कीमत	रुपए/एमटी	****	****	****	****
प्रवृत्ति		100	106	122	120

111. आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा में क्षति जांच अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है और इन वर्षों के दौरान कीमत वसूली में भी बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्यात निष्पादन ने घरेलू उद्योग पर विपरीत प्रभाव डाला होगा। तथापि, घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन प्रासंगिक नहीं है क्योंकि प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए घरेलू उद्योग के केवल घरेलू निष्पादन पर ही विचार किया है।

ज. 5 वर्तमान क्षति एवं कारणात्मक संबंधों पर निष्कर्ष

112. उपर्युक्त जांच यह संकेत करती है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं, हालांकि उनकी मात्रा कम है। यह भी नोट किया जाता है कि उन देशों से भारी मात्रा में आयात हुआ है जिनके विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क प्रभावी है। इन सभी स्रोतों से, पाटनरोधी शुल्क के बिना, वस्तु का उतराई मूल्य घरेलू उद्योग की कीमतों का भारी अधोरदन कर रहा है। अधोविक्रयण मार्जिन भी बहुत अधिक है। इन सभी स्रोतों से यह आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का कीमत निग्रहण और कीमत अवमंदन प्रभाव कारित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में सुधार होने के बावजूद घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति में कई पाटित स्रोतों से, जिनमें संबद्ध देश भी शामिल हैं, भारी आयातों के कीमत प्रभाव के कारण गिरावट आई है, हालांकि संबद्ध देशों से

यह आयात कम मात्रा में हुए है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग को उन कई देशों से, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है, और जिनमें संबद्ध देश भी शामिल है, आयातों के कारण वित्तीय घाटा एवं क्षति हुई है।

ज.6 क्षति मार्जिन एवं क्षति की मात्रा

113. प्राधिकारी द्वारा लगाए गए न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में क्षति मार्जिन का भी निर्धारण किया गया है। क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारी कीमत (एनआईपी) का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार किया है। तदनुसार, घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारी कीमत और विचाराधीन उत्पाद के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण निम्नवत किया गया है :

विवरण	मापन की इकाई	चीन	इंडोनेशिया
गैर-क्षतिकारी कीमत	यूएस डालर/एमटी	****	****
उतराई कीमत	यूएस डालर/एमटी	241	299
क्षति मार्जिन	यूएस डालर/एमटी	****	****
क्षति मार्जिन	%	****	****
क्षति मार्जिन रेंज		85-95%	50-60%

झ. पाटन एवं क्षति की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति की संभावना

114. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु का संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर आना जारी रहा। यद्यपि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात आयातों की मात्रा में भारी गिरावट आई; और घरेलू उद्योग को, उन कई देशों से, जिन पर पाटनरोधी शुल्क प्रभावी है, जिसमें संबद्ध देश भी शामिल है, बहुत कम कीमत पर आयातों के कारण क्षति होना जारी रहा। नियमावली में प्राधिकारी से यह जांच करने की अपेक्षा की जाती है कि यदि शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो क्या पाटन जारी रहने की संभावना है और क्या घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

झ.1. घरेलू उद्योग के विचार

115. घरेलू उद्योग ने अपने प्रस्तुतिकरण में यह तर्क दिया है कि चीन और इंडोनेशिया से इस विचाराधीन उत्पाद का सतत पाटन हुआ है। यद्यपि पाटित आयातों की मात्रा में गिरावट आई है परंतु पाटन मार्जिन बहुत अधिक है। यह प्रस्तुतिकरण किया गया है कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो इस विचाराधीन उत्पाद के पाटन में और भी अधिक तीव्रता आने की संभावना है। अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया गया है कि :

(i) यह कि घरेलू उद्योग को पहले ही क्षति सहन करनी पड़ रही है और पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण करने से घरेलू उद्योग को क्षति और अधिक तीव्र हो जाएगी। पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से बाजार में इस विचाराधीन उत्पाद की कीमतों पर भारी कीमत निग्रहण एवं अवमंदन प्रभाव होगा।

(ii) यह कि संबद्ध देशों के उत्पादकों के पास भारी क्षमता है। इस संबंध में घरेलू उद्योग ने चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु की भारी क्षमताओं के दावे के प्रमाणस्वरूप एनएसजी ग्रुप की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इन रिपोर्टों के मुताबिक चीन में कुल क्षमता 28.8 मिलियन टन की है जो मांग से तुलना किए बिना भारत की कुल क्षमता का लगभग 20 गुना है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुतिकरण किया गया कि वर्तमान मामले में, न तो संबद्ध देशों के निर्यातकों ने और न ही उनकी सरकारों ने अपनी मौजूदा क्षमताओं एवं उत्पादन के संबंध में कोई जानकरी दी है। यदि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में निश्चय ही वृद्धि होगी, जो शुल्क के अधिरोपण के बावजूद संबद्ध देशों से सतत पाटित आयात होने के तथ्य से स्पष्ट हो जाता है।

(iii) यह कि इस समय इंडोनेशिया में 8 फ्लोट लाइन्स युक्त 3 यूनिटें हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1.46 मिलियन एमटी है जो इंडोनेशिया में मांग की तुलना में बहुत अधिक है। इंडोनेशिया के बड़े उत्पादकों में से एक उत्पादक अर्थात मैसर्स मुलिया ग्लास ने अपनी वेबसाइट में यह उल्लेख किया है कि उनकी निर्याता मात्रा उनके उत्पादन की 65 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

(iv) यह कि शुल्क का अधिरोपण करने के पश्चात आयातों में गिरावट और इन आयातों में सकारात्मक पाटन मार्जिन से शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन की संभावना का संकेत मिलता है और यह स्वत: ही पाटनरोधी शुल्क को विस्तार किए जाने को न्यायोचित ठहराता है।

(v) यह कि क्षति अवधि के दौरान क्लीयर फ्लोट ग्लास का आयात पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया से भी पाटित कीमतों पर किया गया है। सीमाशुल्क ने इन देशों से क्लीयर फ्लोट ग्लास के आयातों पर दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या 48/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत पाटनरोधी शुल्क का उदग्रहण किया है। इन परिस्थितिकी के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क को वापस लेने से निश्चय ही संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के विनिर्माताओं और निर्यातकों को घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटित कीमतों पर पाटन करने का सम्बल मिलेगा।

(vi) यह कि संबद्ध देशों के विरुद्ध ब्राजील, दक्षिण कोरिया और आस्ट्रेलिया में पाटनरोधी जांच चल रही है। ऐसी स्थिति में, प्रभावी पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर देने से संबद्ध देशों के विनिर्माताओं/निर्यातकों को संबद्ध वस्तु का पाटन करने के लिए बाजार तक मुक्त पहुंच उपलब्ध हो जाएगी और तदनुसार, पाटन और क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की सुदृढ़ संभावना है।

(vii) यह कि संबद्ध देशों से भारत के अलावा अन्य देशों को कीमतों के आधार पर परिकलन करने पर भी भारी एवं सकारात्मक क्षति एवं पाटन मार्जिन की संभावना है।

116. घरेलू उद्योग ने चीन से ब्राजील और बंगलादेश के लिए किए गए निर्यातों के कुछ नमूना बीजकों की प्रतियां उस कीमत स्तर का प्रदर्शन करने के लिए प्रदान कराई हैं जिन पर, शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का निर्यात किया जाएगा और यह कीमतें पर्याप्तत: पाटित कीमतें हैं। घरेलू उद्योग ने इसी तरह की प्रवृत्ति का प्रदर्शन करने के लिए इंडोनेशिया से श्रीलंका को हो रहे आयातों के नमूना बीजक दर्शाए हैं।

117. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि यदि एक बार पाटनरोधी शुल्क को हटा लिया जाता है तो पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की पूरी संभावना है क्योंकि पाटनरोधी शुल्क को वापस ले लिए जाने से संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के विनिर्माताओं/निर्यातकों को भारत में संबद्ध वस्तु का पाटन करने की मुक्त पहुंच प्रदान करेगा।

118. प्रकटन पश्चात विवरण प्रस्तुतिकरण में घरेलू उद्योग ने पुन: यह तर्क दिया है कि :

- इंडोनेशिया के निर्यातकों की क्षमताओं तथा निर्यातोन्मुखता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दिनांक 10 जून, 2015 के पत्र के तहत दायर विस्तृत सूचना के अनुसार इंडोनेशिया में भारी क्षमताएं मौजूद हैं। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना और बाजार आसूचना के अनुसार इंडोनेशिया में 3 यूनिटें हैं जिनमें लगभग 8 फ्लोट लाइन्स हैं जिनकी कुल क्षमता लगभग 1.46 मिलियन है जो इंडोनेशिया में मांग की तुलना में बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त, पीटी असाहिमास अपनी क्षमता संवर्धन करके लगभग 60000 टन कर रहा है, यह वर्ष 2016 की तीसरी तिमाही से प्रचालनात्मक होगा।

- उपर्युक्त के अलावा, इंडोनेशिया में प्रमुख उत्पादकों में से एक अर्थात मैसर्स मुलिया ग्लास ने अपनी वेबसाइट पर यह उल्लेख किया है कि उनकी निर्यात मात्रा अपने उत्पादन का 65 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसके अतिरिक्त, एक अन्य उत्पादक, नामत: मैसर्स असाहिमास ने अपनी वर्ष 2014 की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि यद्यपि उसकी घरेलू बिक्री में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई परंतु उसी अवधि के दैरान 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह स्पष्टत: दर्शाता है कि इंडोनेशिया के निर्यातकों की आक्रामक निर्यात उन्मुखता है।

- यह कि घरेलू उद्योग ने इंडोनेशिया के निर्यातकों की क्षमताओं और निर्यात उन्मुखता के संबंध में सर्वोत्तम उपलब्ध यह दशाने के लिए सूचना प्रदान कराई है कि यदि शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो पाटन एवं क्षति की संभावना बनी रहेगी।

- यह कि घरेलू उद्योग से नियम 23(1क) के अंतर्गत समीक्षा के लिए जरूरत को साक्ष्यांकित करते हुए केवल सकारात्मक सूचना प्रदान कराने की उम्मीद की जाती है जिसे घरेलू उद्योग द्वारा उपयुक्त ढंग से किया गया, जिससे इस मामले में निर्णायक समीक्षा जांच की शुरूआत हुई।
- यह कि इस संदर्भ में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय [2008 224 ईएलटी 375 (डीईएल)] के निर्णय का उल्लेख करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है जिसमें यह स्पष्टत: धारित किया गया है कि घरेलू उद्योग अपेक्षित सूचना केवल एक भाग ही प्रस्तुत कर सकता है, अन्य भाग अन्य विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकारों की ओर से आता है।

- यह कि समीक्षा जांच की शुरूआत के पश्चात संबद्ध देशों निर्यातकों/उत्पादकों के साथ-साथ संबंधित सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वह प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करें, परंतु उसे प्रदान करने में वह स्पष्टत: असफल रहे हैं। इसलिए, यह उल्लेख करना तथ्यात्मक रूप से असत्य होगा कि घरेलू उद्योग इंडोनेशिया में उत्पादन क्षमताओं और अन्य विवरण से संबंधित जानकारी प्रदान कराने में असफल रहा है।

- यह कि विधिक प्रावधानों के अनुसार उक्त सूचना प्रदान करने का उत्तरदायित्व उत्पादकों/निर्यातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों एवं संबंधित सरकार का है।

- यह कि सार्वजनिक सुनवाई के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इंडोनेशिया के राजदूतावास के अधिकारियों से स्पष्ट रूप से यह कहा था कि वे संबंधित उत्पाद के बारे में क्षमता, उत्पादन और निर्यात से संबंधित सूचना प्रदान कराए अन्यथा उनके संबंध में विपरीत निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसके बावजूद, न तो इंडोनेशियाई राजदूतावास के अधिकारियों ने और न ही इंडोनेशिया में संबद्ध उतपाद के उत्पादकों/निर्यातकों ने संबंधित उत्पाद की उत्पादन क्षमता, उत्पादन और निर्यातों के संबंध में कोई सूचना अथवा इंडोनेशिया से पाटन एवं क्षति की संभावना के अभाव के संबंध में कोई सूचना प्रदान की है। यह न्याय के प्रति त्रासदी होगी कि माननीय प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट अनुदेश दिए जाने के बावजूद किसी तरह के असहयोग अथवा आज्ञा की अवहेलना का पुस्कृत किया जाए।

- यह कि किसी निर्णायक समीक्षा के मामले में आयातों की वास्तविक मात्रा का उतना महत्व नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि शुल्क प्रभावी होने के बावजूद इंडोनेशिया के संबंधित उत्पाद की कीमत बहुत कम है और इस तथ्य का भी प्रकटन विवरण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त के मद्देनजर, माननीय प्राधिकारी को इससे कोई नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।

ञ.2. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

119. पाटन एवं क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति के संबंध में किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया है।

120. मैसर्स अजन्ता प्राइवेट लिमिटेड और एफओएसजी ने आवेदक घरेलू उत्पादकों के इस दावे का विरोध किया है कि संबद्ध देशों में भारी क्षमताएं हैं जिससे इन देशों से पाटन की पुनरावृत्ति होने और संबद्ध देशों से आयातों के कारण क्षति होने की संभावना है। यह तर्क दिया गया है कि भारी क्षमता की मौजूदगी होने का आशय यह नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने के लिए यह एक आधार है जैसा कि अपीलीय निकाय द्वारा धारित किया गया है। याचिकाकर्ताओं को भारी क्षमताओं की मौजूदगी के लिए कोई ठोस साक्ष्य देना चाहिए और डीजीएडी द्वारा उनकी प्रकल्पनाओं को ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए।

121. हितबद्ध पक्षकारों ने पुन: यह तर्क दिया है कि चीन ग्लास का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता है और उसकी मांग विश्व भर की कुल मांग का लगभग 50 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, चीन के निर्यातकों का क्षमता उपयोग 90 प्रतिशत से अधिक है। इसलिए चीन में भारी क्षमताओं को होना तथ्यों पर आधारित नहीं है और इसलिए शुल्क को समाप्त कर देने का भारत में घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है।

ञ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

122. वर्तमान जांच चीन जन.गण. और इंडोनेशिया से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा है। नियमों के अंतर्गत प्राधिकारी को यह निर्धारित करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बनी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी।

123. इस समय कई देशों से आयातित संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क प्रभावी है और जांच की अवधि के दौरान इन देशों से आयातों की मात्रा बहुत अधिक थी तथा निरंतर बढ़ रही थी। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण होने के बावजूद संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों की निरंतरता बनी रही। तथापि, चीन से आयातों की मात्रा बहुत अधिक थी तथा उसमें क्षति जांच की अवधि के दौरान वृद्धि भी हुई थी, वहीं क्षति जांच अवधि के दौरान इंडोनेशिया से छोटी सी मात्रा का केवल एक सौदा हुआ, हालांकि इस सौदे की कीमत बहुत न्यून थी। इसलिए, ऐसी स्थिति में जहां कई ऐसे देशों से आयात हो रहे हो, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा हो, वहां प्राधिकारी को देशों का एक सेट से शुल्क हो हटा लिए जाने की स्थिति में संभावित परिदृश्य की जांच करना अपेक्षित होता है।

124. यह देखने के लिए निम्नलिखित तथ्यों की जांच की गई कि क्या चीन से पाटन की निरंतरता बने रहने और इंडोनेशिया से पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है क्योंकि जांच की अवधि के दौरान उस देश से केवल एक ही सौदा हुआ था, और क्या इस परिदृश्य में घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति सहन करने की निरंतरता बनी रहेगी।

(i) संबद्ध देशों से मौजूदा एवं पिछले पाटन मार्जिन का स्तर

125. पिछले खंडों में की गई जांच से यह स्पष्ट होता है कि चीन, जहां से आयातों की मात्रा बहुत अधिक थी, पाटन मार्जिन का स्तर पर्याप्त था। यद्यपि इंडोनेशिया से भी पाटन मार्जिन उच्च पाया गया, तथापि, यह निर्धारण जांच की अवधि के दौरान किए गए एकमात्र सौदे पर आधारित है और क्षति जांच अवधि के दौरान वहां से किसी अन्य आयात की सूचना नहीं दी गई।

(ii) संबद्ध देशों में उपलब्ध क्षमताएं

126. घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि चीन के पास भारी बेशी क्षमताएं हैं और चीन के निर्यातों पर कई देशों द्वारा पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने से इस बात की आसन्न संभावना है कि यदि शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिया जाता है तो भारत में इस वस्तु का पथान्तरण होने लगेगा। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने इस दावे का विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि क्षमताओं की केवल उपलब्ध ही शुल्क का विस्तार किए जाने के लिए आधार नहीं बन सकती है।

127. चीन अथवा इंडोनेशिया के किसी भी उत्पादक अथवा निर्यातक ने इन देशों में उत्पादन, खपत या क्षमताओं के संबंध में कोई भी सूचना नहीं दी है। एफओएसजी ने अपने प्रस्तुतिकरण में प्रस्तुत किया है कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि चीन जन.गण. की क्षमता कुल भारतीय मांग की तुलना में अधिक है और जहां तक फ्लोट ग्लास के विनिर्माण का संबंध है, भारत का घरेलू उद्योग किसी भी समय पर चीन जन.गण. के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हो जाएगा। यह प्रस्तुतिकरण किया गया है कि चीन की क्षमता, भारत में कुल मांग की 26 गुना अधिक है और यह घरेलू उद्योग की उत्पादन क्षमता से 33 गुना ज्यादा है। इससे अनिवार्यत: यह प्रदर्शित होता है कि घरेलू उद्योग ने अपना उत्पादन क्षमता में गंभीरतापूर्वक वृद्धि नहीं की जिससे कि वह भारतीय बाजार में लागत प्रतिस्पर्धी उत्पादन प्रदान करा पाता। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्तुतिकरण भी किया गया है कि पिछले 10 वर्षों में घरेलू उद्योग केवल 3-4 अतिरिक्त फ्लोट लाइन्स का ही विस्तार कर सका जबकि भारत को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए और भारतीय बाजार में लागत प्रतिस्पर्धी उत्पादों की पेशकश करने के लिए भारत के पास कम से कम 50 फ्लोट लाइनें होनी चाहिए।

128. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई गई रिपोर्ट के अनुसार चीन की फ्लोट ग्लास का उत्पादन करने में चीन की प्रभावी स्थिति बरकरार है और वह इस उत्पाद का विश्व में बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।

129. तथापि, जहां तक इंडोनेशिया का संबंध है, घरेलू उद्योग ने इंडोनेशिया के उत्पादकों की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के आधार पर ऊपर रिकार्ड किए गए के अनुसार इंडोनेशियाई उत्पादकों और निर्यातकों की क्षमता तथा निर्यात उन्मुखता के संबंध में कतिपय सूचना प्रदान कराई है। घरेलू उद्योग ने, इसके अतिरिक्त, यह तर्क भी दिया है कि उनका दायित्व केवल सकारात्मक सूचना ही प्रदान करता था जिससे समीक्षा की शुरूआत की जा सके और तत्पश्चात्, विस्तृत सूचना प्रदान करने का उत्तरदायित्व उस देश के उत्पादकों और निर्यातकों पर है जिसे प्रदान करने में वे असफल रहे हैं। यहां तक कि इंडोनेशिया की सरकार ने भी सार्वजनिक सुनवाई के दौरान अनुरोध किए गए के अनुसार सूचना प्रदान नहीं कराई है।

130. इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह एक निर्णायक समीक्षा है और न कि एक मध्यावधि समीक्षा, जिसमें समीक्षा की शुरूआत करने के लिए केवल सकारात्मक सूचना भी अपेक्षित होती है। इसलिए इस संबंध में घरेलू उद्योग का तर्क सही नहीं है। एक निर्णायक समीक्षा में, जिसमें शुल्क की अन्य पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाए जाने की मांग की जाती है, संभावना की जांच अधिक महत्वपूर्ण है जिसके लिए ऐसे साक्ष्यों की आवश्यकता होती है जो यह सिद्ध कर सके कि पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति की पुनरावृत्ति की आसन्न संभावना होना अपेक्षित है। यद्यपि घरेलू उद्योग ने इंडोनेशिया में मौजूद क्षमताओं के संबंध में कुछ सूचना प्रदान की है तथापि, घरेलू मांग तथा अन्य देशों को निर्यात के संबंध में कोई ऐसा भरोसेमंद साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि क्या यह क्षमताएं बेशी क्षमताएं हैं और पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिए जाने की स्थिति में उसका भारत को पथान्तरण होने की संभावना है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि इंडोनेशिया की सरकार ने भी इस संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की है।

(iv) संबद्ध देशों से अन्य देशों में कीमतों के आधार पर क्षति एवं पाटन मार्जिन का स्तर

131. पाटनरोधी शुल्क प्रभावी होने के बावजूद चीन से संबद्ध वस्तु का पाटित कीमतों पर आयात होना जारी रहा और वह भारतीय बाजार में घरेलू कीमतों का भारी कीमत अधोरदन करता रहा। क्षति जांच अवधि के दौरान तीन महत्वपूर्ण सौदे भी घरेलू उद्योग की कीमतों की तुलना में अत्यधिक कम कीमतों पर किए गए। परंतु इस तथ्य पर विचार करते हुए वे प्रतिनिधिक नहीं हो सकते हैं कि संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान उस देश से कोई आयात हुआ ही नहीं है।

132. घरेलू उद्योग ने यह प्रदर्शित करने के लिए चीन और इंडोनेशिया से अन्य देशों को पूर्ति की जाने वाली संबद्ध वस्तुओं के मूल्य के कुछ प्रमाण दिए हैं कि यदि शुल्क मंसूख किए जाते हैं तो भारतीय बाजार में ऐसे मूल्यों आयात होगा जो भारतीय उद्योग को हानि पहुंचाएंगे।

तथापि, यह सूचना केवल नमूना इनवाइसिस पर आधारित है और प्रकट तौर पर चीन और इंडोनिशया से अन्य देशों को निर्यात संबंधी कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से ऐसी सूचना हासिल करने के लिए कोई समर्पित शीर्ष उपलब्ध नहीं है।

(v) भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता और मांग परिदृश्य

133. संबद्ध वस्तु के लिए भारत की बाजार में इस उत्पाद की भारी मांग है जो सामान्य आर्थिक विकास के अनुरूप ही है। तथापि, विगत का कीमत परिदृष्य यह दर्शाता है कि यह अभी भी एक कम कीमत वाली बाजार बनी हुई है और यह विश्व के उन उद्यमों के लिए एक आकर्षक बाजार है जिनकी मार्जिन लागत कीमत निर्धारण पर निर्यात करने की वेशी क्षमताएं है। तथापि, यदि शुल्क हो हटा दिया जाता है तो भारतीय बाजार और भी अधिक आकर्षक हो जाएगी क्योंकि निर्यातकगण उनके द्वारा शुल्क अवशोषण की क्षमता तक बेहतर कीमतें प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

(vi) उत्पाद पर प्रभावी पाटनरोधी शुल्क

134. भारत द्वारा पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया से फ्लोट ग्लास के आयातों के विरुद्ध दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या 48/2014-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया है। प्राधिकारी की जानकारी में यह भी लाया गया है कि ब्राजील, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं और फ्लोट ग्लास के उभरते हुए उपभोक्ताओं में से एक है, ने चीन से इस उत्पाद के आयातों पर वर्ष 2013 में शुल्क अधिरोपण किया गया है। दक्षिण कोरिया व्यापार आयोग ने चीन के फ्लोट ग्लास उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क, जिसका उदग्रहण अप्रैल, 2012 में किया गया था, बढ़ा दिया है। आस्ट्रेलियाई प्राधिकारियों ने थाईलैंड से फ्लोट ग्लास के आयातों पर नवम्बर, 2011 में पाटनरोधी शुल्क का उदग्रहण किया था। इसलिए, इस संबद्ध वस्तु के चीन से ब्राजील दक्षिण कोरिया और आस्ट्रेलिया को हो रहे निर्यातों पर काफी हद तक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इंडोनेशिया से इस संबद्ध वस्तुओं के निर्यातों के विरुद्ध पाटनरोधी कार्रवाई के संबंध में किसी भी अन्य देश द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं कराई गई है।

(vii) जांच की अवधि के पश्चात् की अवधि में आयातों की प्रवृत्ति

135. वर्तमान मामले में जांच की अवधि जुलाई, 2012 – जून, 2013 थी और संवर्धित पाटनरोधी शुल्क 05 जनवरी, 2015 तक वैध था। जांच की अवधि के पश्चात् की अवधि में आयातों तथा कीमतों की प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि इंडोनेशिया से कोई आयात नहीं हुआ और चीन से आयातों में भी गिरावट आई है। जांच की अवधि के पश्चात् की अवधि के लिए आंकड़े निम्नलिखित हैं :

देश	मूल्यों का योग रुपए	मीट्रिक टन का योग
चीन जन.गण.	39378773	1753
इंडोनेशिया	0	0

136. यह नोट किया जाता है कि इस अवधि के दौरान चीन और इंडोनेशिया से होने वाले आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित था। इसलिए, आयातों की प्रवृत्ति की तुलना में क्षति जांच अवधि में परिवर्तन नहीं हुआ।

ञ. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात् किया गया विवरण प्रस्तुतिकरण

137. प्राधिकारी ने इस मामले के अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन करते हुए और सभी हितबद्ध पक्षकारों से उन पर उनकी टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए दिनांक 23 जून, 2015 को एक प्रकटन विवरण जारी किया। हितबद्ध पक्षकारों ने अधिकांशत: अपने विचारों को दोहराया ही है। संक्षिप्तता के उद्देश्य से, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहले की गई टिप्पणियों/प्रस्तुतिकरणों को दोहराया नहीं गया है। तदनुसार, प्रकटन के उपरांत प्रस्तुतियों और उनके अंतर्गत उठाए गए मुद्दों की यहां इसके तहत जांच की गई है :

ञ.1. घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

138. घरेलू उद्योग के ऊपर रिकार्ड किए गए इंडोनेशिया से पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना संबंधी अपनी टिप्पणियों के अलावा, अपने प्रकटन पश्चात् किए गए विवरण प्रस्तुतिकरण में यह प्रस्तुत किया है कि जहां तक चीन जन.गण. से संबंधित तथ्यों, विश्लेषणों और निष्कर्षों का संबंध है घरेलू उद्योग को प्रस्तावित निष्कर्षों के मुद्देनजर कोई विशिष्ट टिप्पणी नहीं करनी है।

ब.2. फेडरेशन ऑफ सेफ्टीग्लास के विचार

139. फेडरेशन ऑफ सेफ्टी ग्लास ने प्रकटन पश्चात् की नई अपनी टिप्पणियों में यह प्रस्तुतिकरण किया है कि यद्यपि प्रकटन में उनके विचारों को समुचित रूप से रिकार्ड किया गया है तथापि प्रकटन विवरण के पैरा 41(iv) के अंतर्गत प्राधिकारी का यह प्रेक्षण कि हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण दिए जाने के सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रदान करने में असफल रहे हैं और यह कि वे यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि इन देशों से आयातों के विरुद्ध शुल्क की निरंतरता किस तरह अर्थव्यवस्था अथवा देश के व्यापक हित के विपरीत होगी और यह उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों के विपरीत है। इसलिए, प्राधिकारी को एफओएसजी द्वारा किए गए उद्देश्यपरक और व्यापक प्रस्तुतिकरणों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त जांच परिणाम पर पुन: विचार करना चाहिए और कोई तर्कसंगत निर्णय लेना चाहिए।

ब.3. अजन्ता प्राइवेट लिमिटेड और पीटी मुलियाग्लास इंडोनेशिया द्वारा प्रस्तुत विचार

140. अपने पृथक एवं समरूपी प्रस्तुतिकरणों में उपर्युक्त हितबद्ध पक्षकारों ने इस जांच में इससे पूर्व, इस जांच की अनुरक्षणीयता सहित, जांच के विभिन्न पहलुओं पर इससे पहले किए गए प्रस्तुतिकरणों और तर्कों की अधिकांशत: पुनरावृत्ति ही की है। संक्षिप्तता को ध्यान में रखते हुए उन विचारा को यहां दोहराया नहीं जा रहा है। पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों को संक्षेप में निम्नलिखित अभिव्यक्त किया जा रहा है। पक्षकारों ने, अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि :

- यह कि जब पाटनरोधी शुल्क प्रभावी नहीं है तो पाटन की निरंतरता अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में कोई जांच की जा सकती है। चूंकि प्रश्नाधीन शुल्क 05 जनवरी, 2015 को समाप्त हो गया है और कोई पाटनरोधी शुल्क प्रभावी नहीं है इसलिए प्राधिकारी अब पाटन की निरंतरता अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना की जांच नहीं कर सकते हैं।

- यह कि विचारित विनिमय दर न्यायोचित नहीं है क्योंकि प्रतिवादीगण यह विश्वास करते हैं कि आरबीआई के इस समय प्रचलित दर को किया जाना चाहिए। पुन: यह प्रस्तुतिकरण किया गया है कि यदि मौजूदा विनिमय दर पर विचार किया जाता है तो कीमत अधोरदन और कीमत अधोविक्रयण का प्रशमन हो जाएगा।

- यह कि प्राधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि 4 एमएम से कम की संबद्ध वस्तु का भी जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात किया गया है परंतु उसकी मात्रा बहुत कम है। यह पुनरावृत्ति की गई है कि यदि सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान के मूल के अथवा वहां से निर्यातित क्लीयर फ्लोट ग्लास के मामलों में यह व्यक्त होता है तो 4 एमएम और उससे कम की मोटाई के फ्लोट ग्लास का विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जन करने में घरेलू उत्पादकों को 4 एमएम और उससे कम की मोटाई वाले फ्लोट ग्लास से क्षति नहीं हो रही है।

- यह कि संबद्ध देशों से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि इसकी मात्रा अन्य देशों से किए गए आयातों की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसके अतिरिक्त, इस अल्प मात्रा में भी जांच की अवधि के साथ-साथ क्षति अवधि में निरंतर गिरावट आई है।

- यह कि कतिपय सूचना के संबंध में प्रदान की गई गोपनीयता अनधिपत्रित है।

- यह कि इंडोनेशिया और चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण अवैध है क्योंकि किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में घरेलू उत्पादकों की उत्पादन लागत के आधार पर नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का निर्धारण करने और तर्कसंगत लाभ के लिए आधार हेतु सूचना के स्रोत का भी प्रकटन नहीं किया है।

- यह कि घरेलू उद्योग को लगभग सभी पैरामीटरों के आधार पर क्षति कारित नहीं की गई है। घरेलू उद्योग ने संवेदनशील क्षति पैरामीटरों जैसे घरेलू बिक्रियां, क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग, रोजगार और मालसूची आदि के संबंध में स्पष्टत: भारी सुधार हुआ है। एकमात्र संभावित क्षति पैरामीटर जिसके जरिए क्षति का प्रदर्शन हो सकता है, वह है लाभ की प्रवृत्ति और बाजार हिस्से गिरावट। प्राधिकारी ने, उन संबद्ध देशों के जिन पर पाटनरोधी शुल्क प्रभावी नहीं है, अलावा अन्य देशों से आयातों की मौजूदगी और वृद्धि को भी माना है। इस तरह के देशों से आयातों में जांच की अवधि के दौरान 6 गुना वृद्धि हुई है। इस प्रकार क्षति एवं क्षति की संभावना की वास्तविक कारण संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं है।

- यह कि निर्णायक समीक्षा का दायरा केवल यह निष्कर्ष निकालने तक सीमित है कि क्या पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए, यद्यपि संबद्ध देशों से संबद्ध निर्यातों पर पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता पूर्णतया नहीं बनाए रखी जा सकती है, तथापि यह प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि यदि प्राधिकारी ऐसा करने का निर्णय करते भी हैं तो पाटनरोधी शुल्क की दर मौजूदा शुल्क से अधिक नहीं हो सकती है।

- यह कि संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता की निर्णायक समीक्षा को बिना क्षेत्राधिकारी के खारिज कर दिया जाना अपेक्षित होता है। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी को समीक्षा को जारी रखने का निर्णय करते भी हैं तो पाटनरोधी शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकती है।

झ.4. प्राधिकारी द्वारा मुद्दों की जांच

141. प्राधिकारी ने इन मुद्दों की जांच की है तथा प्रकटन विवरण पश्चात् घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्राधिकारी के विचार इस प्रकार हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को छोड़कर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों ने इस जांच के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अपने विगत में किए गए प्रस्तुतिकरणों को ही अधिकांशत: दोहराया ही है जिनका इस जांच परिणाम के संबंधित पैराग्राफों में समाधान कर दिया गया है। ऊपर संक्षेप में दिए गए अन्य मुद्दों की जांच अधोलिखित रूप में की गई है :

142. जहां तक एफओएसजी की टिप्पणियों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उनके द्वारा घरेलू उद्योग के क्षति दावों के संबंध में प्रदान कराई गई सूचना का इस जांच परिणाम के संगत खंडों में उपयुक्त ढंग से निराकरण कर दिया गया है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति एवं क्षति की निरंतरता अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना कई घटकों का एक समग्र आकलन है और उसका उद्देश्यपरक ढंग से इस जांच परिणाम में रिकार्ड किए गए के अनुसार समाधान किया गया है। जहां तक अनुप्रवाही उत्पादकों पर शुल्क की निरंतरता के प्रभाव के संबंध में उनकी चिंता का संबंध है, प्राधिकारी ने उसकी जांच की है और यह रिकार्ड किया है कि पाटनरोधी शुल्क का आशय घरेलू बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा और समान अवसरों को पुनर्स्थापित करना है जो उपभोक्ताओं के आम हित में भी है।

143. जहां तक मैसर्स अजन्ता तथा मैसर्स पी टी मुलियाग्लास इंडोनेशिया द्वारा इस जांच की वैधता और संभावना के परीक्षण की वैधता का संबंध है प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि यह शुल्क 5 जनवरी, 2015 को समाप्त हो गया तथापि केंद्रीय सरकार ने नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार इस जांच को पूरा करने की समयावधि 02 जुलाई, 2015 तक बढ़ा दी है और इसलिए इस जांच तथा विभिन्न पहलुओं के परीक्षण की निरंतरता वैध है और उसका आयोजन नियमावली में उल्लिखित नियमों के अनुसार ही किया गया है।

144. जहां तक इस विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा 4 एमएम से कम के फ्लोट ग्लास का अपवर्जन करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों की मांग का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इसका समाधान इस जांच परिणाम के संगत खंडों में समुचित रूप से कर दिया गया है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को स्वीकार नहीं किया जाता है।

145. जहां तक मौजूदा क्षति और क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति की जांच करना कई कारकों को कवर करते हुए एक समग्र आकलन है और कोई एक अथवा घटकों का समूह क्षति एवं क्षति की संभावना के संबंध में कोई निर्णायक संकेत नहीं दे सकता है। इसलिए, विभिन्न कारकों की उद्देश्यपरक जांच की गई है, जैसाकि इस जांच परिणाम में रिकार्ड किया गया है, जिसमें अन्य स्रोतों से आयातों का प्रभाव शामिल है। प्राधिकारी ने यह भी रिकार्ड किया है कि विभिन्न स्रोतों से एक साथ पाटन होने के मद्देनजर क्षति की संचयी जांच की गई है। इसलिए, इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों की चिंताओं का उपयुक्त ढंग से समाधान कर दिया गया है।

146. जहां तक हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क का संबंध है कि किसी निर्णायक समीक्षा में शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकती है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संगत परम्परा के अनुसार इस निर्णायक समीक्षा की जांच की अवधि के दौरान मौजूदा पाटन एवं क्षति, यदि कोई, की मात्रा का आकलन किया गया है और इस तरह आकलित पाटन एवं क्षति की सीमा तक शुल्क में वृद्धि इस तरह की गई है कि उससे शुल्क में या तो कमी हो या उसमें वृद्धि हो। मौजूदा पाटन एवं क्षति की स्थिति न होने और पाटन एवं क्षति की संभावना के आधार पर शुल्क में वृद्धि किया जाना अपेक्षित होने पर ही शुल्क में वृद्धि की गई है, जैसाकि यहां किया गया है। यदि हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को एक ऐसी स्थिति में स्वीकार कर लिया जाता है जहां शुल्क का अधिरोपण किए जाने के पश्चात् पाटन एवं क्षति की मात्रा एवं सीमा में कमी आई है, वहां शुल्क में उच्चतर वृद्धि की जाती है जो न तो विधि की भावनाओं के अनुरूप होती है और न ही जांच के पक्षकारों के हित में। इसलिए, इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तर्क स्वीकार्य नहीं हैं।

147. जहां तक सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस मुद्दे का इस जांच परिणाम के संगत पैराग्राफों में उपयुक्त ढंग से समाधान कर दिया गया है। इस तथ्य का स्पष्टत: उल्लेख किया

गया है कि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में दिए गए प्रथम एवं द्वितीय विकल्प के अनुसार चीन में सामान्य मूल्य के निर्धारण की संभावना की जांच की गई परंतु उस देश में कीमत और लागत के आधार पर अथवा उस देश से, भारत सहित किसी अन्य देश को कीमत और लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की संरचना करने के लिए उदाहरण के रूप में किसी उपयुक्त तृतीय देश का चयन करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान कराई गई किसी भरोसेमंद और सार्थक सूचना/आंकड़ों के अभाव में इसका आश्रय नहीं लिया जा सका। इसलिए, चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण ऊपर उल्लिखित नियमावली में प्रदान कराए गए तीसरे विकल्प के अनुसार किया गया है और सामान्य मूल्य की संरचना भारत में कार्यकुशल घरेलू उत्पादक/संयंत्र की उत्पादन लागत के आधार पर, प्रमुख कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का विधिवत समायोजन करने के पश्चात् किया गया है। प्रमुख कच्चे माल जैसे सोडा ऐश की कीमतें वर्ल्ड ट्रेड ऐटलस से ली गई हैं। प्राधिकारी ने अपनी संगत परम्परा के अनुसार 5 प्रतिशत के तर्कसंगत लाभ का प्रावधान भी किया है। इसलिए, इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क स्वीकार्य नहीं हैं।

ट. पाटन एवं क्षति की निरंतरता अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना का समग्र आकलन

148. पाटन एवं मार्जिन के पहलुओं की विभिन्न संभावनाओं का उपर्युक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि चीन की फ्लोट ग्लास विनिर्माण में भारी क्षमताएं होने से विश्व बाजार में चीन की स्थिति बहुत अच्छी है। इसके उत्पादों पर ब्राजील में पाटनरोधी शुल्क और अभी हाल ही में भारत द्वारा कई अन्य देशों के विरुद्ध अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क का चीन द्वारा, यदि शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिया जाता है तो भारत में पाटित वस्तु का पाटन उच्चतर मात्रा में जारी रखने का लाभ प्राप्त होगा। इसलिए चीन से पाटन की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की तीव्रता निकट भविष्य में ही बढ़ जाने की संभावना है।

149. तथापि, जहां तक इंडोनेशिया का संबंध है, यद्यपि घरेलू उद्योग ने उस देश में क्षमताओं से संबंधित सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कतिपय सूचना प्रदान कराई है तथापि यह दर्शाने के लिए कोई भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि यह क्षमताएं घरेलू मांग तथा अन्य देशों को निर्यात से बेशी क्षमताएं हैं जिससे उस देश के निर्यातक भारत को पाटित कीमतों पर भारी मात्रा में निर्यात पुन: प्रारंभ कर सकते हैं क्योंकि संपूर्ण क्षति जांच अवधि के दौरान इस देश से भारत को व्यावसायिक रूप से कोई निर्यात नहीं हुआ है। चूंकि यह दर्शाने के लिए कोई भरोसेमंद सूचना नहीं है कि इंडोनेशिया से पाटन की पुनरावृत्ति होने की कोई आसन्न संभावना है, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि उस देश के विरुद्ध लगाए गए शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो इंडोनेशिया से पाटन की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है।

150. क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को, पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद, संबद्ध देशों सहित कई स्रोतों से पाटित आयातों के संचयी प्रभाव के कारण, उत्पादन और बिक्री में सुधार होने के बावजूद, भारी वित्तीय घाटे के रूप में वास्तविक क्षति की निरंतरता बनी हुई है। इसलिए, यदि शुल्क का प्रतिसंहरण कर लिया जाता है तो चीन से आयातों की मात्रा में वृद्धि होने और चीन से पाटित आयातों के साथ-साथ उन अन्य देशों से जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा हुआ है पाटित आयातों के कीमत एवं मात्रा प्रभाव के कारण घरेलू उद्योग को निरंतर क्षति होने की संभावना है, जैसाकि पहले ही प्रदर्शित किया गया है।

151. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो चीन जन.गण. से पाटन की निरंतरता बने रहने और उसके तीव्र होने की पूरी संभावना है और इंडोनेशिया से पाटन की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की कोई संभावना नहीं है। प्राधिकारी यह निष्कर्ष भी निकालते हैं कि चीन से पाटन की निरंतरता और उसका तीव्रीकरण से घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बनी रहेगी।

ठ. निष्कर्ष

152. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों और किए गए प्रस्तुतिकरणों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराए गए तथ्यों, जिन्हें इस जांच परिणाम में रिकार्ड किया गया, की जांच करने के पश्चात् प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि :

(i) भारतीय बाजार में चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु का उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर प्रवेश होना जारी रहा और पाटन मार्जिन पर्याप्त तथा न्यूनतम से अधिक है। तथापि, इंडोनेशिया से हुए आयात महत्वहीन हैं, यद्यपि पाटन मार्जिन सकारात्मक है और वह न्यूनतम से अधिक है;

(ii) घरेलू उद्योग को क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों सहित कई अन्य देशों से पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण वास्तविक क्षति सहन करनी पड़ी है;

(iii) यदि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है तो चीन जन.गण. से पाटित कीमतों पर इसका निर्यात बने रहने की संभावना है और चीन जन.गण. से पाटन की निरंतरता बने रहने की संभावना है। तथापि, क्षति जांच अवधि के दौरान कोई महत्वपूर्ण आयात नहीं होने के मद्देनजर और इंडोनेशिया से पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना के समर्थन में किसी विश्वसनीय समर्थनकारी साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इंडोनेशिया से किसी पाटन की पुनरावृत्ति होने की कोई आसन्न संभावना नहीं है; और

(iv) चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति, उस देश से पाटित आयातों की निरंतरता के कारण, होने की संभावना है।

ङ. जनहित तथा अन्य मुद्दे

153. एफओएसजी ने, अपने प्रस्तुतिकरणों में यह तर्क दिया है कि इस समय एफओएसजी में 76 सदस्य हैं, जबकि प्रासेस्ड ग्लास उद्योग में लगभग 125 विनिर्माण निकाय हैं। प्रासेस्ड ग्लास का एक-एक संयंत्र 100-125 कर्मचारियों को रोजगार देता है। इस एसोसिएशन के सदस्य टफेंड, इंसुलेटेड और लैमीनेटेड ग्लासों का विनिर्माण करने वाले "प्रासेस्ड ग्लास उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा उत्पादित वस्तु का बाजार आकार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2800 करोड़ रुपए का है जबकि फ्लोट ग्लास उद्योग का आकार प्रति वर्ष लगभग 4000 करोड़ रुपए का है। प्रासेस्ड ग्लास उद्योग भारत में कुल फ्लोट ग्लास बाजार के लगभग 35-40 प्रतिशत की खपत करता है। मूल्य के रूप में यह फ्लोट ग्लास उद्योग के एक वर्ष में लगभग 4000 करोड़ रुपए के कुल बाजार आकार में यह लगभग 1500 करोड़ रुपए का है। इसलिए, फ्लोट ग्लास उद्योग पर किया गया कोई भी उदग्रहण इस प्रासेसिंग उद्योग को प्रत्यक्षत: प्रभावित करता है। एफओएसजी, एमएसएमई का एक एसोसिएशन भी है जो टफेंड ग्लास का विनिर्माण करने के लिए फ्लोट ग्लास का प्रयोग करता है। इसलिए, प्राधिकारी को चाहिए कि वे इन विनिर्माताओं के हितों की रक्षा करें और शुल्क न लगाएं।

154. इस संबंध में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी विधि का उद्देश्य अन्य देशों के उत्पादकों की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के विरुद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन की रक्षा करके वस्तु का उत्पादन करने और भारतीय बाजार में वस्तु की खपत करने के लिए समान अवसरों का सृजन करना है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उत्पादन आधार का अस्तित्व और उसकी संधारणीयता सामान्य आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और यह घरेलू उपभोक्ताओं के हित में भी है जो घरेलू उत्पादन आधार पर अभाव में विदेशी उत्पादकों के एकाधिकारवादी व्यवहार के प्रति प्रगोपित नहीं होगी। तथापि, प्राधिकारी ने इस जांच परिणाम में घरेलू उत्पादकों के कीमत एवं लागत व्यवहार की उद्देश्यपरक जांच, घरेलू उद्योग की चिंताओं का निराकरण करने और क्षति एवं कारणात्मक संबंधी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए की है।

ढ. सिफारिशें

155. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह जांच शुरू की गई और इसकी सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी गई और निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति एवं कारणात्मक संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर तथा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने की संभावना के संबंध में सकारात्मक सूचना और सत्यापन योग्य साक्ष्य प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया। निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप जांच आयोजित करके और यह सिद्ध करके कि यदि शुल्क का प्रतिसंहरण कर दिया जाता है तो चीन जन.गण. से पाटन की निरंतरता बने रहने की संभावना है और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने की संभावना है, प्राधिकारी चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क में, अधोलिखित स्वरूप और ढंग से विस्तार करने की सिफारिश करना आवश्यक एवं उपयुक्त समझते हैं। इंडोनेशिया से पाटन की निरंतरता बने रहने

अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना से संबंधित किसी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में प्राधिकारी इंडोनेशिया के विरुद्ध शुल्क वापस लेने की सिफारिश करना उपयुक्त मानते हैं।

156. न्यूनतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी जांच की अवधि के लिए इस जांच परिणाम में यथानिर्धारित क्षति मार्जिन और पाटन मार्जिन के न्यूनतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क में विस्तार करने की सिफारिश करते हैं, जिससे कि घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, चीन जन.गण. देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित अधोलिखित शुल्क तालिका की पाट टिप्पणी सहित के कालम 3 में यथाउल्लिखित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका के कालम 8 में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण किए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	उप-शीर्षक या प्रशुल्क मद	वस्तु विवरण	उद्गम के देश	निर्यात के देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क-राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7005	फ्लोट ग्लास**	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	कोई	कोई	218	एमटी	यूएस डालर
2	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	कोई	कोई	कोई	218	एमटी	यूएस डालर
3	-वही-	-वही-	जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगा है उनके अलावा कोई अन्य***	चीन जन.गण.	कोई	कोई	218	एमटी	यूएस डालर

**"2 एमएम से 12 एमएम (दोनों मोटाइयों को शामिल करते हुए) की मोटाई के क्लीयर तथा टिन्टेड वैरायटी के फ्लोट ग्लास, परंतु इनमें सजावट, औद्योगिक अथवा आटोमोटिव उद्देश्यों के लिए रिफ्लेक्टिव ग्लास, प्रासेस्ड ग्लास शामिल नहीं हैं।"

***उन देशों के मूल की वस्तु के मामले में जिन पर पाटनरोधी शुल्क प्रभावी है, उन मामलों में उन अधिसूचनाओं के अंतर्गत अनुप्रयोज्य शुल्क लागू होगा।

157. केंद्रीय सरकार द्वारा, इस सिफारिश के परिणामस्वरूप, निकाले गए आदेश के विरुद्ध अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद की एवं सेवाकर अपीलीय अधिकरण में अपील दायर की जा सकती है।

158. प्राधिकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार इस यथा संस्तुत निर्णायक शुल्क की समय-समय पर निरंतरता, संशोधन अथवा उसे समाप्त करने की जरूरत की जांच कर सकते हैं। प्राधिकारी द्वारा ऐसे किसी भी समीक्षा के संबंध में अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक उसे इस प्रयोजनार्थ विहित समय के अंदर हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर नहीं किया जाता है।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(Department of Commerce)
(Directorate General of Anti Dumping and Allied Duties)

NOTIFICATION
New Delhi, the 2nd July, 2015
Final Finding

Subject : Second Sunset Review (SSR) anti-dumping investigation concerning imports of 'Certain Float Glass' originating in or exported from China PR and Indonesia.

F. No. 15/24/2013-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (hereinafter referred to as the Rules) thereof, on the basis of the duly substantiated application filed on behalf of the domestic producers of float glass in India and in accordance with section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Designated Authority in the Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce, Govt. of India, appointed under the Rules supra, (hereinafter referred to as "the Authority"), initiated a sunset review investigation, vide Notification No. 15/24/2013-DGAD dated 3rd January, 2014, to examine whether the expiry of the duty in force on import of certain float glass originating in or exported from China PR and Indonesia, is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

A. Background of the Case

1. Having regard to the above Act and Rules the Designated Authority had, vide Notification No. 14/19/2002-DGAD dated 05th July, 2002, initiated an anti-dumping investigation concerning import of "Certain Float Glass" (hereinafter referred to as subject goods), originating in or exported from China PR and Indonesia (hereinafter referred to as "subject countries").

2. The Preliminary Findings were issued by the Authority, vide Notification No. 14/19/2002-DGAD dated 20th November, 2002 and provisional duty was imposed by the Central Government, vide Notifications No. 7/2003-Customs, dated 7th January, 2003. The Final Findings were issued by the Authority vide Notification No. 14/19/2002-DGAD, dated 22nd August, 2003. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government, vide Notifications No. 165/2003-Customs, dated 12th November, 2003 on the imports of the above goods, originating in or exported from the subject countries.

3. Before expiry of the said duty M/s Saint-Gobain Glass India Limited, the major domestic manufacturer of the subject goods in India, filed a duly substantiated application in 2007 before the Authority, on behalf of the domestic industry, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the above goods, originating in or exported from subject countries and consequent injury to the domestic industry in the event of cessation of duty, and requested for a review of the same for continuation and enhancement of the anti-dumping duties imposed on the imports of "Certain Float Glass", originating in or exported from the subject countries.

4. On the basis of duly substantiated application filed by the domestic industry, Authority vide Notification No. 15/01/2007-DGAD, dated 13th December, 2007, initiated a sunset review of the anti-dumping duty in force on import of "Certain Float Glass", originating in or exported from the above named countries. The Final Findings were issued by the Authority vide Notification No. 15/01/2007-DGAD dated 02nd December 2008. On the basis of the recommendations made by the Authority in the final findings, definitive anti-dumping duties were extended by the Central Government, vide Notifications No. 04/2009-Customs dated 06th January, 2009 on the imports of the above goods, originating in or exported from the subject countries for a further period of five years i.e., upto 5th January, 2014.

5. In 2013 M/s Gold Plus Glass Industry Limited, M/s HNG Float Glass Limited and M/s Saint-Gobain Glass India Limited, the major domestic manufacturers of the subject goods in India, filed a duly substantiated application before the Authority, on behalf of the domestic industry, in accordance with the Act and the Rules, alleging likelihood of continuation or recurrence of dumping of the above goods, originating in or exported from subject countries and continuation or recurrence of injury to the domestic industry in the event of cessation of duty, and requested for a review of the same for continuation and enhancement of the anti-dumping duties imposed on the imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

6. On the basis of the duly substantiated application filed on behalf of the domestic industry and in accordance with section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, the Authority initiated a sunset review investigation, vide Notification No. 15/24/2013-DGAD dated 3rd January, 2014, to examine whether the expiry of the duty in force is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The validity of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries was extended by the Central Government up to and inclusive of 5th day of January 2015, vide Notification No. 07/2014-Customs (ADD) dated 23rd January, 2014.

7. On the request of the Authority, the Central Government extended the time for completion of the Investigation by six months, i.e., up to 02nd July, 2015, in terms of Rule 17 of the AD Rules.

8. The scope of the present review covers all aspects of the original investigation concerning imports of the above goods, originating in or exported from the subject countries.

B. Procedure

9. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:

 i. The embassies of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigations in accordance with Rule 6(2).

 ii. The Authority provided copies of the non-confidential version of the application to the known exporters and the embassy of the subject countries in accordance with Rules 6(3) supra. A copy of the non- confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.

 iii. The Authority forwarded a copy of the public notice to the following known manufacturers/exporters in the subject countries (whose names and addresses were made available to the Authority) and gave them opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter in accordance with the Rules 6(2) & 6(4):

CHINA

1. M/s Luoyang Float Glass Group Co., Ltd.
2. M/s Qinhuangdao Huazhou Glass Co. Ltd., China

INDONESIA

1. M/s. PT Mulia Industrindo
2. M/s. PT Tensindo
3. M/s PT Abdi Rakyat Bakti

10. China being a Non-Market Economy country, a Market Economy Treatment (MET) questionnaire was also forwarded to all the known producers/exporters in China PR and the Embassy of China PR with the request to provide relevant information to the Authority within the prescribed time limit. While for the purpose of initiation the normal value in China was considered based on the cost of production of the subject goods in India, duly adjusted, the Authority informed the known producers/exporters from China PR that it proposes to examine the claim of the applicant in the light of Para 7 and Para 8 of Annexure I of Anti-dumping Rules, as amended. The exporters/producers of the subject goods from China PR were, therefore, requested to furnish necessary information as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 of Annexure I referred above to enable the Authority to consider whether market economy treatment can be granted to the cooperative exporters/producers in that country. However, no response has been received from any producer/exporter from China PR in this regard.

11. No exporter's questionnaire has been filed by any of the producers/exporters from the subject countries.

12. The Authority forwarded copies of the public notice to the following known importers/consumers of subject goods in India (whose names and addresses were made available to the authority) and advised them to make their views

known in writing within forty (40) days from the date of issue of the letter in accordance with the Rule 6(4):

(i) Mahavir Mirror Industries
(ii) Impact Safety Glass Works (P) Ltd.
(iii) Liberty Glass House
(iv) Monika Exim InternationaLtd.
(v) Chinoy Chiblani & Co.
(vi) M/s T.L.Verma & Co.
(vii) Rajvi Enterprises/Samarth Industries

13. No response to the prescribed questionnaire has been submitted by any of the importers/users/other interested parties. However, legal submissions have been filed with regard to injury etc., by the following:

(i) Federation of Safety Glass Manufacturers, India (hereinafter referred to as "FOSG").
(ii) M/s Ajanta Pvt. Limited, India

14. Transaction-wise imports data procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) has been relied upon for the analysis in present SSR investigation. Further, the Authority has also examined the Post-POI (July 2013 - December 2013) import data to analyze the trends for the purpose of likelihood assessment.

15. Exporters, producers, importers and other interested parties, who have neither responded to the Authority nor supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties by the Authority.

16. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

17. Non-confidential versions of the evidence presented by interested parties were made available in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6(7). Pursuant to the orders of the Hon'ble Delhi High Court in SanDisk matter, non-confidential version of the import data procured from DGCI&S has been kept in the public file open for inspection by the interested parties without prejudice to the appeal filed by the Authority before the Hon'ble Supreme Court of India in that matter.

18. The Authority has examined the information furnished by the domestic producer to work out the cost of production and determined the non-injurious price of the subject goods in India, as per its consistent practices, so as to ascertain whether anti-dumping duty, lower than the dumping margin, would be sufficient to remove injury, if any, to the domestic industry.

19. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 29.04.2015. The interested parties were requested to file written submissions of their views expressed orally.
20. The submissions made by the interested parties during the course of the investigation have been addressed in this finding to the extent they are relevant and backed by evidence.

21. Verification of the information and data submitted by the participating domestic producer was carried out to the extent deemed necessary.
22. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has used "best information available" and has treated such parties as non-cooperative.

23. In accordance with the Rules the Authority disclosed the essential facts of the case before it that would form the

basis of its findings in the form of a disclosure statement dated 23rd June 2015 and the interested parties were allowed time upto 29th June 2015 to comment of the same. The comments of the interested parties, to the extent relevant, have been considered by the Authority and have been addressed in this finding.

24. In this finding **** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

25. For the purpose of this investigation the period of investigation was July 2012 – June 2013 and for the purpose of injury investigation data for the period 2010-11, 2011-12, 2012-13 and POI has been considered.

26. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.55.15 = 1 US$.

C. Scope of Product under consideration and like article Submissions made by the Domestic Industry

27. The product under investigation, in the original investigation and the subsequent sunset review investigation, was described as follows:

"Float Glass of thickness 2mm to 12mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes, falling under heading 7005 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)".

28. The petitioner claims that the subject goods are imported under tariff codes 70051010, 70051090, 70052110, 70052190, 70052910, 70052990, 70053010 and 70053090.

29. No submission has been made by the producers/exporters with regard to the scope of the product under consideration and like article. However, M/s Ajanta Pvt. Limited and Federation of Safety Glass (FOSG), in their submissions have *inter alia* argued

- That the applicant domestic producers, in their petition for initiation of anti-dumping investigation on imports of clear float glass originating in or exported from Saudi Arabia, Pakistan and UAE (initiated vide Initiation Notification No. 14/25/2012 dated 11th April 2013), have only requested the inclusion of float glass of thickness 4mm-12mm within the scope of product under consideration. As a result of such definition of the PUC in the other investigation, it can be reasonably inferred that the Applicant Domestic Producers are not manufacturing float glass of less than 4mm thickness and have excluded it accordingly. Accordingly, scope of the product under consideration in this review investigation needs to be restricted in order to exclude float glass of thickness less than 4mm.

- That the float glass of thickness more than 4mm is not a "like product" to the float glass of thickness less than 4mm as they are not in commercial competition. In order to be a "like product", products must be commercially and technically substitutable. Float glass of thickness more than 4mm is not commercially and technically substitutable with float glass of thickness less than 4 mm. The float glass production process differs widely with regard to the yield and cost involved in manufacturing float glass of different thickness. Therefore, float glass of thickness more than 4mm is neither commercially and technically substitutable nor like article to float glass of thickness less than 4mm.

- That the product scope can be changed in the sunset review and has been done by DGAD in past investigations due to reasons that the domestic producers were not producing the product in question.

30. The domestic industry, in its submissions with regard to product under consideration and like article, has inter alia argued:

i. That the current investigation is a sunset review investigation. Accordingly, scope of the product under consideration in the present investigation should remain the same as in the original investigation. The Designated Authority has also upheld the view of the domestic industry on this issue in plethora of cases like the case of Acetone (SSR) from Korea RP.

ii. That the domestic Industry has produced float glass thicknesses below 4mm also during the injury investigation period and the apprehension expressed by certain interested parties is baseless. Further, they had also submitted evidence in the form of sample invoices to support their claim. The Domestic Industry has reiterated that their submission is without prejudice to their claim that the Product under Consideration cannot be changed during the sunset review investigations.

iii. That the scope of the product under consideration is based on the actual injury to the domestic industry from specific sources. While in case of China and Indonesia, dumped imports have been causing injury for thicknesses from 2mm to 12mm in the case of Saudi Arabia, Pakistan and UAE, the product scope was restricted to 4mm to 12mm as the injury was for that segment.

Examination by the Authority

31. The product under consideration in the original investigation as well as in the present investigation was defined as "Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes". "Reflective glass" was excluded from the definition of the product under consideration by Customs Notification No. 51/2009-Customs dated 22nd May, 2009. The product under consideration is classified under the category "Glass and Glassware" in Chapter 70 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 7005 as per Customs Classification. However, Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.

32. As regards the issue of exclusion of thickness less than 4mm, the Authority notes that as per the information submitted by the domestic industry they have manufactured Float Glass of thickness less than 4 mm during the period of injury and float glass of thickness below 4 mm has also been imported from the subject countries during the injury investigation period and these are like articles. Accordingly, claim of the interested parties regarding exclusion of thickness less than 4 mm has no merit.

33. No other argument has been made by any interested party on the product under consideration and like article issue. The Authority therefore, confirms that the scope of the product under consideration in the present review remains the same as that of the original investigation.

34. The Authority notes that the subject goods being exported from the subject countries are alike in all respect to the goods being manufactured by the domestic industry. Therefore, the domestic goods are being held as like articles to the subject goods being imported within the meaning of the Rules.

D. Domestic Industry and Standing

35. The current application for the sunset review has been filed by M/s Saint-Gobain Glass India Ltd., M/S HNG Ltd., and M/s Gold Plus Glass Industry Ltd. who collectively command 66% share in Indian production of the subject goods during the Period of investigation. As per the information available with the Authority there are two other known producers of the product under consideration in the country i.e., M/s Asahi India Glass Ltd and M/s Gujarat Guardian Ltd. who have fully supported the application. There is no opposition to the domestic industry's application from any other producer in the country in the present investigation Therefore, the petitioners command the standing to file the application and also constitute the domestic industry within the meaning of the term as per the AD Rules for the purpose of injury examination. None of the producers/exporters/other interested parties has made any submissions with regard to scope and standing of the domestic industry.

E. Confidentiality

36. The opposing interested parties have alleged that the Applicant Domestic Producers have claimed excess confidentiality on Production Process, Purchase Policy, Sales Policy, Inventory and Quality Control Procedure etc.

37. The domestic industry has submitted that they have claimed confidentiality on their business sensitive information with adequate reasons in accordance with the legal provisions and the guidelines prescribed by the Authority. The reasons and grounds for claiming confidentiality have been given in the non-confidential version of the application.

Hence, the claim of certain interested parties alleging excessive confidentiality is without any substance.

38. It may be noted that there is no questionnaire response from any importer or exporter in this case. The confidentiality claims of the domestic industry have been examined and on being satisfied the claim of confidentiality on business sensitive information have been allowed. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7).

F. Other issues raised by the interested parties

F.1 Submissions of Exporters/Importers and other interested parties

39. None of the producers / exporters from the subject countries has made any submissions. However, M/s Ajanta Pvt. Limited and FOSG, in their respective legal submissions have submitted that:

i. That M/s Ajanta Pvt. Ltd is an interested party in the present sunset review. Right of the petitioner as an interested party is not affected even if no imports are made during the period of investigation.

ii. That FOSG could not make the representation within the permitted time of 40 days as the management of the federation was facing internal issues and was in the process of transformation. In November 2014, the management of the said association has undergone a change and accordingly FOSG had attempted to file its objections at the earliest available time. It is pertinent that at the time of filing the objections, the review proceedings were not completed and the period of the proceedings were extended by 6 months up to 03/07/2015. The designated Authority, being a quasi judicial authority and not a 'Court', there is no need to seek condonation of delay in filing their objections to the proceedings.

iii. That the Applicant Domestic Producers, while disclosing the import data of the subject goods into India, have furnished only the refined data and not the raw data. Further, the Applicant Domestic Producers have not disclosed the methodology used to compile import data of the product under consideration in the petition.

iv. That the Applicant Domestic Producers did not provide any evidence for the deductions made under the categories of ocean freight, marine insurance, port handling, inland freight, and sales commission, or bank charges.

v. That the Respondent has requested the Authority to determine the dumping and injury margin for each thickness of float glass bearing in mind the vast differences in technical characteristics as well as end use of various thicknesses of float glass.

vi. That the interested parties have submitted that during the POI the exchange rate for USD that has been adopted by domestic industry is Rs. 55.15. However, the prevailing rate of USD, as per the RBI, is currently Rs. 63.50. This means that imports into India currently are priced significantly higher than what they used to be during the POI. It is also submitted, that the applicant Domestic Producers alleged price undercutting is after considering the exchange rate of Rs. 55.15. Under such extraordinary circumstances where the domestic currency depreciated at an accelerated rate, the authority is duty bound to consider this factor while making any determinations with regard to injury.

vii. That the domestic industry has received adequate protection from DGAD since the imposition of provisional duty in the original investigation. The protection was increased further by enhancement of duty in the last sunset review investigation. Despite such adequate protection for the last ten years, the domestic industry has failed to improve its weaknesses and is becoming increasingly dependent on the protection given by the authority. Hence, the Respondent has requested the DGAD not to extend the antidumping duty any further.

viii. That the sunset review is required to be terminated because review proceedings cannot be carried on beyond one-year period. Section 9A(5) read with Rule 23(2) empowers the Central Government to extend the levy of the anti-dumping duty for a period of one year only, if the sunset review is not concluded before the expiry of the five years from the date of imposition of the duty.

ix. That FOSG is a federation/association of manufacturers of processed glass in India. The members of the association are representatives of "processed glass industry" manufacturing toughened, insulated and laminated glasses. The market size of the goods produced by the members of the association is about Rs. 2800 Crores in a year in India whereas the size of float glass industry is about Rs. 4000 crores in a year. This industry consumes almost 35-40% of the total float glass market in India. In value terms it is about Rs. 1500 Crores of the total market size of float glass industry of about Rs. 4000 Crores in a year. Therefore, any levy on the float glass directly affects the process glass industry.

x. The domestic industry which has made the representation essentially is dominated by the three members who have made this representation for continuation of antidumping duty. These 3 industries viz, Gold Plus Glass Industry Limited, HNG Float Glass Limited and Saint-Gobain Glass India Ltd account for about 68% of the total production (as admitted in their petition) of the float glass in India. Therefore, their entire ploy is to maximize their production and profits by mis-utilising the tool of anti-dumping duty by suppressing/ misrepresenting the facts in the matter.

40. Apart from the above interested parties, M/s PT Muliglass, Indonesia, has also made a brief submission at the stage of the public hearing in which it has inter alia submitted that the domestic industry in India has already enjoyed antidumping protection *for* 12 years which is more than enough for them to adjust the production parameters to make their production more efficient. Long protection has potential to create a cartel situation which will not be good for downstream industry in India. It has been argued that their export to India during the injury investigation period is miniscule which proves that while they wish to participate in the development process in India they do not intend to dump the goods in India. The Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Govt. of Indonesia, through its Embassy, has also filed a brief submission after the public hearing and has argued that second imposition of the antidumping duty is not acceptable because it is impossible that the petitioners still suffer material injury caused by the dumped products while Indonesian producers did not export float glass to India. At the same time DGFT has also submitted that M/s Saint Gobain has imported the subject goods from the exporters in Indonesia and therefore, they are not eligible to be treated as domestic industry. The Authority notes that the above two statements are contradictory to each other and are not supported by data.

F.2 Submissions made by the domestic industry

41. The domestic industry, in its various submissions, has *inter alia* argued that

i. That M/s Ajanta Pvt. Ltd have admitted that they have not submitted the importer's questionnaire response apparently on the ground that they had not made any imports during the entire period of investigation. The said party could not give any reason as to why the remaining parts of the importer's questionnaire has not been filled in wherein information has been called for the preceding three years as well. It is a settled position of law that to qualify as an interested party in terms of Rule 2(c) of the Anti-dumping Rules, the concerned party has to be an importer during the period of investigation. It may, however, be added that the Hon'ble Authority has the discretion to allow any party as an interested party on good cause been shown. In the absence of any such grounds or request, it was submitted that the said party cannot be considered as an interested party within the meaning of Rule 2(c).

ii. That the submissions of FOSG should be rejected outright as it has accepted in their submissions that they are not able to able to file the response within stipulated 40 days from the date of initiation as the management of the federation was facing internal issues. In this context, domestic industry invited attention of the Authority to the fact that the Authority had initiated the investigation on 3rd January, 2014 while the FOSG has filed their submission on 5th January, 2015 i.e., almost 11 months after the due date. Moreover, they have not even sought condonation of delay after showing good reasons for this inordinate delay.

iii. That import data of the subject goods have been sorted based on the description given in each transaction in the transaction-wise import data. Basis of compilation of the import data for PUC has been explicitly mentioned in the Petition. Further, as regards raw data the source, period and tariff headings have been indicated in the application itself. There is no legal requirement to provide the raw data so long as the entries pertaining to the PUC as well as the headings from which the same have been taken out are disclosed in the non-confidential version of the submissions. Further, the domestic industry has submitted that if the

plea of the interested parties is accepted, then it would actually mean that the Domestic Industry would be required to file details even of those sub-headings which have not been used for compiling the import data.

iv. That the domestic industry has submitted all the evidence which is reasonably available to it particularly considering the fact that the domestic industry itself has not imported the subject goods from the subject country during the investigation period. The domestic industry has claimed the adjustments to the export price as per its market intelligence which is considered to be sufficient evidence for initiation of an investigation as per consistent practice of the Designated Authority.

v. That the costing data has been provided on a per ton basis to address the differences in terms of thickness, etc. on the costs and prices of the product under consideration and for proper comparison.

vi. That adopting the exchange rate of the POI for calculating Normal Value, Non-injurious Price etc. is the standard practice being followed by the anti-dumping Authorities that are based on logic, sound economic and accounting rationale. This practice is being followed consistently by the Authority in plethora of cases like Sheet Glass from China PR and Float Glass from Pakistan, UAE & Saudi Arabia etc. Further, these parties have not stated any legal or logical infirmity in the said approach.

vii. That the claim of the interested parties that sunset review is required to be terminated because review proceedings cannot be carried on beyond one-year period as section 9A(5) read with Rule 23(2) empowers the Central Government to extend the levy of the anti-dumping duty for a period of one year only is without any legal or logical merit. In this context, reference has been drawn to the provisions of Section 9A(5) wherein the chapeau itself prescribes that the duties shall remain in effect for a period of five years from the date of its imposition. In terms of the first proviso, this period can be extended by another five years period subject to the satisfaction of the conditions mentioned therein. The second proviso allows collection of duties for another one-year period pending conclusion of the investigations. Accordingly, it is important to note that there is no specific bar, direct or indirect, on the investigations continuing beyond the six-year period though there may be a bar under the second proviso that duty may continue to remain in force not exceeding one year. Clearly, the term "not exceeding one year" could at best be read in the context of duty and not in the context of review investigation.

viii. Further, domestic industry has invited the attention of the Authority to Rule 17 of the Anti-dumping Rules, which allows a time period of upto 18 months to complete the investigations. Furthermore, Rule 23 (3) clearly states that the provisions of rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, and 20 shall be mutatis mutandis applicable in the case of review investigation. Accordingly, provisions of Rule 17 are also applicable to a sunset review case. First proviso to Rule 17(1) categorically states that the Central Government may extend further the period of one year by six months for the completion of the investigation.

ix. Attention of the Authority was invited to recent decision of the Hon'ble Delhi High Court [NBR case of Kumho Petrochemicals Co. Ltd. V/s UOI] wherein the Authority was permitted to continue the investigations despite the fact that the anti-dumping duties beyond the period of five years was set aside. It is further submitted that the only harmonious interpretation of the provisions of Section 9A(5), Rules 23 and 17, would be to read the provision of collection of duty disjunct from the period permissible for the completion of the investigation proceedings. Any other interpretation would invariably violate the vested rights of the Domestic Industry provided in Section 9A (5) itself. In any case, Rule 23 cannot be read in a manner that it takes away rights that are vested by Legislature. It is settled principle of law that a Rule cannot be interpreted in a manner that it frustrates the object and purpose of the main Act. Therefore, it is amply clear that even in the sunset review case proceedings can be carried on beyond one-year period and the embargo, at best, can be applied only to the collection of duties beyond a period of six years. Thus, there is no legal infirmity or lacuna in the proceedings before the Authority.

x. That the Authority has taken a consistent view that the purpose of anti-dumping duty is to create a level playing field and to provide relief to domestic industry due to injurious effect of dumped imports from the subject countries or the threat of likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury once the duties are withdrawn.

F.3 Examination by the Authority

42. The Authority has examined the issues raised by the domestic industry and other parties before it as follows:

i. As regard the import data is concerned, the Authority has already placed the transaction-wise data in the public folder pursuant to the orders of the Hon'ble High Court of Delhi in San Disk matter without prejudice to the appeal in Hon'ble Supreme Court.

ii. As regards the contention of some interested parties regarding the exchange rate used for various determinations the Authority notes that all determinations in an antidumping investigation is carried out for a specified period as a snap shot picture of the situation that existed during that period. It is no body's argument that data for one period and exchange rates for another period (current period) should be considered. This would only distort the picture. Therefore, the exchange rate for the period of investigation is used for all determinations in accordance with the consistent practice followed by the Authority.

iii. With regard to the claim of the interested parties that sunset review is required to be terminated because review proceedings cannot be carried on beyond one-year period, the Authority notes that constructive interpretation of Section 9 A (5) of the Act and Rule 23 of the Rules indicates that there is no specific bar on the continuation of the review investigations beyond one year from the date of initiation. Further, the Authority notes that the issue has been agitated by various parties before the Hon'ble Courts and the Courts have not yet ruled against this interpretation. In view of the aforesaid, the Authority accepts the contentions of the Domestic Industry that the only harmonious way to read the various provisions mentioned above is to hold that sunset review proceedings can be carried on beyond one-year period without infringing upon any specific provision of law.

iv. As regards the issue that the domestic industry has received adequate protection for last 12 years and continuation of the duty will adversely impact the user industry as the petitioners are using this protection to maximize their profits the Authority notes that the purpose of anti-dumping duty is only to create a level playing field and to provide relief to domestic industry due to injurious effect of dumping. Further, it is also noted that the anti-dumping duty is not envisaged to provide undue protection to the domestic industry. Moreover, none of the interested parties has provided any evidence whatsoever as to how the continuation of duties against imports from the subject countries would be detrimental to the larger interests of the economy or the country. However, the issue of undue protection, if any, has been examined in the relevant section so that the duty is not unduly imposed for a period beyond which it is required.

43. All other issues raised by the parties to the investigation have been dealt in the respective sections in this findings to the extent they are relevant.

G. Determination of Normal Values, Export Prices and Dumping Margins

G.1 Legal Positions

44. Section 9A (5) of Customs Tariff Act, 1975 provides that:-

"The anti dumping duty imposed under this Section shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition:

Provided that if the Central Government, in a review, is of the opinion that the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury, it may, from time to time, extend the period of such imposition for a further period of five years and such further period shall commence from the date of order of such extension;

Provided further that where a review initiated before the expiry of the aforesaid period of five years has not come to a conclusion before such expiry, the Anti dumping duty may continue to remain in force pending the outcome of such a review for a further period not exceeding one year."

45. Accordingly, a sunset review investigation is to examine:

- Whether the dumping continues after imposition of the antidumping duty and if so, whether it is likely to continue;
- In cases where dumping did not continue, whether the dumping would recur in the event of revocation of anti dumping duties;
- Whether the domestic industry continued to suffer material injury and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue if the duties are removed;
- In cases where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties.

46. Therefore, continuation of dumping and injury has been examined first before examining whether dumping is likely to continue or recur if the duties are revoked, and injury is likely to continue or recur in such a situation.

G.2 Examination of Continuation of Dumping: Determination of Normal Values, Export Prices and Dumping Margins

47. It is noted that none of the producer or exporters of the subject goods in the subject countries has filed any questionnaire response to provide any information on their normal values and export prices. No other interested party has made any submissions with regard to the determination of normal values and export prices of the subject goods from the subject countries.

48. The domestic industry has submitted that China being a non market economy, normal value of the subject goods in that country cannot be determined on the basis of price prevailing in that country and therefore, needs to be constructed. With regard to determination of a normal value in China the domestic industry has *inter alia* argued that:

i. Market economy status cannot be granted unless the responding exporter/company and its group as a whole make a claim. In the present case, there is no claim for market economy treatment. None of the Chinese exporters have filed questionnaire response, nor claimed market economy treatment.

ii. The normal value in China can be determined on the basis of (a) price in India, and (b) cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and profit as per procedure described in Para 7 of Annexure I and consistent practice being followed by the Authority in case when no response has been filed by the exporter. Normal Value in China should be determined based on the cost of production in India, duly adjusted.

iii. The normal value in China may be constructed by considering international price of the raw material and adopting the consumption norms and conversion cost as per the best information available, including that of the domestic industry.

49. As far as Indonesia is concerned, domestic industry has submitted that there is no response from any exporter, or any other interested party, providing any information about the normal values in that country. In the absence of response from Indonesia, the normal values for this country should also be constructed by considering international price of the raw materials and adopting the consumption norms and conversion cost as per the best information available, including that of the domestic industry.

G.3 <u>Determination of Normal Value for China PR</u>

50. At the stage of initiation, the Authority proceeded with the presumption that China PR is a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the MET questionnaire to all the known producers/exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules. The Authority also requested Government of China to advise the producers/exporters in China to provide the relevant information.

However, none of the Chinese producers/exporters has filed any response. The Authority notes that in the past several years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members.

51. In view of the above position and in the absence of rebuttal of non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proposes to proceed with Para 7 of Annexure I to the Rules for determination of normal value in case of China PR.

52. Para 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules provide that:

> *"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."*

53. In this connection possibility of determination of the normal value in China in terms of first and second option in Para 7 of Annexure I of the AD Rules has been examined. In this regard it is noted that none of the interested parties have provided any meaningful information for selection of an appropriate third country as a surrogate for construction of the normal value on the basis of cost and prices in that country or price from such country to other countries, including India as the normal value in China as per the first two alternatives in the Para-7 referred above.

54. Therefore, the normal value in China has been determined as per the third alternative provided in the Rules referred above and normal value has been constructed on the basis of the cost of production of the efficient domestic producer/plant in India after making due adjustment for the international prices of major raw material. The Authority has also provided for reasonable profit as per its consistent practice. Accordingly, constructed normal value for Chinese exporters has been determined as follows:

	Rs/MT
Raw Material cost as per International Prices, including consumables	****
Cost of Utilities	****
SGA including Interest	****
Cost to make and sell	****
Profit @ 5%	****
Constructed Normal Value	****
CNV US$/MT	****

G.4 <u>Determination of Normal Value for Indonesia</u>

55. Since none of the producers and exporters in Indonesia has submitted any evidence with regard to the Normal Values of the subject goods in Indonesia, the normal values in Indonesia has been determined based on best facts available, including the information contained in the petition of the domestic industry. Accordingly, the normal value for Indonesia has been constructed on the basis of the cost of production of the efficient domestic producer/plant in India after making due adjustment for the international prices of major raw materials, as the best

information available, with due provision for a reasonable profit. Accordingly, proposed normal value of the subject goods in Indonesia has been determined as follows:

	Rs/MT
Raw Material cost as per International Prices	****
Cost of Utilities	****
SGA including Interest	****
Cost to make and sell	****
Profit @5%	****
Constructed Normal Value	****
CNV US$/MT	****

G.5 Export Prices

56. The domestic industry, in its application had provided the transaction-wise import data obtained from Infodrive Pvt. Ltd. for the purpose of dumping and injury estimation. The Authority has obtained transaction-wise import data from DGCI&S. As none of the exporters of the subject countries has provided any information that can be used for determination of the export price the export prices for all exporters from subject countries have been determined on the basis of CIF prices of imports as reported in DGCI&S data. Since transaction-wise import data provided by DGCI&S contained both the product under consideration and other excluded items or non-subject goods the data has been analysed and volume and value of the product under consideration has been determined after pruning the data for excluded items and non-subject goods. Since a large number of transaction lines in the DGCI&S data do not show complete description of the product imported a reasonable method of segregation of those lines into PUC and Non-PUC items have been adopted for the purpose of dumping and injury examination.

57. It is noted that as per DGCI&S import data as stated above 3846 MTs of the subject goods were imported from China PR and only 101 MTs were imported from Indonesia during the POI. In the absence of concrete information from the respective exporters in the subject countries export prices from the China PR and Indonesia have been calculated on the basis of applicable adjustments for Ocean freight, Marine insurance, Port expenses, Commission, Inland transportation in the country of export, and Bank charges as per best information available to arrive at the export prices at the ex-works level.

58. Accordingly, the export price for China and Indonesia for the subject goods has been determined as follows:

Particulars	Unit	Indonesia	China PR
Import Volume	MT	101	3,846
Import Value	Rs	14,93,750	458,55,018
CIF Price	Rs/MT	14,790	11,923
FOB Price	Rs/MT	****	****
Adjustments	Rs/MT	****	****
Net Export Price	Rs/MT	****	****
Net Export Price	US$/MT	****	****

Exchange Rate: Rs. 55.15 = 1 US$

G.6 Dumping Margins

59. Comparing the Constructed Normal Value and the Export price at ex-factory level determined as above, the Dumping Margin for the producers/exporters in the subject countries are determined as follows:

Country	Normal (USD/MT)	Net Export Price (USD/MT)	Dumping Margin (USD/MT)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range)
China	****	****	****	****	165-175%
Indonesia	****	****	****	****	100-110%

60. The dumping margin so determined is above *de minimis* and significant.

H. Determination of Injury and Causal Link and Likelihood of Continuation or recurrence of Injury to the domestic industry

H.1 Legal Position

61. As noted earlier, in a sunset review investigation, with regard to injury examination, the Authority is required to examine:

- Whether the domestic industry continued to suffer injury and if so, whether injury to the domestic industry is likely to continue;
- In cases where the domestic industry has not suffered continued injury, whether injury to the domestic industry is likely to recur in the event of revocation of anti dumping duties.

62. The domestic industry has *inter alia* submitted that there is continued dumping of the product under consideration from the subject countries though the volume of dumped imports has declined as a result of current anti-dumping duties and dumping is likely to intensify should the current anti-dumping duty be revoked.

63. Therefore, the Authority has first examined whether the domestic industry continues to suffer material injury on account of dumped imports from the subject countries before proceeding to examine the likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry in the event of revocation of the duties from the subject country. Examination of material injury to the domestic industry is in accordance with the Article 3 of the AD Agreement and Annexure II to the AD Rules, 1995.

H.2 Examination of Current injury to the domestic industry and Causal Links

64. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure –II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles….". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

65. It is noted that the application for continuation of antidumping duty has been filed by M/s Gold Plus Glass Industry Limited, M/s HNG Float Glass Limited and M/s Saint-Gobain Glass India Limited, who collectively command a major proportion of total production of the subject goods in India. In terms of Rule 2(b) of the Rules, the petitioners have been treated as the domestic industry for the purpose of this investigation. Therefore, for the purpose of this determination the cost and injury information of the petitioner, constituting the domestic industry as defined in Rule 2(b), has been examined.

H.2.1 Views of the responding Exporters and Importers on the injury claims of domestic industry

66. None of the producer/exporters had made the submissions with regard to the injury and causal link. For the sake of brevity the submissions of the parties to the investigation have been summarized in the following paragraphs.

67. M/s Ajanta Pvt. Limited and FOSG have *inter alia* made the following submissions with regard to the injury and causal link:

i. That there is no injury on account of the subject imports as its volume is miniscule compared to the volume of imports from other countries. It is only the imports from non-subject countries which are posing a problem to the Applicant Domestic Producers.

ii. That any injury that may be suffered by the Applicant Domestic Producers is due to *inter se* competition among them. In fact, one Applicant Domestic Producer, M/s. HNG Float Glass Limited has submitted information in Case No. 51/2011 before the Hon'ble Competition Commission of India against M/s. Saint Gobain Glass India Ltd. (SGGIL) putting forth a slew of allegations against them, including abuse of dominant position, aggressive and unfair pricing strategy, anti-competitive and abusive marketing strategies.

iii. That the Applicant Domestic Producers have alleged that there has been a decline in sales volume despite an increase in demand. As per the data given by the Applicant Domestic Producers, this is not possible. Therefore, the data presented by the Applicant Domestic Producers contains inaccuracies. The demand in the year 2012-13 was actually 1218169 MT and not 1085463 MT as has been presented by the Applicant Domestic Producers. When the correct figures are analyzed, it can be clearly seen that the total demand has undergone a reduction from 1218169 MT in 2012-13 to 1089279 MT in the POI. It is not unusual for a decline in sales volume to occur when there is a decline in demand. Thus, it is proved that any reduction in the sales volume is only due to the decline in demand and not linked to the subject imports in any way.

iv. That the argument of the Applicant Domestic Producers that it is fixing its price based on import prices is an absolute falsity. As can be perused from the petition filed by the Applicant Domestic Producers, the domestic industry sold 623283 MT during POI. During the same period, with a market demand of 10,89,279 MT, imports from subject countries holds a market share of mere 0.04%. Compared to the miniscule share of imports from the subject countries, the domestic industry commands 92% of the market share. The claim of domestic industry is mere rhetoric and needs to be rejected by the Authority.

v. That a dominant player in the market acquired a loss-making unit which was also manufacturing the subject good during the period of injury, there is a high probability that the losses of Sezal Glass Ltd. have been passed off as the losses of the Applicant Domestic Producers.

vi. That there is no development at all in the float glass manufacturing industry in the past 10 years as alleged. The claim of the domestic industry that development of the industry in last 10 years is mainly due to the levy and continuance of the anti-dumping duty on the imports from the subject countries holds no water. The domestic industry mainly comprises of three companies, including the applicant Saint –Gobain, who among themselves control the oligopolistic market. These companies manufacture float glass at an exorbitant cost compared to the landed cost of the import price. The landed cost of the import price including the anti-dumping duty is about 20-25% higher than the local price.

vii. It is an admitted position that domestic industry cannot produce float glass at a competitive cost in the near future under any circumstances. In these circumstances continuance of the levy of anti-dumping duty will enable only these three companies to enrich their coffers at the cost of Indian consumers, including FOSG. Injury to Indian consumers is not caused by the subject imports from the subject countries but by encouraging these companies to produce at an exorbitant cost by levying the anti- dumping duty on the subject imports and thereby depriving the Indian consumers to buy the product at cheaper cost.

viii. That traditionally India used to import float glass from other countries rather than producing the same in India. The companies like Saint-Gobain (France), Ashai Glass Company (Japan) and Guardian Glass (USA), having worldwide presence, were unable to produce and supply to India from their overseas plants

because of their high cost and therefore, they entered India through FDI route and have been using anti-dumping protection to sustain their high cost production in India and thereby depriving Indian customers from buying the same material at cheaper price from other producers in countries like China.

ix. That during these 10 years the domestic industry had only fleeced the Indian consumers by providing float glass at an exorbitant rate and thereby increasing their profits, without making any effort to improve the situation by offering the product at a competitive cheaper rate. Now that, the domestic industry wants to continue the levy so that it can continue to make profits at the cost of Indian consumers and Indian economy.

x. That the anti-dumping duty investigation was started in Brazil at the instance of Saint-Gobain and Guardian in 2013, when Saint-Gobain established its plant in Jacrai in 2010 [Cebrace-Saint Gobain] and Guardian had put its plant in Tauti in 2008. It is submitted that the business model of these MNCs is to first enter the developing country under the garb of FDI and then to exploit the market situation to its advantage by resorting to anti-dumping law. The model is not to produce cheaper product but to produce costly product and then to block the entry of the cheaper products by invoking the anti-dumping provisions.

xi. That due to the high cost of the local float glass the processing industry is facing the threat of extinction as customers are showing less interest to buy the processed glass from the local manufacturers and cheaper imported processed glasses are now entering India. If this trend continues, the processed glass industry will vanish from the scene and around 12,500 families will be out in the street due to unemployment.

xii. That there is no provision for perpetually continuing the imposition of anti-dumping duty and certainly there is no legal justification at all to continue the levy for the third consecutive five year block merely based on the false and misleading data submitted by the domestic industry. The facts clearly show that the imports from the subject countries are much less than the *de minimis* level of 3% and on this ground alone the continuance of the imposition of anti-dumping duty is not at all warranted.

H.2.2 <u>Submissions by the domestic industry</u>

68. The domestic industry has made the following submissions with regard to the injury and causal link:

i. That the price undercutting is significantly positive, and therefore, there is clear likelihood of increase in the demand of the imported subject goods in India from the subject countries in the event Authority reaches a conclusion to withdraw the Anti-dumping duty.

ii. That the performance of the domestic industry, in terms of market share of domestic sales in demand, profits, return on investments, and cash flow, has deteriorated in the current Period of Investigation.

iii. That the demand of the product under consideration has shown a growth throughout the injury period. Hence, the contraction in demand is not a possible reason, which could have contributed to injury to the domestic industry.

iv. That dumping margins are significantly positive, and therefore, there is clear likelihood of increase in the demand of the imported subject goods in India from the subject countries in the event of cessation of Anti-dumping duty. Similarly, injury margin is also positive clearly indicating that the Domestic Industry will suffer serious injury if the subject goods are allowed to be imported without the protection of the anti-dumping duties.

v. That since the pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change, changes in pattern of consumption is unlikely to contribute to the injury to the domestic industry.

vi. That there is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.

vii. That technology for production of the product has not undergone any change nor are there any likely changes in coming future. Developments in technology are therefore, not a factor of injury.

viii. That the productivity of the domestic industry has remained almost at the same level during the entire period of injury. Hence, productivity is not a factor of injury.

ix. That despite the anti-dumping duty in force the landed values of the subject goods, during the POI from the subject countries, are so low that in case the duties are withdrawn there is every possibility of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

x. That with regard to the investigations by the Competition Commission of India, the interested parties had mischievously cited only the allegation part of the investigation and intentionally chosen to withhold the findings of the Commission. It is a matter of record that the CCI held that not only SGGIL is not abusing its dominant position; it is in fact not even a dominant player. The relevant portion of finding is reproduced below for the ready reference of the Authority:

"*Para 64*
In the result, the Commission is of opinion that no case of contravention of the provisions of "Section 4 of the Act is made out against the opposite party and concurs with the findings of the DG in this regard."

xi. That the reference to the CCI investigations by the exporters is only with the objective of creating confusion and has no merit. This is without prejudice to the basic contention that a complaint by a co-applicant in fact proves that there is no collusive behavior within the industry and that there are healthy conditions of competition amongst them. Attention of the Authority has also been invited to the earlier decision of the Competition Commission, where the Commission has very categorically said that the glass industry is facing serious competition from the imported goods.

xii. That there is a typo error in the domestic sales of the domestic industry for the year 2012-13. Domestic sales of the domestic industry during 2012-13 were 6, 11, 519 MT instead of 7, 44,226 MT.

xiii. That as regards the issue of data relating to Sezal, it is submitted that Sezal was and is a part of the domestic industry irrespective of who owns it. The situation would be different if Sezal had been located outside India.

H.2.3 <u>Examination by the Authority</u>

69. The various submissions of the interested parties and the domestic industry on injury to the domestic industry have been taken note of and have been examined as per the information available on record. All relevant issues concerning the facts and figures are addressed *ipso facto* in the injury analysis.

70. With regard to the submissions made by FOSG that major multinational producers are exploiting the anti-dumping provision to establish themselves in India using FDI route it is noted that the purpose of the anti-dumping law is to create a level playing field for production and consumption of the goods in the Indian market by protecting domestic production of the goods against unfair trade practices of producers in other countries. It is also noted that existence and sustainability of a domestic production base is important for general economic development and also is in the interest of the domestic consumers which will not be exposed to the monopolistic price behaviors of the foreign producers in the absence of domestic production base. However, the Authority has examined the cost and price behaviors of the domestic producers in this finding in an objective manner to arrive at the conclusion on injury and causal link to address the concerns of the consumer industry.

71. It is noted that the interested parties have argued that all examination should be done separately for each thickness range as the cost and prices vary as per the thickness. However, none of the interested parties has provided any information on the cost and prices in the exporting countries for such an analysis. Therefore, it is not possible to embark upon such an analysis.

72. It is further noted that data error brought out by the interested parties have been checked and appropriate data as verified has been used in the determinations.

73. As regards the volume of imports from the subject countries the Authority notes that the focus of the sunset review is the likelihood examination. Therefore, *de minimis* limits are not applicable to such reviews. Accordingly, arguments of the interested parties in this regard are not valid.

74. All other issues raised by the parties to this investigation have been addressed in the appropriate places and therefore, not repeated here.

75. Annexure-II of the AD Rules provides for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.

76. The subject goods are being exported from several other countries at dumped prices for which the Authority has imposed anti-dumping duties recently. All these imports clearly compete amongst themselves as well as with the domestic goods. Therefore, it is appropriate to assess the injury to the domestic industry cumulatively for imports from all sources found to be at dumped prices.

77. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital or investments have been considered in accordance with Annexure II of the Rules. All economic parameters affecting the Domestic Industry as indicated above have been examined as under: -

(a) Volume effects of dumped imports

i. <u>Import Volumes and share of dumped imports</u>

78. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The imports of the subject goods from the subject countries and other countries have been examined based on the transaction-wise import data provided by DGCI&S as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Imports from China	MT	1512	1702	4508	3846
Trend		100	113	298	254
Imports from Indonesia	MT			101	101
Trend				100	100
Imports from subject countries	MT	1512	1702	4609	3947
Trend		100	113	305	261
Imports from other countries subject to ADD	MT	19846	12525	141676	136114
Trend		100	63	714	686
Imports from other countries	MT	1674	4103	12190	10219
Trend		100	245	728	610
Total Imports	MT	23032	18330	158475	150279
% share of subject countries in Imports	%	6.56%	9.28%	2.91%	2.63%
% Share of other countries subject to ADD in imports	%	86.17%	68.33%	89.40%	90.57%
% share of other countries	%	7.27%	22.38%	7.69%	6.80%

Total demand	MT	847048	1003146	1155358	1154836
Trend		100	118	136	136
% Share of subject countries in demand	%	0.18%	0.17%	0.40%	0.34%

79. The above data indicates that dumped imports from China continues and has increased significantly compared to the base year. However, there was no import from Indonesia in first two years of the injury investigation period and there are only three transactions of 101 MTs during the POI.

80. However, it is noted that antidumping duty is on force on the subject goods imported from Pakistan, UAE and Saudi Arabia and there is a significant volume of imports from those countries. Share of the countries attracting anti-dumping duty is over 90% of the total imports. There is also a significant increase in imports from other countries not attracting antidumping duty though their share in total imports is below 10%.

ii. Assessment of Demand/Apparent Consumption

81. Demand or apparent consumption of the product in India has been assessed based on the domestic sales of all Indian producers, and imports from all source. The Authority has taken note of the error in the sales volumes reported by the domestic industry and the correct volume of sales of the domestic industry as verified and the estimated sales of other domestic producers have been used for estimation of domestic demand in India as follows:

Year	**Unit**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**POI**
Domestic Industry sales	MT	531236	629767	615626	627180
Trend		100	119	116	118
Sales of other domestic producers	MT	292779	355049	381257	377376
Trend		100	121	130	129
Total domestic sales	MT	824015	984816	996883	1004556
Trend		100	120	121	122
Imports from subject countries	MT	1512	1702	4609	3947
Trend		100	113	305	261
Imports from other countries subject to ADD	MT	19846	12525	141676	136114
Trend		100	63	714	686
Imports from other countries not attracting duty	MT	1674	4103	12190	10219
Trend		100	245	728	610
Total Imports	MT	23032	18330	158475	150280
Trend		100	80	688	652
Total demand	MT	847048	1003146	1155358	1154836
Trend		100	118	136	136
Captive Consumption	MT	90246	99601	107324	111365
Demand with Captive Consumption	MT	937294	1102747	1262682	1266201
Trend		100	118	135	135
Market share of Domestic sales in demand	%	97%	98%	86%	87%
% Share of Subject countries in demand	%	0.18%	0.17%	0.40%	0.34%
% share of other countries attracting ADD in demand	%	2.34%	1.25%	12.26%	11.79%
% share of other countries not attracting ADD	%	0.20%	0.41%	1.06%	0.88%

82. The above data indicates that the demands of the subject goods show a healthy growth over the injury investigation period and has grown by about 36% over the base year. However, the growth in sales of the domestic industry and sales for all domestic producers have remained low compared to the growth of the demand. The growth in demand appears to have been cornered by dumped imports from all sources including the subject countries, which among

themselves, has increased from less than 3% to over 12% in the injury period though the share of the subject countries in this investigation is very low at present in spite of increase from 0.18% to 0.34%. The market share of the domestic producers during the same period has declined from 97% to 87%.

(b) Price effect to dumped imports and impact on domestic industry

83. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

84. The impact on the prices of the domestic industry on account of imports of the subject goods from the subject countries have been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression. For the purpose of this analysis the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed value of imports from the subject countries. A comparison for subject goods during the period of investigation was made between the landed value of the dumped imports and the domestic selling price in the domestic market. In determining the net sales realization of the domestic industry, taxes, rebates, discounts and commission incurred by the domestic industry have been adjusted.

(i) Price Undercutting effect of dumped imports

85. The price undercutting effects of dumped imports with and without anti-dumping duty have been examined to analyze different scenarios. The price undercutting so determined are as follows:

China	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Net Selling Price of Domestic Industry	Rs/MT	****	****	****	****
Landed price **without ADD**	Rs/MT	15369	21287	13165	13282
Price Undercutting	Rs/MT	****	****	****	****
Price Undercutting	%	****	(****)	****	****
Undercutting Range		0-10	(10)-(20)	50-60	50-60
Landed price **with ADD**	Rs/MT	21511	27690	20435	20617
Price Undercutting	Rs/MT	(****)	(****)	****	(****)
Price Undercutting	%	(****)	(****)	****	(****)
Undercutting Range		(20)-(30)	(30)-(40)	0-5	0-(5)
Indonesia					
Landed price **without ADD**	Rs/MT	-	-	16458	16476
Price Undercutting	Rs/MT	-	-	****	****
Price Undercutting	%	-	-	****	****
Undercutting Range		-	-	20-30%	20-30%
Landed price **with ADD**	Rs/MT	-	-	24787	24879
Price Undercutting	Rs/MT			(****)	(****)
Price Undercutting	%			(****)	(****)
Undercutting Range				(10)-(20)	(15)-(25)

86. The above data indicates that the imports from the subject countries are significantly undercutting the prices of the Domestic Industry in the Indian market when compared with the landed values without the element of anti-dumping duties. The undercutting margins have increased since the base year and during the POI the undercutting without anti-dumping duty for China PR and Indonesia was ***% and ***% respectively. It is noted that there is negative price undercutting if the anti-dumping duties are taken into account. This indicates that if the anti-dumping duties are not there, the imports are likely to undercut the domestic prices.

(ii) Price underselling effects of dumped imports

87. The price underselling is also an important indicator of assessment of injury. The non-injurious price for the domestic industry has been worked out and compared with the landed values of imports from the subject countries to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic industry in terms of the principles outlined in Annexure III by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the period of investigation.

Particulars	Unit	China	Indonesia
NIP	Rs/MT	****	****
Landed price of imports without ADD	Rs/MT	13282	16476
Price underselling Without ADD	Rs/MT	****	****
Price underselling Without ADD	%	****	****
Price underselling (Without ADD)	Range	85-95	50-60
Landed price of imports With ADD	Rs/MT	20617	24879
Price underselling with ADD	Rs/MT	****	****
Price underselling with ADD	%	****	****
Price underselling (With ADD)	Range	20-30	0-10

88. The price-underselling effect of the dumped imports is significantly positive both with and without anti-dumping duty for China PR as well as for Indonesia.

(iii) **Price Suppression and Depression effects**

89. To examine the price suppression and depression effects of the dumped imports on the domestic prices, the trend of net sales realization of the domestic industry has been compared with the cost of sales.

Particulars	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Cost of domestic sales Rs/MT	****	****	****	****
Trend	100	116	125	125
Net Selling Price Rs/MT	****	****	****	****
Trend	100	108	125	122
Landed Value of dumped imports from the subject countries (without ADD)	15,369	21,287	13,237	13,364
Trend	100	139	86	87
Landed Value from the subject countries (with ADD)	21,510	27,690	18,436	18,610
Trend	100	129	86	87
Landed value of imports from other countries attracting duties (without ADD)	14,819	16,223	9,696	9,874
Trend	100	109	65	67
Landed value of imports from other countries attracting duties (with ADD)	19,794	21,410	15,586	15,817
Trend	100	108	79	80

90. The data above shows that though the cost of production as well as the selling price has increased during the period of injury investigation the landed value from the subject countries has declined substantially and domestic

industry's selling price has remained below its cost of sales during this period. It is also noted that the landed value of imports from other countries attracting ADD are far below the cost of sales and selling price of the domestic industry. The dumped imports from all sources appear to have significant price suppression effect on the domestic industry and do not allow full price recovery.

(c) Examination of other economic parameters of the domestic industry

91. Annexure II to the Anti- dumping Rules requires that a determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of like product. The Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

(a) Actual and Potential Impact on Capacity, Production, Capacity Utilization and Sales

92. Information on capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry is given in the table below:

Year	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Capacity (MT)	****	****	****	****
Trend	100	119	123	123
Production PUC only (MT)	740069	877086	912197	927683
Trend	100	119	123	125
Capacity utilization (MT)	****	****	****	****
Trend	100	99	100	102
Domestic Sales (MT)	531236	629767	615626	627180
Trend	100	119	116	118

93. The data indicates that the domestic industry has added capacity during the injury investigation period and production has increased with marginal improvement; in the capacity utilization. Domestic sales of the domestic industry have increased in the POI as compared to base year.

(b) Actual and Potential Impact on Profitability, return on investment and cash flow

94. The return on investment, profit/loss before and after interest and cash profit are as shown in the table below:

Year	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Domestic selling price Rs/MT	****	****	****	****
Trend	100	108	125	122
Cost Rs./MT	****	****	****	****
Trend	100	116	125	125
Profit Rs/MT	(****)	(****)	(****)	(****)
Trend	100	-227	-127	-156
Profit before interest (Rs in Lacs)	****	(****)	(****)	(****)
Trend	100	-1813	-686	-1182
Cash Profit Rs/MT	****	(****)	(****)	(****)
Trend	100	-96	109	51
ROCE (%)	****%	(****)%	(****)%	(****)%
Trend	100	-1381	-532	-893

95. The data above indicates that in spite of improvement in production and sales the domestic industry continues to make losses in the domestic sales in the period of injury investigation. Cash profit has declined and the returns on capital employed are in the negative in most part of the injury investigation period.

(c) Actual and potential impact on Market Share

96. As noted earlier the market share of the domestic producers has dropped from about 97% in the base year to 87% in the POI. However, this loss of market share of the domestic industry has been largely cornered by the dumped imports from other countries against which antidumping duties have been imposed. The share of the market share and gain of market share by the subject countries is marginal.

Year	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Market share of Domestic sales in demand	97%	98%	86%	87%
% Share of Subject countries in demand	0.18%	0.17%	0.40%	0.34%
% share of other countries attracting ADD	2.34%	1.25%	12.26%	11.79%
% share of other un-dumped imports	0.20%	0.41%	1.06%	0.89%

(d) Actual and potential impact on Employment, Productivity and Wages

97. From the table given below, it is noted that employment have shown improvement in the injury period which is in tandem with the increase in capacity and production. However, wages per employee has reduced in the POI as compared to the base year. Productivity of the domestic industry has almost remained in the same level during the entire period of injury. Therefore, there is apparently no significant impact on these parameters.

Year	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Employees	****	****	****	****
Trend	100	123	126	127
Wages/employee (Rs)	****	****	****	****
Trend	100	93	98	98
Production (MT)	740069	877086	912197	927683
Employees	****	****	****	****
Production/employee	****	****	****	****
Trend	100	97	98	99

(e) Actual and potential impact on Inventories

98. The data given in the table below shows that the inventory levels with the domestic industry have marginally come down in the POI as compared to the base year which is due to significant improvement in export sales volumes..

Year	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Closing stock (MT)	****	****	****	****
Trend	100	97	116	95

(f) Factors affecting domestic prices

99. The data above indicates that there is a healthy growth in demand. The dumped imports from the subject countries, though low in volume, are still entering the Indian market at prices much below the cost of production and selling prices of the domestic industry causing significant price undercutting and underselling in the Indian market. Volumes of import from other countries attracting duties are significantly high and at very low prices. Therefore, the domestic prices are affected by dumped imports from various sources against which antidumping duties are in force, including the subject countries. The cost of production of the domestic industry has also undergone change. It appears that the domestic industry, in order to prevent significant erosion of its sales volume in the domestic market through influx of dumped imports from various sources, including the subject countries, has maintained its price line resulting in financial losses.

(g) Actual and potential impact on Growth

100. It is noted that there is a healthy growth in demand of the product and the domestic industry has added capacity and increased production and sales. However, these physical performances have not translated to growth in financial parameters and the losses have increased due the presence of dumped imports at low prices from several sources including the subject countries.

(h) Ability to raise capital investments

101. It is noted that under antidumping duty protection against dumped imports from several countries and with a healthy growth in demand due to general macroeconomic conditions leading to increase in consumption of the subject goods the domestic industry has added significant capacities during the injury investigation period at substantial capital investment. The domestic industry has submitted that all these investments would be financially jeopardized if the dumped and injurious imports from the subject countries are allowed to enter into the country without the anti-dumping duties.

(i) Level of dumping & dumping margin

102. The margins of dumping of the imports of the subject goods from the subject countries, as determined in the previous section, are positive and substantial though the volume of imports from Indonesia is not very significant.

H.4 Overall Assessment of current Injury and Causal links

103. The above analysis of various factors indicate that physical performance of the domestic industry in terms of capacity, production and domestic sales of the subject goods improved during the injury investigation period with a healthy growth in demand. However, the financial performances of the domestic sales have deteriorated because of the price pressure of dumped imports from several sources against which antidumping duties have been imposed, including the subject country. Thus the domestic industry continues to suffer material injury in terms of financial losses and negative return on capital employed.

104. The interested parties have argued that this injury to the domestic industry is on account of other factors such as *inter se* competition between the domestic producers and has nothing to do with the imports from the subject countries as the volume of imports from these countries is very low. Therefore, the Authority has examined the other mandatory factors as well as the issues raised by the interested parties to see if other factors are responsible for the injury to the domestic industry.

(i) Volume and prices of imports from other sources

105. As noted earlier the imports from the countries against which antidumping duties have been imposed have increased significantly. The data below shows the volume of imports and their price trends.

Year	Units	2010-11	2011-12	2012-13	POI
Imports from subject countries	MT	1512	1702	4609	3947
Trend		100	113	305	261
Imports from other countries subject to ADD	MT	19846	12525	141676	136114
Trend		100	63	714	686
LV from other countries subject to ADD	Rs/MT	14819	16223	9696	9874
Trend		100	109	65	67
Imports from other countries not attracting duty	MT	1674	4102	12190	10219
Trend		100	245	728	610
LV from other countries not attracting duty	Rs/MT	22727	28428	19135	19675
Trend		100	125	84	87
Total Imports	MT	23032	18330	158475	150279
Trend		100	80	688	652

106. The above data clearly establishes that there is a significant increase in imports from other countries against which antidumping duties have been imposed and the prices from these countries are lower than the price from the subject countries. Imports from countries not attracting duties have also increased but their prices are substantially high. Therefore, imports from all the dumped sources appear to have affected the domestic industry.

(ii) Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

107. It is noted that the demand of the subject goods in the country has grown consistently from base year to 2012-13 indicating a healthy demand situation in the country. It is noted that none of the interested parties has made any submission about the change in the pattern consumption of the subject goods causing injury to the domestic industry. In fact with the growth in general economic performance the consumption of the subject goods is expected to increase which is reflected in the healthy demand position. Therefore, contraction in demand or change in consumption pattern is not a factor affecting the performance of the domestic industry.

(iii) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

108. Other interested parties have argued that the injury, if any, suffered by the petitioner domestic industry, is due to the *inter se* competition amongst them and have cited the application filed by one of the domestic producers i.e., M/s. HNG Float Glass Limited before the Hon'ble Competition Commission of India against M/s. Saint Gobain Glass India Ltd. (SGGIL) alleging abuse of dominant position, aggressive and unfair pricing strategy, anti-competitive and abusive marketing strategies. In this connection the Authority notes that Competition Commission did not find a case of contravention of the provisions of Competition Act against Saint Gobain. Therefore the allegation of anti-competitive or trade restrictive practices against dominant players in the Indian market has not been proved. No other issue regarding trade restrictive practices has been brought to the notice of the Authority. There is no import restriction and Indian as well as foreign manufacturers are freely operating in the Indian market. Therefore, this factor could not have affected the performance of the domestic industry.

(iv) Development in Technology

109. The petitioner domestic industry is using the latest float technology to produce the subject goods and the investigation has not shown that there was any significant change in technology which could have affected the performance of the domestic industry.

(v) Export performance of the domestic industry

110. The export performance of the domestic industry during the injury investigation period is as follows:

Particulars	Unit	2010-11	2011-12	2012-13	POI July 2012-June 2013
Export Sales	MT	****	****	****	****
Trend		100	116	267	272
Export Prices	Rs/MT	****	****	****	****
Trend		100	106	122	120

111. The data indicates that the export volume of the domestic industry has increased significantly during the injury investigation period and the price realization has also increased over the years. Therefore, export performance cannot be said to have affected the domestic industry adversely. However, the export performance of the domestic industry is not relevant since the Authority has considered only the domestic performance of the Domestic Industry for injury analysis.

H.5 <u>Conclusion on the current injury and causal link</u>

112. The above examination indicates that the imports of the subject goods from the subject countries are entering the Indian market at dumped prices though the volume is low. It is also noted that there are significant imports from countries against which antidumping duties are in force. Landed values of the goods from all such sources, without antidumping duty, are significantly undercutting the domestic industry's prices. The underselling margins are also high. These imports from all such sources are causing price suppression and price depression effects on the domestic industry's prices. Further, the financial health of the domestic industry has deteriorated in spite of improvement in production and sales due to the price effects of significant imports from several dumped sources,

including the subject countries though the imports from the subject countries are low. In view of the above, the Authority concludes that that the domestic industry has suffered material injury in terms of financial losses and the injury is on account of imports from several counties subjected to antidumping duty, including the subject countries.

H.6 Magnitude of injury and injury margin

113. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority margins of injury with respect to the importation of the subject goods from the subject countries have also been determined. For determination of injury margin the Authority has determined the Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry as per the procedures laid down in Annexure III of the Anti Dumping Rules. Accordingly, the NIP for the domestic industry and the margins of injury for the products under consideration have been determined as follows:

Particulars	UOM	China	Indonesia
NIP	US$/MT	****	****
Landed Price	US$/MT	241	299
Injury Margin	US$/MT	****	****
Injury Margin	%	****	****
IM Range		85-95%	50-60%

I. Likelihood of Continuation or Recurrence of Dumping and Injury

114. It is noted that the subject goods continue to enter the Indian market from the subject countries at substantially dumped prices though volume of imports have significantly declined after imposition of duties; and the domestic industry continues to suffer injury on account of imports at very low prices from several countries against which antidumping duties are in force, including the subject countries. Rules require the Authority to examine if the dumping is likely to continue and whether the injury to the domestic industry is likely to continue or recur if the duties are revoked.

I.1 Views of the Domestic Industry

115. The domestic industry, in its submissions, has argued that there is continued dumping of the products under consideration from China and Indonesia. Though the volume of dumped imports has declined, the dumping margin is significant. It has been submitted that dumping of the product under consideration is likely to intensify from the subject countries should the current anti dumping duty be revoked. It has been *inter alia* argued

i. That the domestic industry is already suffering injury and revocation of anti-dumping duty shall lead to intensified injury to the domestic industry. Cessation of anti-dumping duty is likely to have significant suppressing and depressing effect on the prices of the product under consideration in the market.

ii. That the producers in subject countries maintain huge capacities. In this regard the domestic industry has submitted the report of NSG Group to substantiate the claim of surplus capacities of the subject goods in China PR. As per these reports total capacity in China is about 28.8 Million MTs which is about 20 times the capacity in India without matching demand. Further, it has submitted that in the present case, neither the exporters from the subject countries nor their respective Governments have come forward with the information of their existing production and capacities. In case of revocation of anti-dumping duties, the volume of imports of the subject goods is bound to increase further, which is evident from the fact of continued dumped imports in spite of imposition of duty from the subject countries.

iii. That there are 3 units with about 8 float lines in Indonesia with total capacity of about 1.46 Million MTs which is far in excess of the demand in Indonesia. One of the major producers in Indonesia i.e., M/s. Mulia Glass has stated in its website that its exports volume reaching 65% of their production.

iv. That decline in imports post imposition of duty and positive dumping margin in such imports implies likelihood of dumping in the event of withdrawal of duty and in itself justifies extension of anti-dumping duty.

v. That clear Float Glass is also being imported from Pakistan, UAE and Saudi Arabia at dumped prices during the period of injury. Customs had levied anti-dumping duty against imports of Clear Float Glass from these countries, vide Notification No. 48/2014-Customs (ADD), dated 11th December, 2014. Under such circumstances, withdrawal of anti-dumping duties will certainly let the manufacturers and exporters of the subject goods in the subject countries to dump the subject goods at dumped prices in the domestic market.

vi. That subject countries are facing anti-dumping investigation by Brazil, South Korea and Australia. In such case, withdrawal of the anti-dumping in force will provide a free market access to the manufacturers/exporters in the subject countries to dump the subject goods and accordingly, there is very strong likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

vii. That there are positive and significant injury & dumping margins even when calculated based on the prices from the subject countries to countries other than India.

116. The domestic industry has provided copies of few sample invoices of exports from China to Brazil and Bangladesh to demonstrate the price level at which the goods are expected to Indian market if the duties are revoked and these prices are at substantial dumped prices. The domestic industry has also produced sample invoice from Indonesia to Sri Lanka to demonstrate a similar trend.

117. In view of the above, domestic industry has submitted that there is every likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury once the duties are withdrawn, as withdrawal of the anti-dumping duties will provide a free access to the manufacturers/exporters of the subject goods from the subject countries to dump the subject goods in India.

118. In its post disclosure submission the domestic industry has further argued

- That significant capacity exists in Indonesia as per the detailed information filed by the domestic industry regarding the capacities and exports orientation of the exporters from Indonesia vide letter dated 10th June 2015. As per the publicly available information and market intelligence, there are 3 units with about 8 float lines in Indonesia with total capacity of about 1.46 Million MT which is far in excess of the demand in Indonesia. In addition, PT Asahimas is in the process of capacity addition to the tune of 60,000 MT that will be operational by the end of 3rd quarter of 2016.

- Apart from the above one of the major producers in Indonesia i.e., M/s Mulia Glass has stated in its website that its exports volumes are reaching 65% of their production. Furthermore, another producer, namely M/s Asahimas, stated in its Annual Report for the year 2014 that, while their domestic sales grew by 10%, their exports have grown by 19% during the same period. This clearly and unequivocally shows the aggressive export orientation of the producers from Indonesia.

- That the domestic industry has provided the best available information regarding the capacities and exports orientation of the exporters from Indonesia to show the likelihood of dumping and injury in the event duties are withdrawn.

- That the domestic industry is supposed to provide only positive information substantiating the need for review in terms of Rule 23(1A) which was adequately done leading to the initiation of sunset review investigations in this case.

- That in this context, it is equally important to refer to the decision of the Hon'ble Delhi High Court [2008 224 ELT 375 (DEL)] wherein it has clearly been held that the Domestic Industry can only submit one part of the required information. The other part obviously has to come from other opposing interested parties.

- That post initiation of a review investigation, it is obligatory for the producers/exporters from the subject countries as well as the respective governments to provide the information requested by the Authority, which they have evidently failed to do. Therefore, it would be factually incorrect to state that the Domestic

Industry has failed to provide any information regarding the production capacities and other details in Indonesia.

- That as per the legal provisions the onus shift on the producers/exporters and other interested parties including the concerned government to provide such information.

- That during the public hearing, the Designated Authority had categorically asked the Officials of the Indonesian Embassy to provide the details regarding the capacity, production and exports of the product concerned or else an adverse inference may be drawn against them. Despite this, neither the Officials of the Indonesian Embassy nor any producers/exporters of the product concerned from Indonesia have provided any information regarding capacity, production and exports of the product concerned or with regard to the absence of likelihood of dumping and injury from exports from Indonesia. It would be a travesty of justice if, despite specific instructions by the Hon'ble Authority, non-compliance and non-cooperation will get rewarded.

- That magnitude of actual imports is of not much importance in a sunset review case. Further, it is also submitted that the prices of the product concerned from Indonesia is very low despite the duties in force and this fact has also been categorically mentioned in the disclosure statement. In view of the above, the Hon'ble Authority should not draw any negative inference from this.

I.2 Submissions by producers/exporters/importers/other interested parties

119. None of the producer/exporters has made any submissions with regard to the likelihood of continuation/ recurrence of dumping and injury.

120. M/s. Ajanta Pvt. Limited and FOSG have disputed the claims of the applicant domestic producers that there exist huge capacities in subject countries which would lead to a likelihood of recurrence of dumping from these countries and injury because of imports from subject countries. It has been argued that mere existence of huge capacity is not a ground for extension of anti-dumping duty as has been held by the Appellate Body. The petitioners should provide concrete evidence for the existence of huge capacities and mere conjecture must not be accepted by the DGAD.

121. Interested parties have further argued that China is the world's largest consumer of glass and accounts for more than 50% of global demand. Further capacity utilization of the Chinese exporter is more than 90%. Therefore, existence of huge capacity in China is not based on facts and therefore, removal of duty is not going to impact the domestic industry in India.

I.3 Examination by the Authority

122. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of subject goods from China PR and Indonesia. Under the Rules, the Authority is required to determine whether revocation of the anti-dumping duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

123. The anti-dumping duties are in force on the subject goods imported from several countries and the volumes of imports from those countries were significant and rising during the POI. There are continued dumped imports of the subject goods from the subject countries despite imposition of the anti-dumping measures. However, while volume of imports from China remains substantial and has increased during the injury investigation, there is only three isolated transactions of a small volume from Indonesia during the Period of investigation though the price was low. Therefore, in a situation where there are imports from several countries attracting anti-dumping duty the Authority has to examine the likely scenario if the duties are removed from one set of countries.

124. The following factors have been examined to see whether there is a likelihood of continuation of dumping from China and recurrence of dumping from Indonesia as there were only three isolated transactions from that country during the injury investigation period, and whether in such a scenario the domestic industry would continue to suffer material injury.

(i) Level of current and past dumping margins from the subject countries

125. The examination in the previous sections indicates that the level of dumping margin form China, from where the volume of import was substantial, was significant. Though the margin of dumping from Indonesia was found to be high, the determination is based on three isolated transaction during the POI and no other import was reported during the injury investigation period.

(ii) Available capacities in the subject countries

126. The domestic industry has submitted that China has huge surplus capacities and with anti-dumping duty imposed by several countries on Chinese exports there is an imminent likelihood of diversion of goods to India if the duties are revoked. Other interested parties have disputed the claim and have argued that mere availability of capacity cannot be ground for extension of duties.

127. None of the producers or exporters from China or Indonesia has provided any information regarding the production, consumption or capacities in these countries. The FOSG in its submission has submitted that it has been an admitted position that China PR has surplus capacity than the total Indian demand and at no point of time Indian domestic industry would be able to compete with China PR as far as manufacture of float glass is concerned. It has been submitted that Chinese capacity is about 26 times that of total demand in India and 33 times that of the production capacity of the domestic industry. This inevitably shows that the domestic industry has not at all earnestly increased their production capacities so as to provide cost competitive product to the Indian market. It has been further submitted that over the past 10 years the domestic industries could add only 3-4 additional float lines whereas India should be having at least 50 float lines to compete with China to offer a cost competitive product to the Indian market.

128. As per the reports provided by the domestic industry China continues to hold a very dominant position in capacity and production of float glass and a major supplier of this product globally.

129. However, as far as Indonesia is concerned, the domestic industry has provided certain information regarding the capacities and export orientation of the Indonesian producers and exporters as recorded above based on publicly available information in the websites of the producers in that country. The domestic industry has further argued that their obligation was only to provide positive information leading to initiation of a review and thereafter the onus shifts to the producers and exporters in that country to provide detail information which they have failed to do. Even the Govt. of Indonesia has not provided any information as requested during the public hearing.

130. In this connection the Authority notes that this is a sunset review and not a midterm investigation which requires only positive information for initiation of a review. Therefore, the contention of the domestic industry in this regard is not correct. In a sunset review, which seeks further extension of the duty for a period of five years, likelihood test is more important for which certain evidence which could establish that there is an imminent possibility of recurrence of dumping and consequent injury is required. Though the domestic industry has given some information about the existing capacities in Indonesia no reliable information is available regarding domestic demand and exports to other countries to establish whether these capacities are surplus and likely to be diverted to India in the event of revocation of the duty against that country. The Authority also notes that the Government of Indonesia has also not provided any information in this regard.

(iv) Level of injury and dumping margin based on prices from subject countries to other countries

131. Despite the anti-dumping duty in force, the import of the subject goods from China continues to be at dumped prices and significantly undercut the domestic industry in Indian market. Three import transactions from Indonesia during the injury investigation period were also at significantly low price compared to domestic industry price. But this may not be representative considering the fact that there was no import from that country during large part of the entire injury investigation period.

132. The domestic industry has submitted some proof of prices of the subject goods supplied from China and Indonesia to other countries to demonstrate that if the duties are revoked the imports will enter Indian market at such prices which will injure the Indian industry. However, this information is based on sample invoices only and

no statistics of exports from China and Indonesia to other countries have been provided apparently because no dedicated head is available for procuring such information from international sources.

(v) Price Attractiveness of the Indian Market and Demand scenario

133. Indian market for the subject goods continues to have a healthy demand for the product which is in line with the general economic growth. However, the price scenario of the past indicates that it would continue to remain a low price market and attractive for the global players with surplus capacity to export at marginal cost pricing. However, if the duties are removed the Indian market will become much more attractive as the exporters would be able to realize better prices to the extent of the duty absorbed by them.

(vi) Anti-dumping duty in force on the product

134. Anti-dumping duties have been imposed by India against imports of Clear Float Glass from Pakistan, UAE and Saudi Arabia; vide Notification No. 48/2014-Customs (ADD) dated 11th December, 2014. It has also been brought to the notice of the Authority that duties have been imposed by Brazil, which is one of the emerging economies and an emerging consumer of float glass, in 2013 on imports of this product from China. South Korea's trade commission has also extended anti-dumping duties on the Chinese float glass products levied on April 2012. Australian Authority has levied anti-dumping duty on the imports of float glass from Thailand in Nov 2011. Therefore, Chinese exports of the subject goods to Brazil, South Korea and Australia are likely to be impacted to that extent. No information has been provided with regard to antidumping action against export of subject goods from Indonesia by any other country.

(vii) Trend in imports in the post POI period

135. The POI in the instant case was July 2012 – June 2013 and the extended antidumping duty was valid till 5th January 2015. Examination of the trend in imports and prices in the post-POI period indicates that there is no import from Indonesia and import from China has also further declined. The post POI import data is as follows:

Country	Sum of values Rs	Sum of Metric Tonne
China PR	39378773	1753
Indonesia	0	0

136. It is noted that during this period the duties were in force on imports from China and Indonesia. Therefore, the trend of imports has not changed compared to the injury investigation period.

J. Post Disclosure Submissions of all interested parties:

137. The Authority issued a disclosure statement on 23rd June 2015 disclosing essential facts of the case and inviting the comments of all interested parties. The interested parties have mostly reiterated their various arguments. For the sake of brevity the submissions/comments made by the interested parties earlier have not been repeated. Accordingly, the post disclosure submissions and the issues raised therein have been examined hereunder:

J.1 Comments of the domestic industry

138. Apart from their comments of the likelihood of recurrence of dumping from Indonesia as recorded above the domestic industry, in its post disclosure submissions, has submitted that as regards the facts, analysis and inferences drawn with regard to China PR, the Domestic Industry has no specific comments to offer in view of the conclusions proposed to be reached.

J.2 Views of Federation of Safety Glass

139. The Federation of Safety Glass, in its comments of the disclosure statement, has submitted that though their views have been properly recorded in the disclosure the observation of the Authority under para 41(iv) of the disclosure statement that interested parties have failed to produce evidence to prove undue protection to the domestic industry and that they have failed to prove as to how continuation of duties against imports from such countries

would be detrimental to the larger interests of the economy or the country is contrary to the submissions made by them. Therefore, the Authority should reconsider the above finding in the light of the elaborate and objective submissions made by FOSG and arrive at a reasonable decision.

J.3 Views of Ajanta Pvt. Ltd. and PT Muliaglass, Indonesia

140. In their separate but identical submissions the above interested parties have mostly reiterated their submissions and arguments made earlier on various aspects of the investigation, including maintainability of the investigation. For the sake of brevity those points are not being repeated here. Other issues raised by the parties have been summarized as follows. The parties have *inter alia* argued

- That no examination regarding likelihood of continuation or recurrence of dumping can be made when anti dumping duty is not in force. Since the duty in question expired on January 5, 2015 and no antidumping duty is in force now the Authority could not have carried out a likelihood of continuation or recurrence of dumping examination;

- That the exchange rate considered is not justifiable as the respondents believe that the prevailing rate as per the RBI should be taken. It has been further submitted that if the current exchange rate is considered the level of price undercutting and price underselling will be eliminated.

- That the Authority has mentioned that the subject goods less than 4 mm have also been imported from the subject countries during the investigation period but the volume is miniscule. It has been reiterated that exclusion of float glass of thickness 4 mm and below from the scope of PUC in case of clear float glass originating in or exported from Saudi Arabia, UAE and Pakistan also reveals that the domestic producers are not suffering any injury from float glass of thickness 4 mm and below;

- That there is no injury on account of the imports from the subject countries as its volume is miniscule compared to the volume of imports from other countries. Moreover, even such miniscule volume has steadily declined in the injury period as well as in the POI;

- That confidentiality granted over certain information is unwarranted;

- That determination of Normal Value for Indonesia and China is illegal as under no circumstances normal value for a market economy country can be determined based on the cost of production of the domestic producer in India. Further the Authority has also not disclosed the source information for determining the international price of raw materials and the basis for the reasonable profit.

- That there is no injury caused to the domestic injury on almost all the volume parameters. The domestic industry has admittedly witnessed significant improvement in critical injury parameters such as domestic sales, capacity, production, capacity utilization, employment and inventory etc. The only possible injury parameters through which injury can possibly be demonstrated is the decline in market share and the trend in profits. The Authority has rightly acknowledged the presence and increase of imports from countries other than subject countries on which antidumping duty is in operation. The imports from such countries have increased by 6 times during the investigation period. Thus the real cause of injury and likelihood of injury is not the imports of the subject goods from the subject countries;

- That the scope of sunset review is limited to arriving at a conclusion on whether there is a likelihood of recurrence or continuation of dumping and injury and nothing more. Therefore, while antidumping duty cannot be continued at all on the subject exports from the subject countries, it is submitted that even if the Authority decide to do so the rate of antidumping duty cannot exceed the existing duty.

- That the sunset review of the continuation of anti-dumping duty on the subject product is required to be terminated as the same is without jurisdiction. Even if the Designated Authority decides to continue the review, anti dumping duty cannot be enhanced.

J.4 Examination of the issues by the Authority

141. The Authority has examined the issues and the views of the Authority on the post disclosure comments of the domestic industry and other interested parties. The Authority notes that the interested parties, except the domestic industry, have mostly reiterated their earlier submissions with regard to various aspects of the investigation which have already been addressed in the respective paragraphs in this finding. Other issues summarized above have been examined as follows:

142. As far as the comments of FOSG are concerned, the Authority notes that the information provided by them regarding the injury claims of the domestic industry have been adequately addressed in the relevant sections in the findings. The Authority notes that injury and likelihood of continuation or recurrence of injury is an overall assessment of several factors and the same has been objectively carried out as recorded in this finding. As regards their concerns regarding the impact of continuation of duty on the downstream producers, the Authority has examined the same and has recorded that antidumping duty is meant to re-establish fair competition and level playing field in the domestic market which is also in the general interests of the consumers.

143. As regards the issues raised by M/s. Ajanta and M/s. PT Muliaglass, Indonesia regarding the validity of the investigation and examination of likelihood of dumping the Authority notes that while the duty has expired on 5th January 2015, the Central Govt. has extended the time period for completion of the investigation till 2nd July 2015 as per the relevant provisions of the Rules and therefore, continuation of the investigation and examination of various aspects are valid and have been conducted within the framework of the Rules.

144. As regards the scope of the product under consideration and demands of the interested parties for exclusion of float glass below 4 mm the Authority notes that this has been adequately addressed in the relevant sections. Therefore, the arguments of the parties are not tenable.

145. As regards the current injury and likelihood of continuation or recurrence of injury the Authority notes that injury examination is an overall assessment covering several factors and no single or group of factors may give a conclusive indication of injury or likelihood of injury. Therefore, an objective examination of various factors has been carried out as recorded in the findings, which includes the impact of imports from other sources. The Authority has also recorded that in view of simultaneous dumping from several sources the injury has been examined cumulatively. Therefore, the concerns of the interested parties in this regard have been adequately addressed.

146. As regards the arguments of the interested parties that the duties cannot be enhanced in a sunset review the Authority notes that as a consistent practice the degree of current dumping and injury, if any, during the period of investigation of the sunset review is assessed and the duty is extended to the extent of dumping and injury so assessed, which could lead to either reduction or enhancement of the duties. Only when there is no current dumping or injury and the duty is required to be extended on the basis of likelihood of dumping and injury the duty is extended as it is. If the arguments of the interested parties are accepted in a situation where the degree and extent of dumping and injury have decreased after imposition of duty the higher duty has to be extended, which is neither in the spirit of the Law nor in the interest of the parties to the investigation. Therefore, the arguments of the interested parties in this regard are not tenable.

147. As regards the arguments of the interested parties regarding determination of normal value is concerned, the Authority notes that the issue has been adequately addressed in the relevant paragraphs in this finding. It has been clearly mentioned that possibility of determination of the normal value in China in terms of first and second option in Para 7 of Annexure I of the AD Rules was examined but could not be resorted to in the absence of any meaningful and credible data/information from any interested parties for selection of an appropriate third country as a surrogate for construction of the normal value on the basis of cost and prices in that country or price from such country to other countries, including India. Therefore, the normal value in China has been determined as per the third alternative provided in the Rules referred above and normal value has been constructed on the basis of the cost of production of the efficient domestic producer/plant in India after making due adjustment for the international prices of major raw material. The price of major raw materials i.e., Soda Ash has been taken from World Trade Atlas. The Authority has also provided for reasonable profit of 5% as per its consistent practice. Therefore, the arguments of the interested parties, in this regard, are not tenable.

K Overall assessment of likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury

148. The above analysis of various likelihood aspects of dumping and injury indicates that China continues to have a dominant position in the float glass manufacturing in the global market with huge capacities. With antidumping

duty on its product in Brazil and antidumping duty imposed by India on several other countries in the recent past, China would have a distinct advantage to continue to dump the goods in India in higher volumes if duties are revoked. Therefore, continuation or recurrence of intensified dumping from China appears to be an imminent possibility.

149. However, as far as Indonesia is concerned, though the domestic industry has provided certain publicly available information regarding the capacities in that country no case has been made out to demonstrate that these capacities are in excess of the domestic demand and export to other countries which will enable the producers in that country to restart significant volume of exports to India at dumped prices as there was practically no export to India from this country during the whole of injury investigation period. Since there is no reliable information to demonstrate that there is an imminent possibility of recurrence of dumping from Indonesia the Authority concludes that there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping from Indonesia if the duties are revoked against that country.

150. Now turning to likelihood of continuation or recurrence of injury, the Authority notes that the domestic industry continues to suffer material injury in terms of significant financial losses, in spite of improvement in production and sales, due to the cumulative effects of dumped imports from several sources, including the subject countries against antidumping duties are in force. Therefore, if the duties are revoked the volume of imports from China is likely to increase and volume and price effects of dumped imports from China along with imports from the countries attracting duty as demonstrated earlier will cause continued injury to the domestic industry.

151. In view of the above the Authority concludes that dumping is likely to continue and intensify from China PR if the duties are revoked and there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping from Indonesia. The Authority also concludes that continuation and intensification dumping from China would lead to continuation of injury to the domestic industry.

L Conclusions

152. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority, as recorded in this finding, the authority concludes that:

(i) The subject goods have continued to enter the Indian market from China PR at prices less than their normal values and the dumping margin is substantial and above *de minimis*. However, there has been insignificant imports from Indonesia though the dumping margin is positive and above *de minimis*;

(ii) The domestic industry has suffered material injury due to the presence of dumped imports from several countries, including the subject countries, during the injury investigation period;

(iii) The goods are likely to be exported from China PR at dumped prices in the event of cessation of anti dumping duty and dumping is likely to continue from China PR. However, in view of insignificant imports during the injury investigation period and in the absence of credible evidence supporting likelihood of recurrence of dumping from Indonesia the Authority concludes that there is no imminent likelihood of recurrence of dumping from Indonesia; and

(iv) Injury to the domestic industry is likely to continue in the event of cessation of anti dumping duty on imports of subject goods from China PR because of continuation of dumped imports from that country;

M Public Interest and other issues

153. FOSG, in its submissions, has argued that there are 76 members in the FOSG at present, while the processed glass industry has about 125 manufacturing entities. A single plant of processed glass provides employment to about 100-125 employees. The members of the association are representatives of "processed glass industry" manufacturing toughened, insulated and laminated glasses. The market size of the goods produced by the members of our association is about Rs.2800 Crores in a year in India whereas the size of float glass industry is about Rs. 4000 crores in a year. Processed glass industry consumes almost 35-40% of the total float glass market in India. In value terms it is about Rs.1500 Crores of the total market size of float glass industry of about Rs.4000 Crores in a year. Therefore, any levy on the float glass directly affects the processing industry. FOSG is also an association of MSMEs who use the float glass in the manufacture of toughened glass. Therefore, the Authority should protect the interest of these manufactures and not extend the duties.

154. In this connection the Authority notes that the purpose of the antidumping law is to create a level playing field for production and consumption of the goods in the Indian market by protecting domestic production of the goods against unfair trade practices of producers in other countries. The Authority also notes that existence and sustainability of a domestic production base is important for general economic development and also is in the interest of the domestic consumers which will not be exposed to the monopolistic price behaviors of the foreign

producers in the absence of domestic production base. However, the Authority has examined the cost and price behaviors of the domestic producers in this finding in an objective manner to arrive at the conclusion on injury and causal link to address the concerns of the consumer industry.

N Recommendations

155. The Authority notes that this sunset review investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information and verifiable evidence on various aspects of dumping, injury and causal link and likelihood of continuation of dumping and injury in the event of cessation of the duties. Having conducted the investigation as per the procedure prescribed and having established that dumping is likely to continue from China PR and consequent injury to the domestic industry is likely to continue if the duties are revoked, the Authority considers it necessary and appropriate to recommend extension of anti-dumping duty on imports of subject goods, from China PR in the form and manner described hereunder. In the absence of any credible evidence on the likelihood of continuation or recurrence of dumping from Indonesia the Authority considers it appropriate to recommend withdrawal of the duties against Indonesia.

156. Having regard to the lesser duty rules the Authority recommends extension of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury so determined in this finding for the period under investigation, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive antidumping duty equal to the amount indicated in Col 8 of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods, as detailed in column 3 of the duty table below alongwith the footnotes thereunder, originating in or exported from the Peoples Republic of China.

Duty Table

SN	Sub Heading or Tariff Item	Description of Goods	Countries of origin	Countries of Export	Producer	Exporter	Duty Amount	Unit of Measure	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	7005	Float Glass **	China PR	China PR	Any	Any	218	MT	US$
2	-Do-	-Do-	China PR	Any	Any	Any	218	MT	US$
3	-Do-	-Do-	Any, other than countries attracting antidumping duty***	China PR	Any	Any	218	MT	US$

** "Float Glass of thickness 2 mm to 12 mm (both thickness inclusive) of clear as well as tinted variety (other than green glass) but not including reflective glass, processed glass meant for decorative, industrial or automotive purposes".

*** In case of goods originating from countries against which antidumping duties are in force antidumping duty applicable under those notifications shall apply.

157. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

158. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

J. K. DADOO, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.